कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मितिः

प्रमाणिकरण मितिः २०७७/११/१२

# सहकारी संस्था एकिकरण सम्वन्धि कार्यविधी, २०७७

**इटहरी उपमहानगरपालिका**
**नगर कार्यपालिकाको कार्यालय**
**सुनसरी, १ नं. प्रदेश, नेपाल**

# सहकारी  संस्था एकिकरण सम्वन्धि कार्यविधी, २०७७

इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने सहकारी संस्थालाई एकिकरण गरी  सवल, सक्षम र  सहकारी विकासको दिगो लक्ष्य हासिल गर्न बाञ्छनीय भएकोले इटहरी उपमहानगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ को दफा १०४ बमोजिम इटहरी उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाले देहायको कार्यविधी बनाएको छ ।

परिच्छेद-१

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस कार्याविधीको नाम “सहकारी संस्था एकिकरण सम्वन्धि कार्यविधी २०७७” रहेको छ ।

(२)यो कार्यविधी नगर कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको मिति देखि लागु हुनेछ ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधीमा :

(क) “ऐन” भन्नाले इटहरी उपमहानगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ सम्झनु पर्दछ ।

(ख) “नियमावली” भन्नाले इटहरी उपमहानगरपालिकाको सहकारी नियमावली २०७६ सम्झनु पर्दछ ।

(ग) “संघिय ऐन” भन्नाले संघिय सहकारी ऐन २०७४ लाई सम्झनु पर्दछ ।

(घ) “संघिय नियमावली” भन्नाले संघिय सहकारी नियमाली २०७५ लाई सम्झनु पर्दछ ।

(घ) “नगरपालिका” भन्नाले इटहरी उपमहानगरपालिकालाई सम्झनु पर्दछ ।

(ङ) “शाखा/कार्यालय” भन्नाले इटहरी उपमहानगरपालिकको सहकारी शाखालाई सम्झनु पर्दछ ।

(च) “ संघ/संस्था” भन्नाले सहकारी ऐन २०४८ बमोजिम स्थापना भएका र इटहरी उपमहानगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ बमोजिम स्थापना भएका सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई सम्झनु पर्दछ ।

(छ) “एकिकरण कार्य” भन्नाले दुइ वा दुइ भन्दा वढी सहकारी संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभी प्रत्येक संस्थाका सदस्यहरु स्वतः सदस्य रहेने गरी सम्पत्ति र दायित्व समेत एकिकृत हुने गरी एउटा सहकारी संस्था कायम गर्ने कार्य सम्झनु पर्दछ  ।

(ज) “संयोजन कार्यदल” भन्नाले ऐनको दफा ६७  को उपदफा (१) बमोजिम सहकारी एकिकरण गर्ने प्रयोजनका लागि गठित कार्यदल सम्झनु पर्दछ ।

(झ) “संयुक्त साधारण सभा” भन्नाले एकीकरण गरिने सहकारी संस्थाहरुको संयुक्त साधारण सभा सम्झनु पर्दछ  र सो शव्दले सहकारी संस्थाको विभाजन प्रस्तावमा विचार गर्न बसेको साधारण सभा समेतलाई जनाउँछ ।

(ञ) “दर्ता गर्ने अधिकारी” भन्नाल ऐनको दफा ७१ बमोजिमको दर्ता गर्ने अधिकारीलाई सम्झनु पर्दछ ।

(ट) "समिति" भन्नाले सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिलाई सम्झनु पर्दछ ।

(ठ) " जायजेथा" भन्नाले सहकारी संस्थाको चल अचल सम्पत्ति सम्झनुपर्दछ ।

(ड) "एकिकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली" भन्नाले सहकारी विभागले स्थापना गरेको इन्टरनेट सञ्चार प्रविधीमा आधारित सहकारी तथा गरिवी सम्वन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोअपरेटिभ एन्ड पोभर्टी रिलेटेड मेनेज्मेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम ( कोपोमिस) सम्झनुपर्छ ।

## परिच्छेद २

## मौजुदा संस्थाहरुको साङ्ख्यिक पुनरावलोकन

३. **अधिकतम संस्था सङ्ख्या कायम गर्ने :** (१) शाखाले उपमहानगरपालिकाको प्रत्येक वडामा रहेको जनसंख्यालाई ५ हजारले भाग गरी आउने भागफल बराबर त्यस्तो वडामा वचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने संस्थाको अधिकतम सङ्ख्या कायम गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अधिक्तम संस्था सङ्ख्या कायम गर्दा भागफलको दशमलब पछाडि जतिसुकै अङ्क भएतापनि पूर्ण अङ्कको मात्र आधार लिनुपर्नेछ ।

४. **अधिकतम संस्था सङ्ख्या कायम गर्ने :** (१) दफा ३ बमोजिम अधिक्तम संस्था सङ्ख्या कायम गरिएको सूचना शाखाले अनुसूची-१ को ढाँचामा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना प्रकाशन गर्दा नियामक निकायले त्यस्तो सूचना आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस गर्नुका साथै बेवसाइट भए बेवसाइटमा राखी भएसम्म स्थानीय संचारको कुनै एक वा बढी माध्यमबाट समेत तत् सम्वन्धमा जानकारी दिनुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रकाशित सूचनाको प्रति यथाशक्य सम्वन्धित सबै सहकारी संस्था वा निकायमा पत्र वा विद्युतीय पत्र (इमेल) द्वारा पठाउनु पर्नेछ ।

५. **नयाँ संस्था दर्ता  वा विषय परिवर्तन गर्न नहुने :** ऐनको दफा ७ को उपदफा १ र नियमावली को नियम ४ को उपनियम (१) मा व्यवस्था भए बमोजिमको जनसंख्या नपुगेको उपमहानगरपालिकाको वडामा वचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने कुनै नयाँ संस्था दर्ता गर्न वा बचत तथा ऋण बाहेकको बिषयगत वा बहुउद्देश्यिय संस्थाको रुपमा नयाँ संस्था दर्ता गरी बचत तथा ऋणको विषयगत संस्थाको रुपमा बिषय परिवर्तन गर्नु हुदैन ।

६. **मौजुदा संस्थाको विवरण अद्यावधीकरण :** (१) नियामक निकायले अनुसूची-२ को ढाँचामा उपमहानगरपालिकाको प्रत्येक वडामा नियम ४ को उपनियम (२) मा व्यवस्था भए बमोजिमका बचत तथा ऋण को मुख्य कारोवार गर्ने संस्थाहरुको अद्यावधिक विवरण तयार गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा(१) बमोजिम उपमहानगरपालिका को वडाको अद्यावधिक विवरण तयार पार्दा देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछ :-

(क) स्थानिय तह वा प्रदेश वा विभाग जहाँसुकैको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने भए तापनि यस नगर अन्तर्गत मुख्य कार्यालय राखि कार्यसञ्चालन गरेको तर बढीमा एक जिल्ला सम्म कार्यक्षेत्र कायम भएको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने संस्थाहरु समावेश गर्ने,

(ख) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने भए तापनि निजामति सेवा, सार्वजनिक संस्थानको सेवा, शिक्षण वा प्रध्यापन पेशा आदिमा संलग्नता, मजदुर संगठनको सदस्यता, गैरसरकारी संस्थामा आवद्धता जस्ता संस्थागत वा पेशागत साझा बन्धनको आधारमा दर्ता भएको कुनै पनि संस्था समावेश नगर्ने र

(ग) बहुउदेश्यिय, कृषि लगायत जनुसुकै बिषय वा प्रकृतिको भए तापनि ऐनको दफा २ को खण्ड ट बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गरिरहेको तथा खण्ड (क) मा पर्ने तर खण्ड (ख) मा नपर्ने सबै संस्थाहरु समावेश गर्ने ।

तर ऐनको दफा ४० को उपदफा (२) मा उल्लेखित म्याद भित्र बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार नगर्ने गरी दर्ता हुँदाको बखत मुख्य कारोवार गर्ने गरी विश्वसनीय कार्ययोजना नियामक निकायमा पेश गरेको भए त्यस्तो संस्थालाई समावेश गर्नुपर्ने छैन ।

(३) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने संस्थाको अद्यावधिक विवरण नियामक निकायको प्रमुख बाट प्रमाणीत गराएर राख्नु पर्नेछ ।

७. **समुह छुट्याउनु पर्ने :**दफा ६ बमोजिम अद्यावधिक विवरण तयार पार्दा नियामक निकायले मौजुदा संस्थालाई कार्यक्षेत्रका आधारमा देहायका समुहमा छुट्याउनु पर्नेछ :

(क) सम्वन्धित वडासम्म कार्यक्षेत्र हुने संस्थाहरुलाई पहिलो समुहमा,

(ख) सम्वन्धित वडा भन्दा बढी स्थानिय तहसम्म कार्यक्षेत्र हुने संस्थालाई दोस्रो समुहमा,

(ग) सम्वन्धित स्थानीय तह भन्दा बढी जिल्ला सम्म कार्यक्षेत्र हुने संस्थालाई तेस्रो समुहमा ।

८. **विवरण समावेश गर्नु नहुने :**(१) दफा ६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको संस्थालाई अनुसूची -२ बमोजिमको विवरण समावेश गर्नु हुँदैन :-

(क) ऐनको दफा ७९ उपदफा (२) मा व्यवस्था भएबमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको वा समस्या ग्रस्त घोषणा गर्ने प्रक्रियाममा रहेको संस्था,

(ख) नियमावलीको नियम २७ को उपनियम (३) मा उल्लिखित संस्था,

(ग) वडाको जनसंख्या भन्दा बढी सदस्य भएको सहकारी संस्था ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको संस्थाको सदस्य संख्या गणना गर्दा स्थानिय तहभित्र बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थासँग दोहोरो पर्नै सदस्य जति घटाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१)  मा उल्लिखित संस्थाहरुको विवरण पृथक सूचीमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ ।

९. **तथ्य भिडाउनु पर्ने :** यस उपमहानगरपालिकाका वडाको अद्यावधिक विवरण तयार पार्ने सिलसिलमा आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकारमा नपर्ने तर वडामा मुख्य कार्याल्य राखी कार्य सञ्चालन गरेको बचत तथा ऋणको कारोवार गरेको संस्थाको कार्यक्षेत्र, मुख्य कारोवार वा दिइएको म्याद भित्र बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार नगर्ने गरी विश्वासनिय कार्ययोजना पेश गरे, नगरेको सम्वन्धमा सम्वन्धित संस्थाबाट प्राप्त तथ्य प्रदेश नियामक निकायबाट विवरण लिई भिडाउनु पर्ने छ ।

१०. **मौजुदा संस्थाको सूची प्रकाशन** : (१) नियामक निकायले दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिमको अद्यावधीक विवरणका आधारमा अनुसूची-३ को ढाँचामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने मौजुदा संस्थाहरुको सूची प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचि नियामक निकायको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुका साथै बेगसाइट भए बेवसाइटमा राखी भए सम्म स्थानीय सञ्चारको कुनै एक वा बढी माध्यमबाट समेत प्रकाशन गरिएको जानकारी दिनुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सूची प्रकाशन गर्दा सोमा कुनै दाबी-विरोध भए सात दिन भित्र नियामक निकायमा पेश गर्न सकिने व्यहोरा समेत खुलाउनुपर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दाबी-विरोध परेकोमा सोमा साधारणतया सात दिन भित्र छानविन गरी संसोधन गर्नुपर्ने कुनै कुरा भए संसोधन गरी उपदफा (२) बमोजिम संशोधित सूची प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम प्रकाशित सूची वा संशोधित सूचीको प्रति यथाशक्य सम्बन्धित सबै सहकारी संस्था वा निकायमा पत्र वा विद्युतीय पत्र(इमेल)द्वारा समेत पठाउनुपर्नेछ ।

११. **पछिल्लो जनगणनाको आधार लिनुपर्ने** :यस परिच्छेदमा उल्लेख भए बमोजिम जनसंख्याको हिसाब गर्दा पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसारको जनसंख्याको आधार लिनुपर्नेछ ।

१२. **जनगणना अनुसार पुनरावलोकन गर्न सक्ने** :नियाक निकायले प्रत्येक नयाँ राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनका आधारमा दफा ३ बमोजिम कायम गरिएको अधिकतम संस्था संख्या पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ ।

## परिच्छेद -३

मौजुदा संस्थाहरुको साङ्ख्यिक समायोजन :.

१३. **स्वैच्छिक एकीकरणद्वारा संस्था सङ्ख्या मिलान :** (१) नियामक निकायले उपमहानगरपालिकाको प्रत्येक वडा मा दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित सूचीबाट बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने मौजुदा संस्थाहरुको संख्या दफा १० बमोजिम कायम गरिएको अधिकतम संस्था सङ्ख्या भन्दा बढी रहेको देखिएकोमा त्यसरी बढी भएजति संस्था ऐनको दफा ४० को उपदफा (२) को म्याद भित्र स्वैच्छिक एकीकरणको प्रक्रियाद्वारा मिलान गर्न सम्वन्धित सबै संस्थाहरुका साथै त्यस्ता संस्थाहर सदस्य रहेको सङ्घलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी गराउँदा अन्य कुराका अतिरिक्त उपमहानगरपालिकाको वडामा रहने संस्था संख्या अनुसार देहायका शर्त र आधार पुरा गर्नुपर्ने व्यहोरा खुलाउनुपर्नेछ :-

(क) एक मात्र संस्था रहनेमा नियमावलीको नियम २७ को उपनियम (२) मा व्यवस्था भए अनुरुप दफा (७) बमोजिमको पहिलो समूहमा पर्ने सबै संस्थाहरु एकीकरण गरी बचत तथा ऋणको विषयगत संस्था कायम गर्ने ।

(ख) दुइटा संस्था रहनेमा मौजुदा संस्थाहरुमा महिला मात्रका र मिश्रित सदस्यता हुने दुवै थरी भए नियमावलीको नियम २७ को उपनियम (२) र (४) मा व्यवस्था भए अनुरुप दफा ७ बमोजिमको पहिलो समुहमा पर्ने मौजुदा महिला मात्रका संस्थाहरु एकीकरण गरी एउटा र मिश्रित सदस्यता हुने संस्थाहरु एकीकरण गरी अर्को बचत तथा ऋणको विषयगत संस्था कायम गर्ने,

(ग) खण्ड (ख) को अवस्थामा महिला मात्रको एउटा मात्र संस्था भए तापनि सोलाई यथावतै राखी मिश्रित सदस्यताहुने सबै संस्थाहरु एकीकरण गरी एउटा वचत तथा ऋणको विषयगत संस्था कायम गर्ने ।

(घ) तीनवटा संस्था रहनेमा दफा ७ बमोजिमको पहिलो समुहमा पर्ने महिला मात्रका संस्थाहरु एकीकरण गरी एउटा, मिश्रित सदस्यता हुने संस्थाहरु एकीकरण गरी अर्को र दोस्रो समूहमा पर्ने सबै संस्थाहर एकीकरण गरी अझ अर्को बचत तथा ऋणको विषयगत संस्था कायम गर्ने,

(ङ) खण्ड (घ) को अवस्थामा पहिलो र दोस्रो समुहका महिला मात्रका संस्थाहर मिली एउटा बचत तथा ऋणको बिषयगत संस्था काम गर्न चाहेमा पनि तदअनुसार गर्न सकिने,

(च) चारवटा संस्था रहेनेमा पहिलो समूहमा पर्ने महिला मात्रका संस्थाहरु एकीकरण गरी एउटा साथै मिश्रित सदस्यता हुने संस्थाहरु एकीकरण गरी अर्को र दोस्रो समूहमा पर्ने सबै र तेस्रो समुहमा पर्ने सबै संस्थाहरु एकीकरण गरी एक-एक वटा बचत तथा ऋणको विषयगत संस्था कायम गर्ने र

(छ) चारवटा भन्दा बढी संस्था रहनेमा खण्ड (च) बमोजिम संस्था सङ्ख्या छुट्टयाइसकेपछि मिश्रित सदस्यता हुने संस्थाहर तर्फ क्रमशः पहिलो समुहमा एक, दोस्रो समुहमा एक, तस्रो समुहमा एक र पुनः पहिलो समुहमा एक, दोस्रो समुहमा एक र तेस्रो समुहमा एक गरी पुन : सोही क्रममा संस्था सङ्ख्या थप गरी हुने सङ्ख्या बराबर बचत तथा ऋणको बिषयगत संस्था कायम गर्ने ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकीकरणपछि कायम हुने संस्थाको सदस्य सङ्ख्याको विचार गरी कुनै समूहको हकमा एक भन्दा बढी संस्था सङ्ख्या छुट्टाइएर नियमावलीको नियम ४ को उपनियम (१) मा व्यवस्था भए बमोजिमको जनसंख्यासँग मेल खानेगरी एक वा एक भन्दा बढी संस्था सङ्ख्या कायम गर्न सकिन्छ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम एकिकरण पछि कायम हुने सदस्य सङ्ख्याको गणना गर्दा दुई वा दुइभन्दा बढी संस्थामा दोहोरो पर्ने सदस्यलाई एकै जना मान्नुपर्नेछ ।

(५) उपमहानगरपालिकाको वडामा जनसंख्या थोरै भएका कारण हाल कायम रहेको कुनै समुहको संस्थालाई एकीकरण गरी मिलान गर्न समूहगत संख्या नरहने भएको खण्डमा देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछ :

(क) कुनै वडामा संख्या ननिस्केको तेस्रो समुहको संस्थालाई तेस्रो समूहको संख्या निस्केको नगरकै अन्य कुनै वडाको संस्था सँग एकीकरण गर्ने,

(ख) नगरको अन्य कुनै वडा अन्तर्गत समेत तेस्रो समूहको संख्या ननिस्केकोमा जिल्ला भित्र तेस्रो समूहको संख्या निस्केको जोडिएको वा अन्य महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिका अर्न्तातको संस्था सँग एकीकरण गर्ने ,

(ग) नगरको कुनै वडामा संख्या ननिस्केको दोस्रो समूहको संस्थालाई दोस्रो समूहको संख्या निस्केको अन्य कुनै वडा अन्तर्गतको संस्था सँग एकीकरण गर्ने,

१४. **उपसमूहगत रुपमा एकीकरण गर्नुपर्ने :**उपमहानगरपालिकाको वडामा दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) बमोजिम पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो कुनै समुहमा एकीकरण पछि कायम हुने संस्था एक भन्दा बढी पर्ने अवस्थामा सम्वन्धित समुह अन्तर्गतका संस्थाहरुलाई एक-आपसमा सदस्यता दोहोरिएको आधारमा एकीकरण पछि कायम हुने संस्था संख्या बराबरको उपसमूहमा राखी उपसमूहगत रुपमा एकीकरण गर्नुपर्नेछ ।

तर महिला मात्रका र मिश्रित सदस्यहुने संस्थाहरुको उपसमूह छुट्टाछुट्टै कायम गर्नुपर्नेछ ।

१५. **प्रक्रियागत समन्वय** :(१) शाखाले दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजिमका संस्थाहरुको विवरण यथासीघ्र प्रदेशको नियामक निकाय र विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त विवरणका आधारमा प्रदेशको नियामक निकाय वा विभागले सम्वन्धित सहकारी संस्थाको एकीकरण प्रक्रियामा समन्वय गरिदिनुपर्नेछ ।

१६. **विशेष संस्था यथावतै राख्नुपर्ने :**दफा १३ मा जनुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियमावलकिो नियम २७ को उपनियम (४) मा व्यवस्था भए अनुरुप उपमहानगरपालिकाको वडा भित्र विशेष रुपमा पिछडिएको समुदायमा स्थापित संस्थाको साङ्गठनिक गतिशीलतामा असर पर्ने देखिएकोमा त्यस्तो संस्थालाई यथावतै राखी बाँकीको हकमा मात्र स्वैच्छिक एकीकरणद्वारा संख्या मिलान गर्नुपर्नेछ ।

१७. **पृथक् सूचीका संस्थाको एकीकरण :**दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिमको पृथक सूचीमा रहेको सोही दफाको उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको कुनै संस्था सञ्चालनको अवस्थामा अपेक्षित प्रगति भएको कारण शीघ्र सुधार कारवाइ (प्रोम्ट करेक्टिभ एयाक्सन) वा निगरानी सूचीबाट हटाइएकोमा त्यस्तो संस्थाका हकमा समेत शाखाले दफा १३ बमोजिम नियावलीको नियम ४ को उपनियम (३) मा दिइएको म्याद भित्र स्वैच्छिक एकीकरणबाट संख्या मिलानको प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्नेछ ।

१८. **बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्न रोक लगाउनु पर्ने :**(१) शाखाले दफा १३ वा १७ बमोजिम स्वैच्छिक एकीकरणको प्रक्रियामा सहभागी हुन नचाहेको वा चाहेर पनि वित्तीय अवस्था लगायतको कारणबाट स्वैच्छिक एकीकरणको प्रक्रियामा सहभागी भएका संस्थाहरुले एकीकरणका लागि सहमति नजनाएको संस्थालाई नियमावलीको नियम ४ को उपनियम (३) मा दिइएको म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि बचत तथा ऋणको मूख्य कारोवार गर्न रोक लगाउनु पर्नेछ ।

तर ऐनको दफा ४० को उपदफा (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित बचत तथा ऋण संस्था बाहेकका वहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाको हकमा तदनुसारकै म्याद सकिएको भोलिपल्ट देखि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्नमा रोक लगाउनु पर्नेछ ।

(२) यस उपमहानगरपालिकाको वडामा एकिकरण गर्नुपर्ने संस्था दुइ वटा मात्र भएको र एउटा संस्थाले अर्को संस्थालाई स्वैच्छिक एकीकरणका लागि सहमति नजनाएकोमा विभागबाट स्वीकृत जोखिमावस्था वर्गीकरणमा घटी जोखिमावस्थामा रहेको संस्थालाई कायमै राखी बढी जोखिममावस्थामा रहेको संस्थाका हकमा उपदफा (१) बमोजिम मुख्य कारोवार गर्न रोक लगाउनुपर्नेछ ।

१९. **संस्था सारी संख्या मिलान गर्न नहुने :** यस उपमहानगरपालिकाको एउटा वडामा रहेको संस्था अर्को वडामा सारी वा त्यस्तो संस्थाको मुख्य कार्यालय रहिआएको साबिकको ठेगाना परिवर्तन गरी दफा (३) बमोजिम कायम गरिएको अधिकतम संस्था संख्या सँग मिलान गर्नू हुदैन ।

२०. **सहजीकरण गर्नुपर्ने** : (१) दफा १३ बमोजिम स्वैच्छिक एकीकरणबाट संस्था संख्या मिलान गर्ने सिलसिलामा नियामक निकायले वडागत, संस्थागत वा उपयुक्त अन्य रुपमा सम्वन्धित संस्थाका प्रतिनिधी डाकी वा त्यसरी डाकिएको स्थलमा पुगी समायोजन प्रक्रियामा प्रकाश पारी वा तत्सम्बन्धमा कुनै

द्विविधा भए प्रस्ट गाई वा सम्वन्धित सहकारी संस्थाको आवश्यकता अनुसारको सहयोग पुऱ्याई सहजीकरण गर्नुपर्नेछ ।

(२) नियामक निकायले सहकारी आन्दोलनको प्रवर्धन, वित्तीय सुशासनका मानकहरु, समुदायमा आधारित सहकारीताको विकासका लागि ऐन, नियमावली लगायतका विषयमा आम सदस्यहरुलाई सुसूचित गराउने उद्देश्यले शिक्षा शिविर, अनुशिक्षण, अन्तरक्रिया जस्ता विभिन्न सचेतनामूलक कार्यकलाप समेत सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम सहजीकरण वा सचेतना मूलक कार्यकलाप सञ्चालन गर्दा नियामक निकायले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित संघको समेत सहयोग लिन सक्नेछ ।

२१. **विभाजन गरी एकीकरणको प्रक्रियामा समावेश हुन सक्ने** :दफा (८) को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमेजिमको संस्थाका साथै दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम एकीकरणद्वारा समायोजन हुन नसकेको संस्था विभाजन गरी दफा (१३) बमोजिम नियमावलीको नियम (४) को उपनियम (३) मा दिइएको म्याद भित्र स्वैच्छिक एकीकरणबाट संख्या मिलानको प्रक्रियामा समावेश हुन सक्नेछ ।

२२. **विषय परिवर्तन :** (१) दफा १३ वा १७ वा २१ बमोजिम स्वैच्छिक एकीकरणको प्रक्रियामा सहभागी हुन नचाहेको वा चाहेर पनि वित्तिय अवस्था लगायतको कारणबाट स्वैच्छिक एकीकरणको प्रक्रियामा सहभागि भएका संस्थाहरुले एकीकरणका लागि सहमति नजनाएको बचतऋणको मुख्य कारोवार गरेको संस्थाले नियमावलीको नियम ७ मा व्यवस्था भएबमोजिम बिषय परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

(२) दफा (१८) बमोजिम बचतऋणको मुख्य कारोवार गर्नमा रोक लगाइएको संस्थाले बिषय परिवर्तन गर्न चाहेमा नियामक निकायले मनासिब माफिकको समय दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको समयमा संस्थाले बचतऋणको मुख्य कारोवार गर्न सक्नेछैन ।

तर दफा २१ बमोजिमको संस्थाको हकमा यो उपदफा लागु हुने छैन ।

## परिच्छेद-४

## एकीकरण वा विभाजन प्रस्ताव तर्जुमा

२३. **संयोजन कार्यदल गठन :** (१) एकीकरण वा विभाजनको कार्य व्यवस्थित तुल्याउन सम्वन्धित सहकारी संस्था वा संस्थाहरुले संयोजन कार्यदल गठन गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम एकीकरण संयोजन कार्यदल गठन गर्दा एकीकरण गरिने सहकारी संस्थाहरुका तर्फबाट कुनै एकले वा त्यस्ता सहकारी संस्थाहरु सदस्य रहेको संघ वा महासंघले प्रत्येक सहकारी संस्थाका सबै सञ्चालकका साथै लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक एवं सदस्यहरुलाई डाकेको संयुक्त

बैठकले प्रत्येक सहकारी संस्थाबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत कम्तीमा तीन जनाका दरले प्रतिनिधी चयन गरी जेष्ठ अध्यक्षलाई संयोजक तोक्नुपर्नेछ ।

(३) संयोजन कार्यदलमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक वा सदस्यलाई राख्नु हुँदैन ।

२४. **नियामक निकायमा जानकारी पठाउनुपर्ने** : (१) दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम संयोजन कार्यदल गठन भएको तीन दिन भित्र संयोजन कार्यदलको अध्यक्षले गठन विधी समेत खुलाएर सोको जानकारी नियामक निकायम पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सम्प्रेषण गरेका भएमा पनि नियामक निकायमा जानकारी पठाएको मानिनेछ ।

२५. **प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने :** (१) संयोजन कार्यदलले ऐन, नियमावली र यस कार्यविधीको व्यवस्थाको अधिनमा रही एकीकरण शर्त तथा कार्यविधी समेत खुलाएर अनुसूची ४ को ढाँचामा एकीकरणको प्रस्ताव तयार पर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव तयार पर्दा सहकारी संस्थाको विषय प्रकृति अनुसार देहायको अवस्थामा देहायबमोजिम गर्नुपर्नेछ :-

(क) बचतऋणको मुख्य कारोबार गरिरहेको बहुउद्देश्यीय, कृषि वा बचतऋण बाहेको अन्य बिषयगत सहकारी संस्था एकीकरण गरी वचत तथा ऋणको विषयगत सहकारी संस्था कायम हुनेमा त्यस्तो सहकारी संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा प्रशोधन कारखाना, सङ्कलन केन्द्र वा विक्रि कक्ष, आपसी सुरक्षण लगायत बचत ऋण बाहेकको व्यवसाय चलाएको भए बन्द गरी त्इसतर्फको सम्पूर्ण दायित्व परफारक गरी सम्पत्ति नगदमा परिण गरिसक्नुपर्ने र

(ख) बचत ऋणको मुख्य कारोवार गरिरहेको बहुउद्देश्यीय, कृषि वा बचतऋण बाहेकको अन्य विषयगत सहकारी संस्था एकीकरण गरी बचतऋणको मुख्य कारोवार नगर्ने बहुउद्देश्यीय, कृषि वा बचतऋण बाहेकको अन्य बिषयगत सहकारी संस्थाा कायम हुनेमा त्यस्तो सहकारी संस्थाले ऐनको दफा ४० को उपदफा (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश मा व्यवस्था भए अन्तर्गत दिइएको म्याद भित्र बचतऋणको मुख्य कारोवार नरहने सुनिश्चित गरी नियामक निकायलाई मान्य कार्ययोजना समावेश गरेको हुनुपर्नेछ ।

(३) सहकारी संस्थाले उपदफा (२) बमोजिमको व्यवस्था संयुक्त साधारण सभाबाट एकीकरण को निर्णय गर्नु अगावै मिलाइसकेको हुनुपर्नेछ ।

२६. **शर्त राख्न नहुने :** दफा २५ बमोजिम एकीकरणको प्रस्तावमा देहायको कुनै शर्त राख्नु हुदैन :

(क) खला सदस्यताको सर्वमान्य सहकारी सिद्धान्त विपरित सदस्यले साविकको संस्थामा लिएको शेयरभन्दा बढी संख्या वा मुल्यको शेयर लिनुपर्ने वा कुनै सदस्यलाई पहिले खरिद गरेको न्यूनतम भन्दा

बढी शेयरको रकम फिर्ता दिने वा शेयरको संख्या वा रकम समायोजन बापत भनी कुनै किसिमको रकम भुक्तानी दिने, त्यस्तो सदस्यको दायित्व फछ्र्यौट गर्ने वा अन्य कुनै रुपमा तदनुसारको हिसाबमा जनाउने,

(ख) जगेडा कोषको एवं संयुक्त सम्पत्तिको अविभाज्यताको सर्वमान्य सहकारी सिद्धान्त विपरीत जगेडा कोष वा स्थिर सम्पत्तिको हिसाब मिलान बापत भनी कुनै सदस्यले कुनै किसिमको थप रकम बुझाउनुपर्ने वा कुनै सदस्यलाई कुनै किसिमको रकम भुक्तानी दिने, त्यस्तो सदस्यको दायित्व फछ्र्यौट गर्ने वा अन्य कुनै रुपमा तदनुसारको हिसाब देखाउने,

(ग) सदस्यको लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको सिद्धान्त विपरित कुनै सदस्यलाई कुनै कारण नदेखाई वा देखाई कुनै अवधिसम्म सञ्चालक वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा कायमै राख्ने,

(घ) परिच्छेद ६ को व्यवस्था विपरीत हिसाब मिलान वा समायोजन गर्ने वा

(ङ) ऐन, नियमावली वा सर्वमान्य सहकारी सिद्धान्त, मुल्य र मान्यता विपरीतको अन्य कुनै शर्त ।

तर-

(१) खण्ड (क) मा लेखिएको कुनै कुराले ऐनकाने दफा ४३ को उपदफा (३) मा व्यवस्था भए बमोजिम शेयरको अङ्कित मुल्य राखी सदस्यले साबिकमा खरिद गरेको शेयरको रकम बराबर शेयर संख्या कायम गर्न बाधा गर्ने छैन ।

(२) खण्ड (ख) मा लेखिएको कुनै कुराले ऐनको दफा ४० को उपदफा (७) मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्राथमिक पुँजी कोष नपुग भएको वा सञ्चित घाटा भएको बचतऋणको कारोवार गर्ने सहकरी संस्थाको बचतऋणको कारोवार सुचारु राख्न नपुग भएको प्राथमिक पुँजी वा सञ्चित रहेको घाटाको रकम साविक सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले स्वैच्छिक रुपमा थप शेयर खरिद गरी पूर्ति गरिसकेपछि मात्र एकीकरण वा विभाजनको प्रक्रियामा प्रारम्भ गर्ने गरी शर्त राख्न वाधा गर्ने छैन ।

२७. **प्रावधान राख्न नहुने :** दफा २५ बमोजिमको एकीकरण प्रस्तावमा समावेश हुने कार्यविधीममा देहायको कुनै प्रावधान राख्नु हुदैन :

(क) साधारण सभाको निर्णय अगावै कुने प्रक्रियाा प्रारम्भ गर्ने,

(ख) नियमावलीको नियम २९ मा व्यवस्था भए अनुरुप उपमहानगरपालिका, प्रदेश वा संघिय सरकार, वैक वा वित्तिय संस्था वा दातृ निकायको ऋण, अनुदान वा अन्य प्रकारको सहयोग रकम वा जेथा रहेको संस्थाको हकमा सम्वन्धित निकायको पूर्व सहमति विना खण्ड (क) पछिको प्रक्रिया अघि बढाउने,

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम पूर्व सहमति चाहिनेमा सो समेतका आधारमा नियामक निकायको पूर्व स्विकृति नलिई त्यस उप्रान्तको प्रक्रिया अघि बढाउने,

(घ) दर्ता गर्ने अधिकारी वा निजवाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले एकीकरण वा विभाजनको प्रस्ताव स्वीकृत गरी ऐनको दफा २० को उपदफा (२) मा व्यवस्था भए बमोजिम एकीकृत सहकारी संस्थाको विनियम स्वीकृत नगर्दा सम्म साबिकको नाम फर्ने,नयाँ नामबाट काम कारोबार थाल्ने, साबिक वा नयाँ नामबाट नयाँ सदस्यता दिने वा आन्तरिक कार्यविधीमा संशोधन, कर्मचारी समायोजना लगायतका कामकुरा गर्ने,

(ङ) साधारण सभाबाट गर्नुपर्ने निर्णयका हकमा साधारण सभाबाट पछि अनुमोदन गराउने गरी भनी प्रतिनिधी, समिति, संयोजन कार्यदल वा अन्य कुनै प्रतिनिधीमुलक अङ्ग वा बैठकले कुनै निर्णय गर्न सक्ने,

(च) सहकारी संस्थाको स्वीकृत विनियम वा आन्तरिक कार्यविधीको ऐन, नियमाबली वा इटहरी उपमहानगरपालिकाको कानुन वा स्वीकृत कार्यविधी, मानदण्ड सम्मत व्यवस्था सँग बाझिने र

(छ) ऐन, नियमावली को काननु वा सर्वमान्य सहकारी सिद्धान्त , मूल्य र मान्यता विपरितको अन्य कुनै प्रावधान तर,

(१) खण्ड (क) मा लेखिएको कुनै कुराले साधारण सभाको पूर्व तयारीका सिलसिलामा सम्वन्धित अर्को सहकारी संस्था, नियामक निकाय वा खण्ड (ग) मा उल्लिखित निकायसँग कुनै कुरा बुझ्ने, कागतपत्र आदान-प्रदान गर्ने वा अनौपचारिक स्तरमा कुराकानी गर्ने गरी कार्यविधीमा प्रस्ताव गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(२) खण्ड (ङ) मा लेखिएको कुनै कुराले मनासिब व्यवहारिक कारण परी तत्काल पेश गर्न नसकिएको कुनै फेहरिस्त वा विस्तृत वा तत्काल टुङो लाग्न नसकिएको विषयका सम्वन्धमा साधाण सभाको विचारार्थ पछि पेश गर्ने गरी अन्य कार्यहरु गर्दै रहने गरी सधारण सभाको स्वीकृती लिन सकिने व्यवस्था कार्यविधीमा प्रस्ताव गर्न बाधा पर्ने छैन ।

२८ **प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिने** : (१) संयोजन कार्यदलले तर्जुमा गरेको प्रस्तावको प्रारुप संलग्न सहकारी संस्था वा संस्थाहरको सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति लगायत गठित सहकारी सँग सम्वद्ध उपसमितिको विस्तारित बैठकमा पेश गरी त्यसमा बैठकको कुनै राय, सुझाब भए उपयुक्त राय, सुझाव समावेश गरेर प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिनु पर्नेछ ।

(२)उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव फिर्ता प्राप्त भएकोमा संयोजन कार्यदलले यथाशीघ्र पुनर्विचार गरी कुने कुरा संशोधन गर्नुपर्ने भए गरिएको संशोधनको व्यहोरा र गर्नु नपर्ने भए नपर्नाको कारण समेत खुलाएर पुनः समितिमा पठाउनु पर्नेछ ।

२९ **प्रस्ताव फिर्ता पठाउन सक्ने** :(१) दफा २८ बमोजिम संयोजन कार्यदलबाट अन्तिम रुप दिइएको प्रस्तावमा विस्तारित बैठकबाट प्रदान गरिएको उपयुक्त सुझाब समावेश गर्न छुट भएको वा अर्को सहकारी संस्थाका तर्फबाट व्यक्त कुनै सरोकार सम्बोधन नभएको वा त्यस बीचमा कुनै नयाँ विषयका सम्वन्धमा विशेषतः प्रस्ट पार्नुपर्ने वा कुनै व्यवस्थामा थपघट गर्नुपर्ने देखिएकोमा समितिले तत्सम्वन्धी व्यहोरा जनाएर पुनर्विचार गर्न संयोजन कार्यदलमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव फिर्ता प्राप्त भएकोमा संयोजन कार्यदलले यथाशीघ्र पुनर्विचार गरी कुनै कुरा संशोधन गर्नुपर्ने भए गरिएको संसोधनको व्यहोरा र गर्नु नपर्ने भए नपर्नाको कारण समेत खुलाएर पुनः समितिमा पठाउनु पर्नेछ ।

## परिच्छेद ५

## एकीकरण प्रस्तावको स्वीकृति

३० **साधारण सभामा प्रस्ताव पेश गर्ने :** (१) संयोजन कार्यदलबाट दफा २८ को उपदफा (२) बमोजिम अन्तिम रुप दिइ वा दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिम पुनर्विचार गरी प्राप्त हुन आएको प्रस्ताव समितिले ऐन को दफा ६७ को उपदफा (२) व्यवस्था भए बमोजिम साधारण सभाको विचारार्थ पेश गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनार्थ समितिले ऐनको दफा २९ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) मा व्यवस्था भए बमोजिम विशेष साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ ।

तर यसमा लेखिएको कुनै कुराले बार्षिक साधारण सभामा प्रस्ताव राख्न वाधा पर्ने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्दा दफा २९ को उपदफा (१) अन्तर्गत संयोजन कार्यदललाई पुनर्विचारका लागि प्रस्ताव फिर्ता पठाइएको भए अनुसूची ५ को ढाँचामा तत्सम्वन्धी व्यहोरा समेत जनाउनुपर्नेछ ।

(४) एकीकरणको प्रस्तावमा दफा ३१ बमोजिम अर्को सहकारी संस्थाबाट त्यसबीच कुनै निर्णय भई जनाकारी प्राप्त भएको भए तत्सम्वन्धी बेहोरा समेत उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्दा खुलाउनु पर्नेछ ।

३१ **निर्णयको जानकारी पठाउनु पर्ने :** (१) दफा ३० बमोजिम पेश भएको एकीकरणको प्रस्तावका सम्वन्धमा साधारा सभामा भएको निर्णयको जानकारी सम्वन्धित सहकारी संस्थामा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी पठाउँदा साधारण सभाबाट प्रस्ताबको कुनै कुरा संशोधन गरी पारित भएको भए अनुसूची ५ को ढाँचामा तत्सम्बन्धी व्यहोरा समेत जनाउनु पर्नेछ ।

३२ **पूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन दिने :** (१) सहकारी संस्थाले दफा ३० बमोजिम साधारण सभा र पुनर्सङ्गठन भए पुनर्सङ्गठन क्षेत्र विशेषका सदस्यहरुको भेला समेतको सैद्धान्तिक स्वीकृति पछि एकीकरण वा विभाजनका लागि नियामक निकायको पूर्व स्वीकृतिका लागि अनुसूची ६ को ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदनमा समितिको अध्यक्षले सहकारी संस्थाको छाप लगाएर हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्नेछ :

(३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन साथ देहायका कागजात संलग्न गर्नुपर्नेछ :

(क) ऐनको दफा ६७ को उपदफा (२) मा व्यवस्था भए बमोजिम बहुमतबाट भएको साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपी,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम साधारण सभाबाट स्वीकृत अनुसूचि ४ को ढाँचामा एकीकरण वा विभाजनको प्रस्ताव,

(ग) नियमावली को नियम २९ मा व्यवस्था भए बमोजिम सम्वन्धित निकायको पूर्व स्वीकृति पत्र

(घ) स्थाइ लेखा नम्वर लिएको सहकारी संस्थाको हकमा सम्वन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयको सहमति पत्र,

(ङ) नियामक निकायले तोकेको अन्य विवरण वा सम्पुष्टिजनक कागतपत्र ।

३३ **पूर्व स्वीकृति दिने :** (१) नियामक निकायले दफा ३२ बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको पन्ध्र दिन भित्र निवेदन तथा सो साथ संलग्न कागजातको जाँच गरी सहकारी सिद्धान्त, मुल्य, मान्यताका साथै प्रचलित सहकारी ऐन ,नियमावली र यस कार्यविधीको व्यवस्था अनुरुप भएको पाइएका सहकारी संस्थालाई एकीकरण वा विभाजनको पूर्व स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पूर्व स्वीकृति दिँदा नियामक निकायले सहकारी संस्थाबाट प्राप्त भउको कागतपत्रका आधारमा एकीकरण वा विभाजनको कुनै कुरा सहकारी सिद्धान्त, मुल्य, मान्यता वा प्रचलित सहकारी ऐन, नियमावली र यस कार्यविधीको व्यवस्था अनुरुप नभएकोमा त्यसमा सच्याउनु पर्ने व्यहोरा समेत जनाउनु पर्नेछ ।

(३) एकीकरणको हकमा उपदफा (१) बमोजिम अवधि गणना गर्दा अन्तिम सहकारी संथाका तर्फबाट निवदेन प्राप्त भएको मितिको आधार लिइनेछ ।

(४) कानुमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यस दफा बमोजिम दिइएको पूर्व स्वीकृतिको मान्य अवधि ६ महिना हुनेछ ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनासिब कारण परि सम्वन्धित सहकारी संस्था वा संस्थाहरुको निवेदन प्राप्त भउकोमा नियामक निकायले पूर्व स्वीकृतिको मान्य अवधि तीन महिना सम्म थप गरिदिन सक्नेछ ।

**३४ संयुक्त साधारण सभा :** (१) दफा ३३ बमोजिम नियामक निकायको पूर्व स्वीकृतिप्राप्त भएपछि संयोजन कार्यदलको अध्यक्षले सम्वद्ध अन्य सहकारी संस्थाका अध्यक्षसँग परामर्श गरी उपयुक्त मिति, समय र स्थानमा संयुक्त साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ ।

(२) संयोजन कार्यदलको अध्यक्ष देश बाहिर रहेको वा अन्य विशेष कारणले बैठक बोलाउने अवस्थामा नरहेको खण्डमा संयोजन कार्यदलमा रहेका समितिका अध्यक्षहरु मध्येको जेष्ठ सदस्यले उपदफा (१) बमोजिम संयुक्त साधारण सभा बोलउन सक्नेछ ।

(३) संयुक्त साधारण सभाको बेठकको अध्यक्षता संयोजन कार्यदलको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित संयोजन कार्यदलमा रहेका समितिका अध्यक्षहरु मध्येको जेष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।

३५ **संयुक्त साधारण सभाको कार्यसूची :** (१) संयुक्त साधारण सभाको कार्यसूची देहाय बमोजिम हुनेछ :

(क) प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिइ पारित गर्ने,

(ख) एकीकरण वा विभाजन पछि कायम हुने सहकारी संस्थाको कार्ययोजन स्वीकृत गर्ने,

(ग) एकीकरण वा विभाजन पछि कायम हुने सहकारी संस्थाको प्रस्तावित विनियम मस्यौदा पारित गर्ने,

(घ) दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) वा (ख) को अवस्था भए सम्वन्धित सहकारी संस्थाले तदनुसारको व्यवस्था मिलाइसके, नसकेको सम्वन्धमा संयोजन कार्यदलका तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवदेनमा विचार गरी अनुमोदन गर्नेवा तत्सम्वन्धमा जो चाहिने निर्देशन दिने,

(ङ) दर्ता गर्ने अधिकारी ले एकीकरण वा विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत गरेका दिन देखि एकीकरण वा विभाजन पछि कायम हुने सहकारी संस्थाको पहिलो विधिवत साधारण सभा नबसुन्जेल दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि तदर्थ समिति गठन गर्ने,

(च) एकीकरण वा विभाजनको हिसाव मिलान प्रमाणित गर्न इजाजत प्राप्त लखापरिक्षक नियुक्त गरी पारिश्रमिक तोक्ने,

(छ) एकीकरण वा विभाजन पछि कायम हुने सहकारी संस्थाको सङ्गठन तालिकाका साथै अनुसूची ७ को ढाँचामा कर्मचारी दरबन्दी संरचना एवं साबिकको सहकारी संस्थाबाट संमायोजन हुने र्कचारीको पद मिलान तालिका स्वीकृत गर्ने,

(ज) संयोजन कार्यदलको खचृको फाँटबारी अनुमोदनका साथै त्यस्तो खर्च सम्वद्ध सहकारी संस्थाहरुले के-कस्तो आधार र अनुपातमा व्यहोर्ने भन्ने तय गर्ने र

(झ) एकीकरण वा विभाजनको प्रयोजन पूरा गर्ने वा सोको सिलसिलामा आवश्यक हुने कार्यका लागि संयोजन कार्यदलले पेश गरेको अन्य प्रस्तावमा विचार गरी निकासा दिने ।

(२) विभाजनका सिलसिलामा उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम तदर्थ समिति गठन गर्दा संयुक्त साधारण सभाबाट स्वीकृत भएको प्रस्तावका आधारमा विभाजन भई कायम हुने सहकारी संस्थातर्फ पर्ने सदस्यहरु आ-आफ्नो सहकारी संस्थाको हकमा मात्र तत्सम्वन्धी प्रक्रियामा सहभागि हुन सक्नेछन् ।

३६ **संयुक्त साधारण सभा सम्वन्धी विशेष व्यवस्था :** (१) उपदफा ३४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तपानि ऐनको दफा ३० को उपदफा ६ मा उल्लिखित सदस्य संख्या भएको संस्थाको हकमा सहकारी संस्थाको सधारण सभा ( कार्यव्यवस्था) निर्देशिका २०७६ को व्यवस्था बमोजिम साधारण सभाको अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्न बनेको एकाइ प्रतिनिधीहरुको सभाले नै संयुक्त साधारण सभाको कार्य गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमकको एकाइ प्रतिनिधीहरुको सभामा सम्वद्ध सहकारी संस्थाहरुको प्रतिनिधी संख्या बराबर नहुने रहेछ भने सबभन्दा बढी प्रतिनिधी हुने सहकारी संस्थाको संख्या कायमै राखी त्यस भन्दा घटी संख्या हुने सहकारी संस्थाको दफा ३० बमोजिम बसेको साधारण सभाले नै संयुक्त साधारण सभाको प्रयोजनका लागि घटी भएजति थप प्रतिनिधी चयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(३) एकीकरण गरिने सहकारी संस्थाहरु कुनैमा मात्र उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था भएको खण्डमा बाँकी सहकारी संस्थाहरुको हकमा समेत उपदफा (२) बमोजिम संयुक्त साधारण सभाको प्रयोजनका लागि त्यति नै संख्यामा प्रतिनिधीहरु चयन गरिपठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

३७ **संयुक्त साधारण सभाको गणपुरक संख्या र निर्णय :** (१) उपदफा (२) बमोजिम प्रस्ताव पारित गर्न न्यूनत्तम रुपमा आवश्यक सदस्यहरुको उपस्थिति भएमा संयुक्त साधारण सभाको बैठकको गणपुरक संख्या मानिने छ ।

(२) संयुक्त साधारण सभामा पेश भएको प्रस्ताव सम्वद्ध सबै सहकारी संस्थाहहरुको गरी हुने कुल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित गनुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३५ को उपदफा ((१) को खण्ड (ज) बमोजिमको निार्ण्य बैठकमा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतबाट गर्न सकिनेछ ।

(४) दफा ३६ बमोजिम संयुक्त साधारण सभा बसेकोमा सम्वद्ध प्रत्येक सहकारी संस्थाका जम्मा प्रतिनिधीहरुको बहुसंख्या सहितको उपस्थिति भएको खण्डमा बैठकको गणपुरक संख्या पुगेको मनिनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम बसेको संयुक्त साधारण सभाले सबै सहकारी संस्थाहरुको गरी हुने कुल कायम रहेको प्रतिनिधी संख्याको बहुमतबाट पेश भएको प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछ ।

३८ **कार्यविधीका व्यवस्था लागु हुने :** दफा ३६ र ३७ को अधिनमा रही साधारण सभाको बैठक सञ्चालन, निर्णिय प्रक्रिया एवं निर्णय प्रमाणीकरण लगायतका सहकारी संस्थाको सधारण सभा(कार्याव्यवस्था ) कार्यविधी,२०७६ को व्यवस्था संयुक्त साधारण सभाको बैठकको हकमा पनि समान रुपमा लागु हुनेछन् ।

३९ **संयुक्त साधारण सभाको कार्यमा निर्वान्धन :** संयुक्त साधारण सभाले दफा ३० बमोजिम पारितत भउको प्रस्तावको भावना एवं एकीकरण वा विभाजनको आधारभूत शर्त विपरित प्रस्ताव वा प्रस्तावित विनियमको मास्यौदा पारित गर्नु वा अन्य कुनै निर्णय गर्नू हुदैन ।

तर संयुक्त साधारण सभामा पेश भएको प्रस्तावमा साधराण सभाबाट पारित भउको प्रस्तावको कुनै कुरा छुटेकोमा समावेश गरी, प्रस्ट नभएको कुनै कुरा प्रस्ट पारी वा फरक अर्थमा बुझिने कुनै कुरा एकै अर्थमा बुझिने शव्दावली राखी संशोधन गरेर वा अनुषङ्गिक सुधार वा अनायास हुन गएको त्रुटी सच्याएर पारित गर्न बाधा पर्ने छैन ।

४० **संयोजन कार्यदल स्वतः विघटित हुने :** दफा ३४ र ३६ बमोजिम बसेको संयुक्त साधारण सभाको कारबाइ समाप्त भएपछि संयोजन कार्यदल स्वतः विघटित हुनेछ ।

तर कार्यसूचीका सबै षिय टुङ्गो नलागी वा कुने विषयमा थप बुझ्नुपर्ने भएकोमा त्यसरी अन्तिम पल्ट बस्ने बैठकको कारबाइ समाप्त नहुन्जेली संयोजन कार्यदल कायमै रहनेछ ।

४१ **प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि दरखास्त दिने :** (१) संयुक्त साधारण सभाबाट पारित भएको प्रस्तावका साथै एकीकरण वा विभाजन पछि कायम हुने सहकारी संस्था वा संस्थाहरुको विनियम ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) मा व्यवस्था भए बमोजिम स्वीकृतिका लागि सम्वन्धित सहकारी संस्थाको समितिको तर्फबाट अध्यक्षहरुले आआफ्नो संस्थाको छाप लगाएर दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष अनुसूची ८ को ढाँचामा दरखास्त दिनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त साथ देहायका कागतपत्र संलग्न गर्नुपर्नेछ :

(क) संयुक्त साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपी,

(ख) संयुक्त साधारण सभाबाट पारित भएको प्रस्तावको दुइ प्रति,

(ग) एकीकरण वा विभाजन पछि कायम हुने सहकारी संस्थाको कार्ययोजनाको दुइ प्रति,

(घ) विनियमको मस्यौदाको दुइ प्रति र

(ङ) नियामक निकयाले तोकेको अन्य विवरण वा सम्पुष्टिजनक कागतपत्र ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम एकिकरण वा विभाजन पछि कायम हुने सहकारी संस्थाको विनियमको मस्यौदामा एकीकरण वा विभाजन पूर्वको सहकारी संस्थाको विनियम बमोजिम भए गरेको काम कारोवर यसै विनियम बमोजिम भए गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था समेत राख्नुपर्नेछ ।

४२ **प्रस्तावको स्वीकृति :** दर्ता गर्ने अधिकारी ले दफा ४१ बमोजिम प्राप्त भएको दरखास्त उपर साधारण तय पन्ध्र दिन भित्र आवश्यक जाँचबुझ गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त अनुसूची ९ को ढाँचामा एकीकरण वा विभाजनका लागि प्रस्ताव प्राप्त हुन आएको व्यहोर खुलाएर कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद राखी तत्सम्वन्धमा सरोकारबाल कसैको कुनै सरोकार, गुनासो वा उजुरी भए निवेदन दिन आव्हान गरी कायाृलयका सथै सम्वन्धित स्थानीय तह वा वडा कार्यालयहरुमा सूचना टाँस एवं बेवसाइट भए बेवसाइट

मार्फत सम्प्रेषण गरी सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र जिल्ला भित्र भए स्थानीय र जिल्ला बाहिर भए कम्तीमा राष्ट्रिय स्तरको कुनै एक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको म्याद भित्र कुने निवेदन प्राप्त भएकोमा नियामक निकायले तत्सम्वन्धमा छानविन गरी ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम गर्नुपनेृछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त दरखास्त उपर उपदफा (२) बमोजिम निवदेन परेकोमा सोको छानबिन समेत जाँचबुझ गर्दा सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तका साथै ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था अनुरुप भएको पाइएमा प्रस्ताव र विनियम स्वीकृत गरी स्वीकृत विनियम को कार्यालय प्रति राखी अर्को प्रति सम्वन्धित सहकारी संस्थामा पठाउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम विनियम स्वीकृत गर्दा सोको अन्तिम पृष्ठमा मिति...............को निर्णयबाट एकीकरण/विभाजन गरी विनियम स्वीकृत भन्ने व्यहोरा जनाउनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त वा ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था नभएको पाइएमा सोही व्यहोरा जनाइ तदनुरुप गरी पशे गर्न प्राप्त प्रस्ताव, विनियम र कार्ययोजनाको दोस्रो प्रति सम्वन्धित सहकारी संस्थामा फिर्ता पठाउर्नेछ ।

(७) उपदफा (४) बमोजिमको व्यहोरा सच्याई प्राप्त भएको सधारणतया सात दिन भित्र प्रस्ताव र विनियम स्वीकृत निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ ।

४३ **नाम, दर्ता नम्बर र लगत संशोधन :** (१) दर्ता गर्ने अधिकारीले दफा ४२ बमोजिम एकिकरण भई कायम हुने सहकारी संस्थाको नाम र दर्ता नम्वर सम्वन्धमा देहायको अवस्थामा देहायको अवस्थामा देहायबमोजिम गरी लगत संसोधन गर्नुपर्नेछ :

(क) साविकको कुनै सहकारी संस्थाको नाम यथावत राख्ने गरी प्रस्ताव भइ आएकोमा त्यस्तो सहकारी संस्थााको नामका साथै दर्ता नम्वर समेत यथावत राखी दर्ता कितावमा मिति ...................को निर्णयवाट..........................................र ..............................सहकारी संस्थाहरु समेत एकीकरण गरीएको भन्ने व्यहोरा खुलाउने ।

(ख) खण्ड (क) को अवस्थामा साविक नाम तथा दर्ता नम्वर कायम गरिएको सहकारी संस्था बाहेकका एकीकृत गरिएका अन्य सहकारी संस्थाहरु प्रत्येकको हकमा मिति...............................को निर्णयबाट.............................सहकारी संस्थामा एकीकरण गरिएको भन्ने व्यहोरा जनाएर लगत कट्टी गरिदिने।

(ग) साविकको कुनै सहकारी संस्थाको नाम हुबहु नमिल्ने गरी एकीकरण पछि कायम हुने सहकारि संस्थाको नाम राख्ने प्रस्ताव भइआएकोमा नयाँ नामको सहकारी सस्ंथा दर्ता गरी दर्ता कितावको कैफियत महलमा मिति ............................को निर्णयबाट

............................र............................सहकारी संस्थाहरु एकीकरण गरी नयाँ नाम तथा दर्ता नम्वर दिइएको भन्ने व्यहोरा जनाइराख्ने र

(घ) खण्ड (ग) को अवस्थामा एकीकृत गरिएका सहकारी संस्थाहरु प्रत्येकको हकमा मिति.........................को निर्णयबाट................................र ....................सहकारी संस्थासँग एकीकरण गरी दर्ता नं.......................को सहकारी संस्था कायम गरिएको भन्ने व्यहोरा जनाएर लगत कट्टी गरिदिने ।

(२) दफा ४२ बमोजिम विभाजन भई कायम हुने सहकारी संस्थाहरुको नाम र दर्ता नम्वरका सम्वन्धमा दर्ता गर्ने अधिारीले देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिम गरी लगत संशोधन गर्नुपर्नेछः-

(क) विभाजन भई कायम हुने सहकारी संस्थाहरु मध्ये मूल संस्थाको नाम नै रहने गरी प्रस्ताव भई आएको सहकारी संस्थालाई मूल संस्थाको साविकको दर्ता नम्वर नै यथाबत राखि दर्ता कितावमा मिति.................को निर्णयबाट ........................र .....................सहकारी संस्थामा विभाजन हुँदा मूल सहकारी संस्थाको साविकको नाम  तथा दर्ता नम्वर कायम गरिएको भन्ने व्यहोरा जनाउने,

(ख) खण्ड (क) को आवस्थामा साविक नाम तथा दर्ता नम्वर कायम गरिएको सहकारी संस्था बाहेकका सहकारी संस्थाहरु प्रत्येकको हकमा नयाँ नामको सहकारी संस्था दर्ता गरी दर्ता कितावको कैफियत महलमा मिति........................को निर्णयबाट ..........................सहकारी संस्था विभाजन गरी नयाँ नाम तथा दर्ता नम्वर दिइएको भन्ने व्यहोरा जनाउने र

(ग) खण्ड (ख) को आवस्थामा मिति ......................को निर्णयबाट विभाजन गरी .................................र..........................सहकारी संस्थाहरु कायम गरिएको भन्ने व्यहोरा जनाएर मूल संस्थाको लगत कट्टी गरिदिने ।

४४ **दर्ता प्रमाण-पत्र :** दफा ४२ बमोजिम एकीकरण वा विभाजन पछि कायम गरिएको सहकारी संस्थालाई इटहरी उपमहानगरपालिकाको सहकारी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अनुरुप प्रमाण पत्र दिनुपर्नेछ ।

तर साविककै दर्ता नम्वर कायम गरिएको सहकारी स्थाको हकमा दर्ता प्रमाण पत्र दिनुपर्नेछैन ।

४५ **एकीकरण वा विभाजन गरिएको सूचना :** (१) नियामक निकायले दफा ४२ को उपदफा (४) बमोजिम एकीकरण वा विभजन स्वीकृत गरेपछि अनुसूची १० को ढाँचामा तत्सम्वन्धी सूचना कार्यालयमा टाँस गरी बेबसाइट भए बेवसाइटमा राख्नुका साथै सम्वन्धित सरोकारवालाहरुले जानकारी पाउन सक्ने राष्ट्रिय वा स्थानिय एफएम रेडियो, पत्रिका लगायतको सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण वा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनाको प्रति सम्वन्धित नियामक निकायका साथै सहकारी संस्था सदस्य रहेको सघ, सहकारी बैक र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा समेत पठाउनुपर्नेछ ।

(३) सहकारी संस्थाले सदस्यहरुलाई एसएमएस, इमेल लगायतको माध्यमबाट एकीकरण वा विभाजनको जनाकारी दिनुपर्नेछ ।

४६ **अन्तरिम अवधिमा दैनिक कार्य सञ्चालन :** (१) संयुक्त साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित भएपछि दर्ता गर्ने अधिकारीबाट एकीकरण वा विभाजन गरी विनियम स्वीकृत नभएसम्म दफा ६२ को अधिनमा रही सम्वद्ध सहकारी संस्थाको साकिकको समितिले नै दैनिक कार्यसञ्चालन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिमा साबिकको सहकारी संस्थाको साधारण सभाको बैठक डाक्न, साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउने गरी कुनै निर्णय गर्न वा पारित प्रस्ताव उल्लेख भए बमोजिम एकीकरण वा विभाजनको कुनै प्रक्रिया अघि बढाउनु हुँदैन ।

तर यसमा लेखिएको कुनै कुराले साधारण सभा वा संयुक्त साधारण सभाको विधि नपुगेको कारण वा दफा ४२ को उपदफा (६) बमोजिम दर्ता गर्ने अधिकारी बाट फिर्ता प्राप्त हुन आएको प्रस्ताव वा विनियम पुनर्विचार गर्न साधारण सभा वा संयुक्त साधारण सभाको बैठक बोलाउन बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन ।

(३) दर्ता गर्ने अधिकारी बाट प्रस्ताव एवं विनियम अस्वीकृत गरिएको जानकारी प्राप्त भएको खण्डमा सम्बद्ध सहकारी संस्थाको साविक बमोजिमको कार्यसञ्चालनमा उपदफा (१) को निर्वन्धन कायम रहने छैन ।

४७ **स्वीकृतिको बाध्यता नरहने :** दफा ४१ बमोजिमको दरखास्त साथ प्राप्त प्रस्ताव विनियम वा कार्ययोजनाको कुनै कुरा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता वा ऐन, नियमावली वा प्रदेश वा स्थानिय तहको कानुनको व्यवस्था विपरित भएको तथ्य जुनसुकै कारणले पछि खुल्न आएकोमा नियामक निकायले दफा ३३ बमोजिम पूर्व स्वीकृति दिएकै आधारमा प्रस्ताव वा विनियम स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।

४८ **हिसाव मिलान मिति तोक्ने :** (१) एकीकरण वा विभाजनको मिलानको प्रयोजनका लागि संयोजन कार्यदलले मिति तोक्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मिति तोक्दा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको, अर्धवार्षिक वा चौमासिक खातावन्दीको वा महिनाको मसन्त पार्नुपर्नेछ ।

तर संयुक्त साधारण सभा बस्ने दिनभन्दा कम्तिमा सात दिन अघि नपर्ने गरी हिसाव मिलान मिति तोक्नु हुँदैन ।

४९ **हिसाव मिलान विधी :** (१) एकीकरण वा विभाजन गर्दा सम्वद्ध सहकारी संस्थाहरुको हिसाव एकिकृत गर्ने वा छुट्याउने प्रयोजनका लागि देहाय बमोजिमको विधि अवलम्वन गर्नुपर्नेछ :-

(क) एकीकरणमा संयुक्त ऋणधनमा आधारित विधी र

(ख) विभाजनमा समायोजित संयुक्त ऋणधनमा आधारित विधि ।

५० **संयुक्त ऋणधन विधीवाट हिसाव मिलान :** (१) दफा ४९ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम संयुक्त ऋणधन विधीवाट हिसाव मिलान गर्दा अनुसूची ११ को तालिम १ को ढाँचामा एकीकरण गरिने सहकारी संस्थाहरु प्रत्येकको वासलातको सम्पत्ति र दायित्वको हिसाव नम्वर अनुसारको रकम कलम जोडेर एकीकृत सहकारी संस्थाको वासताल तयार पार्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हिसाव एकीकृत गर्दा एकीकरण हुने सहकारी संस्थाहरु एक अर्काबीच साविकमा कुनै लेनादेना रकम कलम रहेको भए कटाउनु पर्नेछ ।

५१ **समायोजित संयुक्त ऋणधन विधीवाट हिसाव मिलान :** (१) दफा ४९ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम समायोजित संयुक्तऋणधन विधीबाट हिसाव मिलान गर्दा अनुसूची ११ को तालिका २ को ढाँचामा देहायको प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ :-

(क) सामुहिक रकम कलम सामुहिक ऋणधनका आधारमा छुट्याउने,

(ख) संयुक्त रकम कलमहरु विभाजनपछि कायम हुने सहकारी संस्थाहरुको सदस्यता अनुपात अनुसार बाँडफाँड गर्ने र

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम हिसाब विभाजन गर्दा उप्रान्त कायम हुने कुनै सहकारी संस्थाको पूर्ववत् सेवा सञ्चालनमा अनपेक्षित वाधा, अड्काउ पर्ने भए त्यति हदसम्मको रकम कलम समायोजन गरी त्यस्तो वाधा, अड्काउ फुकाउने ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सामूहिक ऋणधनका आधारमा छुट्टिएको विभाजन पछिको कुनै सहकारी संसथाको दायित्वतर्फको जम्मा रकम र सम्पत्ति तर्फको जम्मा रकम वरावर नभएर अघिल्लो बढी भएकोमा बढी भएजति रकम सामूहिक ऋणधन समायोजन खाताको लेना (डेविट) तर्फ तथा घटी भएजति रकम सामूहिक ऋणधन समायोजन खाताको देना (क्रेडिट) तर्फ चढाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम विभाजन पछि कायम हुने सहकारी संस्थाको हिसाव छुट्याउँदा देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछ :-

(क) त्यस्तो प्रत्येक सहकारी संस्थाको दस्य संख्यालाई मूल सहकारी संस्थाको दफा ४८ बमोजिम तोमिएको हिसाव मिलान दिनको सदय ंख्याले भाग अनि एक याको अंकले गुणन गरी आउने अनुपातलिने,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम अनुपात लिँदा संयोजक समितिले तय गरे बमोजिम दशमलब पछाडिका दुइ वा चार वटा अङ्क राखेर तदअनुसारको प्रत्येक सहकारी संस्थाको अनुपातको जोड एक य बराबर हुनुपर्ने र

(ग) खण्ड (क) बमोजिम छुट्टिएको विभाजन पछिको कुनै सहकारी संथाको दायित्व तर्फको जम्मा रकम र सम्पत्ति तर्फको जम्मा रकम बराबर नभएर अघिल्लो बढी भएकोमा बढी भएजति रकम विभाजन हिसाब समायोजन खाताको लेना (डेविट) तर्फ तथा घटी भएकोमा घटी भएजति रकम विभाजन हिसाब समायोजन खाताको देना (क्रेडिट) तर्फ चढाउने ।

५२ **संयुक्त ऋणधनको समायोजन :** (१) दफा ५१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम समायोजन देहायको अवस्था रही हिसाबमा तात्विक अन्तर पर्ने भएमा मात्र गर्नुपर्नेछ :-

(क) विभाजन पूर्व सहकारी बैक वा अन्यत्रबाट पुनर्लगानीका लागि लिएको तथा दफा ४८ बमोजिम तोकिएको हिसाब मिलान मिति सम्म लगानीमै रहने ऋण लिने सदस्य बिभाजन पछि कायम हुने सहकारी संस्था कुनै वा  कुनै-कुनैमा परी कुनै वा कुनै-कुनैमा तरलता अभाव पर्ने देखिएको,

(ख) साबिक वचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गरेको बहुउद्देश्यीय वा वचत तथा ऋण बाहेकको विषयगत संस्थाले निश्चित स्थानका सदस्यहरुको आवश्यकता अनुसार प्रशोधन कारखाना, कृषि फारम, जलविद्युत आयोजना जस्ता व्यवसाय सञ्चालन गरिआएकोमा नियमावलीको नियम २८ को उपनियम (२) मा व्यवस्था भए बमोजिम विभाजनबाट सम्वन्धित स्थान विशेषको कार्यक्षत्रे छुट्याएर कायम हुने विषयगत सहकारी संस्थामा त्यतो कारखाना, फारम, आयोजना लगायतको जेथा हस्तान्तरण गर्दा अन्यत्रको कार्यक्षेत्रमा कायम हुने वचत तथा ऋणको सहकारी संस्थाको वासलातको सम्पत्ति र दायित्वमा धान्नै नसकिने असन्तुलन पैदा हुने देखिएको,

(ग) विभाजन पूर्व पुँजी पर्याप्तता रहेको तर हिसाव छुट्याउँदा विभाजन पछि कायम हुने कुनै बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको साबिक बमोजिम वचत परिचालन वा सुचारु राख्न पुँजी न्यूनता हुने देखिएको वा

(घ) मौजुदा सहकारी संस्थाको खण्डीकरण गर्न नमिल्ने कार्यालय, जग्गा, गोदाम, संकलन केन्द्र, प्रशोधन एकाइ लगायतका भौतिक पूर्वाधारको वितरण भौगोलिक कार्यक्षेत्रको कुनै प्रखण्डमा सङ्केन्द्रित भएबाट विभाजन पछिको कुनै सहकारी संस्थालाई सेवा सञ्चालन गर्न भौतिक सुविधाको समस्या पर्ने देखिएको ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) को अवस्थामा देहायबमोजिम हिसाब समायोजन गर्नुपर्नेछ ।

(क) पुनर्लगानीका लागि लिएको ऋणको रकमबछ जुन-जुन सदस्यहरुलाई जे-जति पुनर्लगानी गरिएको हो ति ति सदस्यहरु विभाजन पछिपर्ने सहकारी संसथाको सम्पत्ति तर्फ ऋण लगानी को साँवा अनि दायित्व तर्फ तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा कायम गर्ने,

(ख) तिर्नुपर्ने व्याज भउ भएजति रकम तिर्नुपर्ने सावाँकै अनुपातमा सम्वन्धित सहकारी संस्थाको दायित्व जनाउने,

(ग) पाउनुपर्ने व्याजका हकमा आम्दनी बाँधिएको भए ऋण लगानीको साँवाकै अनुपातमा सम्वन्धित हकारी संस्थाको सम्पत्तिमा जनाउने तर आम्दानी नवाँधिएको भए केही नगर्ने र

(घ) खण्ड (क), (ख) वा (ग)  बमोजिम विभाजन पछिको कुनै सहकरा संस्थाको दायित्वतर्फ तिनुर्पे ऋणको साँवा, व्याजको जम्मा रकम नभएर सम्पत्ति तर्फ असुल गर्नुपर्ने ऋणको सावाँ, व्याजको जम्मा रकम नभएर घटीबढी भएकोमा त्यसरी घटीबढी भएजति रकम दफा ५१ को उपदफा (३) खण्ड (ग) बमोजिम विभाजन हिसाब समायोजन खातामा चढाउने ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) वा (घ) को आवस्थामा देहाय बमोजिम हिसाब समायोजन गर्नुपर्नेछ :-

(क) समायोजन गर्नुपर्ने कारखाना, फर्म, आयोजना लागतको जेथाको रकम विभाजन पछि कायम हुने सहकारी संस्थाको सदस्यता अनुपातका आधारमा बाँडफाँड गर्ने,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम बाँडफाँड गर्दा समायोजन गर्नुपर्ने कारखाना, फर्म, आयोजना लगायतको जेथा कुन वा कुन-कुन सहकारी संस्था तर्फ पर्ने, नपर्ने भन्ने नहेर्ने,

(ग) खण्ड (क) बमोजिमको जेथा नपर्ने सहकारी संस्थाको रकम जति जेथा पर्ने सहकारी संस्थाको खण्ड( ख) बमोजिमको सम्बन्धित कारखाना, फर्म, आयोजना लगायतको जेथामा जोडी स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाताको देना (क्रेडिट) तर्फ चढाउने र

(घ) खण्ड (ग) बमोजिम जेथा पर्ने सहकारी संस्थाबाट प्राप्त हुने रकम जेथा नपर्ने सहकारी संस्थाको खण्ड (ख) बमोजिमको सम्बन्धित कारखाना, फर्म, आयोजना लगायतको जेथाबाट घटाएर वा कटाएर स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाताको लेना (डेविट) तर्फ चढाउने ।

(४) उपदफा (१) को खण्ड (ग) को आस्थामा देहाय बमोजिम समायोजन गर्नुपर्नेछ :-

(क) विभाजनपछि कायम हुने बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरु प्रत्येकको प्राथमिक पुँजी कोष अन्तर्गत शेयर पुँजी र जगेडा कोषको रकम अलग्याउने,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम अलग्याइएको रकममा प्राथमिक पुँजी कोषको रकम आवश्यक अनुपात भन्दा घटी हुने सहकारी संस्थाको जगेडा कोषमा घटी हुने जति रकम प्राथमिक पुँजी आवश्यक अनुपात भन्दा वढी हुने सहकारी सस्ंथाको जगेडा कोषबाट पुगेसम्म सार्ने र

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम सारिएको रकम प्राथमिक पुँजी कोष घटी परेको सहकारी संस्थाको विभाजन हिसाब समायोजन खाताको लेना (डेविट) तर्फ र बढी परेको सहकारी संस्थाको विभाजन हिसाब समायोजन खाताको देना (क्रेडिट) तर्फ चढाउने ।

(५) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी विकास कोष वा अन्यत्रको ऋण लिएर खरिद वा निर्माण गरिएको उपदफा (१) को खण्ड (ख) वा (घ) बमोजिमको जेथाको हकमा विभाजन पछि

त्यस्तो जेथा पर्ने सहकारी संस्थाले त्यसबापत तिर्न बाँकी रहेजतिऋणको साँवा, व्याज तिर्ने गरी त्यति नै रकम त्यतो जेथाको मूल्य  जनाएर हिसाब समायोजन गर्न सकिनेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम हिसाब समायोजन गर्दा तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँ, व्याजको रकम भन्दा जेथाको मूलय घटी भएकोमा जेथा पर्ने सहकारी संस्थाको स्थिर सम्पत्ति मायोजन खाताको लेना (डेविट) र जेथा नपर्ने सहकारी संस्थाको स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाताको देना (क्रेडिट) तर्फ चढाउनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (५) बमोजिम हिसाब समायोजन गर्दा तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँ, व्याजको रकम भन्दा जेथाको मुल्य बढी भएकोमा जेथा पर्ने सहकारी संस्थाको स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाताको देना (क्रेडिट) तर्फ र जेथा नपर्ने सहकार्रा संस्थाको स्थिर सम्पति समायोजन खाताको लेना(डेविट) तर्फ चढाउनु पर्नेछ ।

५३ **तोकिएको मिति अगावै हिसाब फरफारक गरिसक्नु पर्ने** : देहायको रकम कलम साधारणतया एकीकरण वा विभाजनको हिसाब मिलान मिति अगावै सम्वन्धित सहकारी संस्थाले नै फरफारक गरिसक्नुपर्नेछ :-

(क) शेयर लाभांश कोषको वितरण गर्नुपर्ने रकम,

(ख) संरक्षित पुँजी कोषको फिर्ता गर्नुपर्ने रकम,

(ग) उधारो खरिद बापतको भुक्तानी दिनुपर्ने रकम,

(घ) आयकर बापत दाखिला गर्नुपर्ने रकम र

(ङ) एकीकरण वा विभाजन पछि अर्को सहकारी संस्थामा खण्डीकरण गरी भुक्तानि दिन वा हस्तान्तरण गरी असुल, फछ्र्यौट गर्न असुविधा पर्ने तिनुपर्ने घर भाडा, बेरुजु लगायतका अन्य लेनादेनाको रमक कलम ।

५४ **मिलान हुन नसकेको रकम कलमको समायोजन :** (१) दफा ५३ बमोजिम सम्वन्धित सहकारी संस्थाले नै फरफारक गरिसक्नुपर्ने कुनै रकम विशेष कारणवश निर्धारित मिति भित्र फरफारक हुन नसकेको अवस्थामा देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछ :-

(क) एकीकरण गर्दा जुनसुकै रकम कलमको जिम्मेवारी एकीकरण पछि कायम हुने सहकारी संस्थामा सार्ने ,

(ख) विभाजन गर्दा आयकर वापत दाखिला गर्नुपर्ने रकम लगायत दायित्वतर्फको रकम कलममा साबिक सहकारी संस्थाको जिम्मेवारी त्यति नै बराबरको नगदी सहित विभाजन पछि कायम हुने कुनै एक सहकारी संस्थामा सार्ने र

(ग) विभाजन गर्दा सम्पत्ति तर्फको रकम कलम का हकमा दफा ५१ को उपदफा (३) बमोजिम छुट्याएर सम्पत्ति सरेको सहकारी संस्थाले तदनुसारको रकम असुलउपर गरेपछि प्रत्येक सहकारी संस्थालाई शोधभर्ना दिने गरी रकम असुलउपर गरेपछि प्रत्येक सहकारी संस्थालाई शोधभर्ना दिने गरी विभाजन

हिसाब शोधभर्ना खाताको देना ( क्रेडिट) तर्फ र अन्य सहकारी संस्थाको विभाजन हिसाब शोधभर्ना खाताको लेना ( डेविट) तर्फ चढाएर लगत सहित सम्पूर्ण रकम सम्वन्धित कारोवार वा सदस्यहरु परेको सहकारी संस्थामा सार्ने ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) वा (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभाजनमा शेयर लाभांश कोष वा संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको हकमा वितरण गर्नुपर्ने रकम बाँकी रहेकोमा ज-जसको जे-जति रकम वितरण गर्नुपर्ने हो लगत खडा गरी लगत बमोजिमको हिसाब विभाजन पछि सदस्यहरु पर्ने सहकारी संस्थामा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

(३) विभाजनमा कर्मचारी बोनस कोषको वितरण गर्न बाँकी रकमका साथै कर्मचारी सँग सम्वन्धित अन्य दायित्वका सम्वन्धमा समेत लगत खडा गरी विभाजन पछि जो-जता संयोजन हुने हो सो सहकारी संस्थामा उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम हस्तान्तरण हुनेछ ।

५५ **स्थिर सम्पत्ति मुल्याङ्कन गरी हिसाब समायोजन गर्न नहुने :-** एकीकरण वा विभाजन गर्दा कुने पनि स्थिर सम्पत्तिको मुल्याङ्कन गरी हिसाब समायोजन गर्नु हुँदैन ।

५६ **विस्तृति अनुसूचीमा खुलाउनु पर्ने :** एकीकरण वा विभाजनको हिसाब मिलान अघि र पछिको वासतालका अनुसूची १२ बमोजिम रकम कलमहरुको विस्तृति तद्नुसारको ढाँचामा खुलाउनुपर्नेछ ।

५७ **लेखापरिक्षण प्रतिवेदनको आधार लिनुपर्ने : (१)** एकीकरण वा विभाजनको हिसाब मिलान गर्दा सम्वद्ध सहकारी संस्थाको वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदनको आधार लिनुपर्नेछ ।

(२) दफा ४८ बमोजिम तोकिएको मिति र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले एकै नपरेको खण्डमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष सम्मकाो हिसाव वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवदेन बाट र त्यस यता दफा ४८ बमोजिम तोकिएको मिति सम्मको हिसाव आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवदेन बाट लिनुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) को अवस्थामा संयोजन कार्यदलले सम्वद्ध सबै सहकारी संस्थामा दफा ४८ बमोजिम तोकिएको मिति समेत खुलाएर आन्तरिक लेखापरिक्षण गराइराख्न समयमै जानकारी पठाउनु पर्नेछ ।

५८ **प्रवेशशुल्क बुझाएको मानिने :** एकीकरण वा विभाजन भएबाट एक सहकारी संस्थाको सदस्य अर्को सहकारी संस्थामा सरीगएकोमा त्यस्तो सदस्यले साविक सहकारी संस्थामा विनियम बमोजिम तोकिएको प्रवेश शुल्क बापतको रकम बुझाएको भए नयाँ सहकारी संस्थाको हकमा समेत विनियम बमोजिम तोकिएको प्रवेश शुल्क वापतको सम्पूर्ण रकम वुझाएको मानिनेछ ।

५९ **हिसाव मिलान प्रमाणित गराउनु पर्ने :** दर्ता गर्ने अधिकारीले एकीकरण वा विभाजन स्वीकृत गरेको मितिले साधारणतया पन्ध्र दिन भित्र हिसाब मिलान गरी मिलान गरिएको हिसाब दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम नियुक्त लेखापरिक्षकबाट प्रमाणित गराउनु पर्नेछ ।

६० **हिसाब मिलानको स्वीकृति :** दफा ५९ बमोजिम लेखापरीक्षकबाट प्रमाणीत भएको हिसाब तदर्थ समितिले **स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।**

६१ **हिसाब हस्तान्तरण :** (१) दफा ६० बमोजिम हिसाब मिलान स्वीकृत भएको मितिले सात दिन भित्र हस्तान्तरण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हिसाब हस्तान्तरण गर्दा सो सँग सम्वन्धित सर्म्पूण स्रेता तथा तदनुारको नगदी समेत बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभाजनमा एक सहकारी संस्थाले अर्को सहकारी संस्थालाई तिर्नु, बुझाउनु पर्ने रकमका सम्वन्धमा संयुक्त साधारण सभाले प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा त्यस्तो रकम कहिले सम्म के कसरी तिर्ने, बुझाउने हो ? भन्ने तालिका समेत तय गरिदिन सक्नेछ ।

६२ **आर्थिक कारोबार गर्न नहुने :** दफा ४८ बमोजिम तोकिएको हिसाब मिलान मिति देखि दफा ६१ बमोजिम एकीकृत वा विभाजित सहकारी संस्थामा हिसाव हस्तान्तरण हुने मिति सम्म साविकको सहकारी संस्थाको कुनै किसिमको आर्थिक कारोवार गर्नु हुँदैन ।

६३ **एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा विवरण अद्यावधीकरण गर्नुपर्ने :** एकीकरण वा विभाजनपछि कायम भएको सहकारी संस्थाको आधारभूत विवरण नियामक निकायले दफा ४२ को उपदफा (४) बमोजिम एकीकरण वा विभाजन स्वीकृत गरेको र विस्तृत विवरण सहकारी संस्थाले दफा ६१ बमोजिम हिसाब हस्तान्तरण भएको पन्ध्र दिन भित्र एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

## परिच्छेद ७

## विविध

६४ **साझा आधारको रुपमा लिनुपर्ने :** बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने संस्थाको संख्या निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि नियमावलीको नियम ४ को व्यवस्थालाई नै साझा आधारको रुपमा लिनुपर्नेछ ।

६५ **तदर्थ समितिलाई कार्यभार हस्तान्तरण :** दर्ता गर्ने अधिकारीले ४२ को उपदफा (४) बमोजिम एकीकरण वा विभाजन स्वीकृत गरेको मितिदेखि साबिक समितिले एकीकृत वा विभाजित सहकारी संस्थाको कार्यभार दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम गठन भएको तदर्थ समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

६६ **लेखा सुपरिवेक्षण समितिले हिसाब हेर्ने :** एकीकरण वा विभाजनको हकमा दफा ४८ बमोजिम तोकिएको हिसाब मिलान मिति सम्मको हिसाब सम्वन्धित सहकारी संस्थाको साविकको र त्यस मिति पछिको हिसाब एकीकरण वा विभाजन पछि निर्वाचित हुने सम्वन्धित सहकारी संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समितिले हेर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

६७ **सदस्य पहिचान गरिएको मानिने** : यस कार्यविधी बमोजिम एकीकरण वा विभाजन गर्दा साबिकको सहकारी संस्थामा सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण सम्वन्धी सहकारी सघ संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम पहिचान गरिएको वा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम पहिचान अद्यावधिक गरिएको सदस्यको हकमा एकीकृत वा विभाजित संस्थाको तर्फबाट समेत तदनुसार सदस्य पहिचान गरिएको वा पहिचान अद्यावधिक गरिएको मानिने छ ।

तर दफा ११ बमोजिम सदस्यको वृहत पहिचान, दफा ८ बमोजिम उच्च पदस्थ सदस्यको विशेष पहिचान, दफा १३ बमोजिम जोखिम व्यवस्थापन लगायत सो कार्यविधीका अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु त्यस्तो सदस्यको हकमा समेत समान रुपमा लागुहुनेछन् ।

६८ **नयाँ निस्सा प्रमाणदिने** : (१) एकीकरण वा विभाजन पछि साबिक सहकारी संस्थाको नाम वा दर्ता नम्वर परिवर्तन भएकोमा सदस्यको साविक सहकारी संस्थाको सदस्यता प्रमाण-पत्र र शेयर प्रमाण पत्र लिइ सोको सट्टा नयाँ कायम भएको सहकारी संस्थाको सदस्यता प्रमाण पत्र र शेयर प्रमाण पत्र प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

तर त्यसरी सदस्यता प्रमाण पत्र वा शेयर प्रमाण पत्र नलिएकै कारणले कुनै सदस्य नयाँ कायम भएको सहकारी संस्थाको विनियम बमोजिमकको हक वा अधिकारबाट वञ्चित हुने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्थामा सदस्यको साविक सहकारी संस्थाको प्रवृष्टि उप्रान्तको हर छुने गरी नयाँ कायम भएको सहकारी संस्थाको छाप लगाएर मौज्दात अगाडिलाई समायोजन गर्नुपर्ने रकम भए समायोजन गरी लेखिएकोमा बाहेक निवेदन दर्ता क्रमको आधारमा लिनुपर्नेछ ।

(३) नयाँ कायम भएको सहकारी संस्थाको सदस्यता नम्वर दिँदा प्रस्तावमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक निवेदन दर्ता क्रमको आधारमा लिनुपर्नेछ ।

६९ **नामसारी, इत्यादी** : (१) एकीकरण वा विभाजन भएबाट हस्तान्तरण भएको सम्पत्ति प्रचलित कानुन बमोजिम साबिक सहकारी संस्थाबाट हालबाला सहकारी संस्थाको दायित्व कायम हुने गरी नामसारी गराउनुपर्नेछ ।

(२) हालबाला सहकारी संस्थाले एकीकरण वा विभाजनको फलस्वरुप हस्तान्तरण भइआएको साविबक सहकारी संस्थाको कर, ऋण वा अन्य दायित्वका सम्वन्धमा तत्काल सम्वन्धित निकायवा पक्ष सँग सम्पर्क राखी प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो नाममा कायम गराएर जिम्मेवारी सार्नुपर्नेछ ।

(३) एकीकरण वा विभाजन पछि साबिक सहकारी संस्थाको नाम वा दर्ता नम्बर परिवर्तन भएकोमा साविक सहकारी संस्थाको बैक खाता वन्द गरी मौज्दात नयाँ कायम भएको सहकारी संस्थाको खातामा सार्नुपर्नेछ ।

(४) सहकारी संस्थाले यस दफा बमोजिम भए, गरेको प्रत्येक कार्यको जानकारी नियामक निकायलाई दिनुपर्नेछ  तथा नियामक निकायले पनि तत्सम्वन्धमा आवश्यक सहयोग गरिदिनुपर्नेछ ।

(५) समिति वा तदर्थ समितिले नामसारी लगायतका कार्यहरुको सम्वन्धमा सदस्यहरुलाई निरन्तर सुसूचित गरी तत्सम्वन्धी प्रतिवेदन लगत्तै बस्ने साधारण सभामा पेश गर्नुपर्नेछ ।

७० **अनुसूचिमा हेरफेर गर्न सक्ने :** ऐन, नियमावली र यस कार्यविधीमा नलेखिएका एकीकरण वा विभाजन विशेषकुराका हकमा दर्ता गर्ने अधिकारीले स्वीकृत गरेको प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम हुनेछ ।

७१ **अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने :** (१) नगर समितिको स्वीकृति लिइ यो कार्यविधीको कुनै अनुसूची समय सापेक्ष हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हेरफेर गरिएको व्यहोरा सूचना यथाशिघ्र नगरको वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ ।

७२ **कार्यविधी बमोजिम गर्न गराउन सक्ने** :यस कार्यविधीमा उल्लेख गरिएका वाहेकका कुराहर संघिय कार्यविधी बमोजिम गर्नुगराउनु पर्नेछ ।

७३ **सहकारी संस्था एकीकरण सम्वन्धि विशेष व्यवस्था** :(१) यस कार्यविधीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दफा ७ को उपदफा (ख) बमोजिमका वडा जोडिएका वडाहरुमा कार्यालय भइ कम्तीमा कार्यक्षेत्रमा कम्तीमा दुइवटा वडाहरु खप्टिएका सहकारी संस्थाहरुलाई तोकिएको समय भित्र स्वैच्छिक एकीकरणका लागि वाधा पर्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका संस्थाहरुको एकीकरण सम्वन्धि अन्य व्यवस्था यसै कार्यविधी बमोजिम हुनेछ ।

७४ **बाधा, अड्काउ, फुकाउन सक्ने :** यो कार्यविधी कार्यान्वयनका सिलसिलामा कुनै बाधा अड्काउ परेमा दर्ता गर्ने अधिकारीले वाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।

७५ **व्याख्या गर्ने अधिकार :** यो कार्यविधीको व्याख्या गर्ने अधिकार दर्ता गर्ने अधिकारीको हुनेछ ।

# सहकारी संस्थाको एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका, २०७७

**प्रस्तावना :** सहकारी संस्थाको गुणात्मक विकासका लागि एकीकरण तथा विभाजनका मानक एवं प्रक्रियाहरू निर्धारण गर्नु वाञ्छनीय भएकाले,

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १५१ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यो निर्देशिका बनाएको छ ।

## परिच्छेद–१
## प्रारम्भिक

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः** (१) यस निर्देशिकाको नाम "सहकारी संस्थाको एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका, २०७७" रहेको छ ।

(२) यो निर्देशिका तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. **परिभाषाः** विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यो निर्देशिकामा,–

(क) "एकीकरण" भन्नाले ऐनको दफा ८७ को उपदफा (१) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूलाई एक–आपसमा गाभी प्रत्येक संस्थाका सदस्यहरू स्वतः सदस्य रहने गरी सम्पत्ति र दायित्वसमेत एकीकृत हुने गरी एउटा सहकारी संस्था कायम गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ ।

(ख) "एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली" भन्नाले विभागले स्थापना गरेको इन्टरनेट सञ्चार प्रविधिमा आधारित सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोअपरेटिभ एन्ड पोभर्टी–रिलेटेड मेनेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम 'कोपोमिस') सम्झनुपर्छ ।

(ग) "ऐन" भन्नाले सहकारी ऐन, २०७४ सम्झनुपर्छ ।

(घ) "नियमावली" भन्नाले सहकारी नियमावली, २०७५ सम्झनुपर्छ ।

(ङ) "नियामक निकाय" भन्नाले सहकारी संस्थाको नियमन क्षेत्राधिकारअनुसार विभाग वा प्रदेश मन्त्रालय वा प्रदेश मन्त्रालयको विभाग वा कार्यालय वा स्थानीय तह वा स्थानीय तहको विभाग वा कार्यालय सम्झनुपर्छ ।

(च) "प्रदेश मन्त्रालय" भन्नाले प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्झनुपर्छ।

(छ) "प्रस्ताव" भन्नाले दफा २५ बमोजिमको एकीकरण तथा विभाजनको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो प्रस्तावको प्रारूप वा सोको परिमार्जित संस्करणसमेतलाई जनाउनेछ ।

(ज) "प्रदेशको कानून" भन्नाले प्रदेशको सहकारी ऐन सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली, मानदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधिसमेतलाई जनाउनेछ ।

(झ) "प्रदेशको नियामक निकाय" भन्नाले प्रदेश मन्त्रालय वा प्रदेश मन्त्रालयको विभाग वा कार्यालय सम्झनुपर्छ ।

(ञ) "संयुक्त साधारण सभा" भन्नाले एकीकरण गरिने सहकारी संस्थाहरूको संयुक्त साधारण सभा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सहकारी संस्थाको विभाजन प्रस्तावमा विचार गर्न बसेको साधारण सभासमेतलाई जनाउनेछ ।

(ट) "संयोजन कार्यदल" भन्नाले दफा २३ बमोजिमको एकीकरण वा विभाजन संयोजन कार्यदल सम्झनुपर्छ ।

(ठ) "विभाजन" भन्नाले ऐनको दफा ८७ को उपदफा (१) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रलाई दुई वा दुईभन्दा बढी खण्डहरूमा छुट्ट्याएर प्रत्येक खण्डमा पर्ने सदस्यहरू स्वतः सदस्य रही सम्पत्ति र दायित्वसमेत छुट्टिने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू कायम गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ ।

(ड) "स्थानीय तहको कानून" भन्नाले स्थानीय तहको सहकारी ऐन सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली, मानदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधिसमेतलाई जनाउनेछ ।

(ढ) "स्थानीय तहको नियामक निकाय" भन्नाले स्थानीय तह वा स्थानीय तहको विभाग वा कार्यालय सम्झनुपर्छ ।

## परिच्छेद–२

## मौजुदा संस्थाहरूको साङ्ख्यिक पुनरावलोकन

३. **अधिकतम संस्था सङ्ख्या कायम गर्ने**: (१) नियामक निकायले महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको वडा, नगरपालिका र गाउँपालिकाको जनसङ्ख्यालाई क्रमशः पाँच हजार, दुई हजार र पाँच सयले भाग गरी आउने भागफल बराबर त्यस्तो वडा, नगरपालिका वा गाउँपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको अधिकतम सङ्ख्या कायम गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अधिकतम संस्था सङ्ख्या कायम गर्दा भागफलको दशमलव पछाडि जतिसुकै अङ्क भए तापनि पूर्ण अङ्कको मात्र आधार लिनुपर्नेछ ।

४. **अधिकतम संस्था सङ्ख्या कायम गरिएको सूचना**: (१) दफा ३ बमोजिम अधिकतम संस्था सङ्ख्या कायम गरिएको सूचना नियामक निकायले अनुसूची–१ को ढाँचामा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्दा नियामक निकायले त्यस्तो सूचना आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस गर्नुका साथै 'वेबसाइट' भए 'वेबसाइट'मा राखी भएसम्म स्थानीय सञ्चारको कुनै एक वा बढी माध्यमबाट समेत तत्सम्बन्धमा जानकारी दिनुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रकाशित सूचनाको प्रति यथाशक्य सम्बन्धित सबै सहकारी संस्था वा निकायमा पत्र वा विद्युतीय पत्र (इमेल) द्वारा समेत पठाउनुपर्नेछ ।

५. **नयाँ संस्था दर्ता वा विषय परिवर्तन गर्न नहुने**: ऐनको दफा १५ को उपदफा (६) र नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (१) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको जनसङ्ख्या नपुगेको महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको वडा, नगरपालिका वा गाउँपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि नयाँ संस्था दर्ता गर्न वा बचत तथा ऋणबाहेकको विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाको रूपमा नयाँ संस्था दर्ता गरी बचत तथा ऋणको विषयगत संस्थाको रूपमा विषय परिवर्तन गर्नहुँदैन ।

६. **मौजुदा संस्थाको विवरण अद्यावधीकरण**: (१) नियामक निकायले अनुसूची–२ को ढाँचामा महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको प्रत्येक वडा र नगरपालिका वा गाउँपालिकामा

नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (२) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरूको अद्यावधिक विवरण तयार पार्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको वडाको अद्यावधिक विवरण तयार पार्दा देहायबमोजिम गर्नुपर्नेछः–

(क) स्थानीय तह वा प्रदेश वा विभाग जहाँसुकैको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने भए तापनि महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको सम्बन्धित वडाअन्तर्गत मुख्य कार्यालय राखी कार्यसञ्चालन गरेको तर बढीमा एक जिल्लासम्म कार्यक्षेत्र कायम भएको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरू समावेश गर्ने,

(ख) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने भए तापनि निजामती सेवा,सार्वजनिक संस्थानको सेवा, शिक्षण वा प्राध्यापन पेशा आदिमा संलग्नता, मजदुर सङ्गठनको सदस्यता, गैरसरकारी संस्थामा आबद्धताजस्ता संस्थागत वा पेशागत साझा बन्धनको आधारमा दर्ता भएको कुनै पनि संस्था समावेश नगर्ने र

(ग) बहुउद्देश्यीय, कृषिलगायत जुनसुकै विषय वा प्रकृतिको भए तापनि ऐनको दफा २ को खण्ड (ज) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गरिरहेको तथा खण्ड (क) मा पर्ने तर खण्ड (ख) मा नपर्ने सबै संस्थाहरू समावेश गर्ने ।

तर ऐनको दफा ५० को उपदफा (२) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनको म्यादभित्र बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने गरी दर्ता हुँदाका बखतको मुख्य कारोबार गर्ने गरी विश्वसनीय कार्ययोजना नियामक निकायमा पेश गरेको भए त्यस्तो संस्थालाई समावेश गर्नुपर्ने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम नगरपालिका वा गाउँपालिकाको अद्यावधिक विवरण तयार पार्दा देहायबमोजिम गर्नुपर्नेछः–

(क) नगरपालिका वा गाउँपालिकाको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरू समावेश गर्ने,

(ख) नगरपालिका वा गाउँपालिकाको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने भए तापनि उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा उल्लिखित संस्थाहरू समावेश नगर्ने र

(ग) नगरपालिका वा गाउँपालिकाको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्नेजति उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा उल्लिखित सबै संस्थाहरू समावेश गर्ने ।

(४) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरूको अद्यावधिक विवरण नियामक निकायको प्रमुखबाट प्रमाणित गराएर राख्नुपर्नेछ ।

७. **समूह छुट्ट्याउनुपर्नेः** दफा ६ बमोजिम अद्यावधिक विवरण तयार पार्दा नियामक निकायले मौजुदा संस्थाहरूलाई कार्यक्षेत्रका आधारमा देहायका समूहमा छुट्ट्याउनुपर्नेछ :–

(क) सम्बन्धित वडासम्म कार्यक्षेत्र हुने संस्थाहरूलाई पहिलो समूहमा,

(ख) सम्बन्धित वडाभन्दा बढी स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र हुने संस्थाहरूलाई दोस्रो समूहमा र

(ग) सम्बन्धित स्थानीय तहभन्दा बढी जिल्लासम्म कार्यक्षेत्र हुने संस्थाहरूलाई तेस्रो समूहमा ।

८. **विवरणमा समावेश गर्न नहुने**: (१) दफा ६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै संस्थालाई अनुसूची–२ बमोजिमको विवरणमा समावेश गर्नु हुँदैन :–

(क) ऐनको दफा १०४ को उपदफा (२) वा (३) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको वा समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने प्रक्रियामा रहेको संस्था,

(ख) नियमावलीको नियम ३९ को उपनियम (३) मा उल्लिखित संस्था,

(ग) बचतऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम शीघ्र सुधार कारबाई (प्रोम्ट करेक्टिभ एयाक्सन) मा सूचीकरण गरिएको वा सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानून पालनासम्बन्धी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि, २०७५ बमोजिम निगरानी सूचीमा राखिएको संस्था र

(घ) महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको हकमा वडाको र नगरपालिका वा गाउँपालिकाको हकमा नगरपालिका वा गाउँपालिकाभरिको जनसङ्ख्याभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या भएको सहकारी संस्था ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको संस्थाको सदस्य सङ्ख्याको गणना गर्दा स्थानीय तहभित्रको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थासँग दोहोरो पर्ने सदस्यजति घटाउनुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) मा उल्लिखित संस्थाहरूको विवरण पृथक् सूचीमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ ।

९. **तथ्य भिडाउनुपर्ने** : स्थानीय तहको नियामक निकायले दफा ६ बमोजिम महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिका वडाको अद्यावधिक विवरण तयार पार्ने सिलसिलामा आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकारमा नपर्ने तर वडामा मुख्य कार्यालय राखीकार्य सञ्चालन गरेको बचत तथा ऋणको कारोबार गरेको संस्थाको कार्यक्षेत्र, मुख्य कारोबार वा दिइएको म्यादभित्र बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने गरी विश्वसनीय कार्ययोजना पेश गरे, नगरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाबाट प्राप्त तथ्य प्रदेशको नियामक निकायबाट विवरण लिई भिडाउनुपर्नेछ ।

१०. **मौजुदा संस्थाहरूको सूची प्रकाशन**: (१) नियामक निकायले दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिमको अद्यावधिक विवरणका आधारमा अनुसूची–३ को ढाँचामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने मौजुदा संस्थाहरूको सूची प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचीनियामक निकायको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुका साथै 'वेबसाइट' भए 'वेबसाइट'मा राखी भएसम्म स्थानीय सञ्चारको कुनै एक वा बढी माध्यमबाट समेत प्रकाशन गरिएको जानकारी दिनुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सूची प्रकाशन गर्दा सोमा कुनै दाबी–विरोध भए सात दिनभित्र नियामक निकायमा पेश गर्न सकिने व्यहोरासमेत खुलाउनुपर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दाबी–विरोध परेकोमा सोमा साधारणतया सात दिनभित्र छानबिन गरी संशोधन गर्नुपर्ने कुनै कुरा भए संशोधन गरी उपदफा (२) बमोजिम संशोधित सूची प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम प्रकाशित सूची वा संशोधित सूचीको प्रति यथाशक्य सम्बन्धित सबै सहकारी संस्था वा निकायमा पत्र वा विद्युतीय पत्र (इमेल) द्वारा समेत पठाउनुपर्नेछ ।

**११.** **<u>पछिल्लो जनगणनाको आधार लिनुपर्ने</u>**: यस परिच्छेदमा उल्लेख भएबमोजिम जनसङ्ख्याको हिसाब गर्दा पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसारको जनसङ्ख्याको आधार लिनुपर्नेछ ।

**१२.** **जनगणनाअनुसार पुनरावलोकन गर्न सक्ने** : नियामक निकायले प्रत्येक नयाँ राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनका आधारमा दफा ३ बमोजिम कायम गरिएको अधिकतम संस्था सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ ।

## परिच्छेद–३
## <u>मौजुदा संस्थाहरूको साङ्ख्यिक समायोजन</u>

**१३.** **<u>स्वैच्छिक एकीकरणद्वारा संस्थासङ्ख्या मिलान</u>**: (१) नियामक निकायले महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको प्रत्येक वडा वानगरपालिका वा गाउँपालिकामा दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित सूचीबाट बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने मौजुदा संस्थाहरूको सङ्ख्या दफा १० बमोजिम कायम गरिएको अधिकतम संस्था सङ्ख्याभन्दा बढी रहेको देखिएकोमा त्यसरी बढी भएजति संस्था नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (३) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा दिइएको म्यादभित्र स्वैच्छिक एकीकरणको प्रक्रियाद्वारा मिलानगर्न सम्बधित सबै संस्थाहरूका साथै त्यस्ता संस्थाहरू सदस्य रहेको सङ्घलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी गराउँदा अन्य कुराका अतिरिक्त महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको वडा वा नगरपालिका वा गाउँपालिकामा रहने संस्था सङ्ख्या अनुसार देहायका शर्त र आधार पूरा गर्नुपर्ने व्यहोरासमेत खुलाउनुपर्नेछ :–

(क) एक मात्र संस्था रहनेमा नियमावलीको नियम ३९ को उपनियम (२) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भए अनुरूप दफा ७ बमोजिमको पहिलो समूहमा पर्ने सबै संस्थाहरू एकीकरण गरी बचत तथा ऋणको विषयगत संस्था कायम गर्ने,

(ख) दुइटा संस्था रहनेमा मौजुदासंस्थाहरूमा महिला–मात्रका र मिश्रित सदस्यता हुनेदुवैथरी भए नियमावलीको नियम ३९ को उपनियम (२) र (४) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भए अनुरूप दफा ७ बमोजिमको पहिलो समूहमा पर्ने मौजुदा महिला–मात्रका संस्थाहरू एकीकरण गरी एउटा र मिश्रित सदस्यता हुने संस्थाहरू एकीकरण गरी अर्को बचत तथा ऋणको विषयगत संस्था कायम गर्ने,

(ग) खण्ड (ख) को अवस्थामा महिला–मात्रको एउटा मात्र संस्था भए तापनि सोलाई यथावतै राखी मिश्रित सदस्यता हुने सबै संस्थाहरू एकीकरण गरी एउटा बचत तथा ऋणको विषयगत संस्था कायम गर्ने,

(घ) तीन वटा संस्था रहनेमा दफा ७ बमोजिमको पहिलो समूहमा पर्ने महिला–मात्रका संस्थाहरू एकीकरण गरी एउटाका साथै मिश्रित सदस्यता हुने संस्थाहरू एकीकरण गरी अर्को र दोस्रो समूहमा पर्ने सबै संस्थाहरू एकीकरण गरी अझ अर्को बचत तथा ऋणको विषयगत संस्था कायम गर्ने,

(ङ) खण्ड (घ) को अवस्थामा पहिलो र दोस्रो समूहका महिला–मात्रका संस्थाहरू मिली एउटा बचत तथा ऋणको विषयगत संस्था कायम गर्न चाहेमा पनि तदनुसार गर्न सकिने,

(च) चार वटा संस्था रहनेमा पहिलो समूहमा पर्ने महिला–मात्रका संस्थाहरू एकीकरण गरी एउटाका साथै मिश्रित सदस्यता हुने संस्थाहरू एकीकरण गरी अर्को र दोस्रो समूहमा पर्ने सबै र तेस्रो समूहमा पर्ने सबै संस्थाहरू एकीकरण गरी एक–एकवटा बचत तथा ऋणको विषयगत संस्था कायम गर्ने र

(छ) चार वटाभन्दा बढी संस्था रहनेमा खण्ड (च) बमोजिम संस्था सङ्ख्या छुट्ट्याइसकेपछि मिश्रित सदस्यता हुने संस्थाहरू तर्फ क्रमशः पहिलो समूहमा एक, दोस्रो समूहमा एक, तेस्रो समूहमा एक र पुनः पहिलो समूहमा एक, दोस्रो समूहमा एकर तेस्रो समूहमा एक गरी पुनः सोही क्रममा संस्था सङ्ख्या थप गरी हुने सङ्ख्या बराबर बचत तथा ऋणको विषयगत संस्था कायम गर्ने ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकीकरणपछि कायम हुने संस्थाको सदस्य सङ्ख्याको विचार गरी कुनै समूहको हकमा एकभन्दा बढी संस्था सङ्ख्या छुट्ट्याएर नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (१) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिमको जनसङ्ख्यासँग मेल खाने गरी एक वा एकभन्दा बढीसंस्था सङ्ख्या कायम गर्न सकिनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम एकीकरणपछि कायम हुने सदस्य सङ्ख्याको गणना गर्दा दुई वा दुईभन्दा बढी संस्थामा दोहोरो पर्ने सदस्यलाई एकै जनामान्नुपर्नेछ ।

(५) महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको वडा वा नगरपालिका वा गाउँपालिकामा जनसङ्ख्या थोरै भएका कारण हाल कायम रहेको कुनै समूहको संस्थालाई एकीकरण गरी मिलान गर्न समूहगत सङ्ख्या नरहने भएको खण्डमा देहायबमोजिम गर्नुपर्नेछ :–

(क) महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको कुनै वडामा सङ्ख्या ननिस्केको तेस्रो समूहको संस्थालाई तेस्रो समूहको सङ्ख्या निस्केको महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाकै अन्य कुनै वडाको संस्थासँग एकीकरण गर्ने,

(ख) महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको अन्य कुनै वडाअन्तर्गत समेत तेस्रो समूहको सङ्ख्या ननिस्केकोमा जिल्लाभित्र तेस्रो समूहको सङ्ख्या निस्केको जोडिएको वा अन्य महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको संस्थासँग एकीकरण गर्ने,

(ग) महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको कुनै वडामा सङ्ख्या ननिस्केको दोस्रो समूहको संस्थालाई दोस्रो समूहको सङ्ख्या निस्केको अन्य कुनै वडाअन्तर्गतको संस्थासँग एकीकरण गर्ने,

(घ) नगरपालिका वा गाउँपालिकामा सङ्ख्या ननिस्केको तेस्रो समूहको संस्थालाई जिल्लाभित्र तेस्रो समूहको सङ्ख्या निस्केकोजोडिएको वा अन्य नगरपालिका वा गाउँपालिकाको संस्थासँग एकीकरण गर्ने र

(ङ) नगरपालिका वा गाउँपालिकाको वडामा सङ्ख्या ननिस्केको दोस्रो समूहको संस्थालाई दोस्रो समूहको सङ्ख्या निस्केको अर्को वडाको संस्थासँग एकीकरण गर्ने ।

१४. **उपसमूहगत रूपमा एकीकरण गर्नुपर्ने**: महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको वडा वा नगरपालिका वा गाउँपालिकामा दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) बमोजिम पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो कुनै समूहमा एकीकरणपछि कायम हुने संस्थाएकभन्दा बढी पर्ने अवस्थामा सम्बन्धित समूहअन्तर्गतका संस्थाहरूलाई एक–आपसमा सदस्यता दोहोरिएको आधारमा एकीकरणपछि कायम हुने संस्था सङ्ख्या बराबरको उपसमूहमा राखी उपसमूहगत रूपमा एकीकरण गर्नुपर्नेछ ।
तर महिला–मात्रका र मिश्रित सदस्य हुने संस्थाहरूको उपसमूह छुट्टाछुट्टै कायम गर्नुपर्नेछ ।

१५. **प्रक्रियागत समन्वय**: (१) स्थानीय तहको नियामक निकायले दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र (घ) बमोजिमका संस्थाहरूको विवरण यथाशीघ्र प्रदेशको नियामक निकाय र विभागमा पठाउनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त विवरणका आधारमा प्रदेशको नियामक निकाय वा विभागले सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण प्रक्रियामा समन्वय गरिदिनुपर्नेछ ।

१६. **विशेष संस्था यथावतै राख्नुपर्ने**: दफा १३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियमावलीको नियम ३९ को उपनियम (४) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भए अनुरूप महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको वडा वा नगरपालिका वा गाउँपालिकाको विशेष रूपमा पिछडिएको समुदायमा स्थापित संस्थाको साङ्गठनिक गतिशीलतामा असर पर्ने देखिएकोमा त्यस्तो संस्थालाई यथावतै राखी बाँकीको हकमा मात्र स्वैच्छिक एकीकरणद्वारा सङ्ख्या मिलान गर्नुपर्नेछ ।

१७. **पृथक् सूचीका संस्थाको एकीकरण**: दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिमको पृथक् सूचीमा रहेको सोही दफाको उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको कुनै संस्था सञ्चालनको अवस्थामा अपेक्षित प्रगति भएको कारण शीघ्र सुधार कारबाई (प्रोम्ट करेक्टिभ एयाक्सन) वा निगरानी सूचीबाट हटाइएकोमा त्यस्तो संस्थाका हकमा समेत नियामक निकायले दफा १३ बमोजिम नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (३) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा दिइएको म्यादभित्र स्वैच्छिक एकीकरणबाट सङ्ख्या मिलानको प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्नेछ ।

१८. **बचतऋणको मुख्य कारोबार गर्नरोक लगाउनुपर्ने**: (१) नियामक निकायले दफा १३ वा १७ बमोजिम स्वैच्छिक एकीकरणको प्रक्रियामा सहभागी हुन नचाहेको वा चाहेर पनि वित्तीय अवस्थालगायतको कारणबाट स्वैच्छिक एकीकरणको प्रक्रियामा सहभागी भएका संस्थाहरूले एकीकरणका लागि सहमति नजनाएको संस्थालाई नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (३) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा दिइएको म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि बचतऋणको मुख्य कारोबार गर्नमा रोक लगाउनुपर्नेछ ।

तर ऐनको दफा ५० को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनको व्यवस्थामा उल्लिखित बचत तथा ऋण संस्थाबाहेकका बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाको हकमा तदनुसारकै म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि बचतऋणको मुख्य कारोबार गर्नमा रोक लगाउनुपर्नेछ ।

(२) महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको वडा वा नगरपालिका वा गाउँपालिकामा एकीकरण गर्नुपर्ने संस्था दुई वटा मात्र भएको रएउटा संस्थाले अर्को संस्थालाई स्वैच्छिक एकीकरणका लागि सहमति नजनाएकोमा विभागबाट स्वीकृत जोखिमावस्था वर्गीकरणमा घटी

जोखिमावस्थामा रहेको संस्थालाई कायमै राखी बढी जोखिमावस्थामा रहेको संस्थाका हकमा उपदफा (१) बमोजिम मुख्य कारोबार गर्नमा रोक लगाउनुपर्नेछ ।

१९. **<u>संस्था सारी सङ्ख्या मिलान गर्न नहुने</u>**: एउटा गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको वडामा रहेको संस्था अर्को गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाको वडामा सारी वा त्यस्तो संस्थाको मुख्य कार्यालय रहिआएको साबिकको ठेगाना परिवर्तन गरी दफा ३ बमोजिम कायम गरिएको अधिकतम संस्था सङ्ख्यासँग मिलान गर्नु हुँदैन ।

२०. **<u>सहजीकरण गर्नुपर्ने</u>**: (१) दफा १३ बमोजिम स्वैच्छिक एकीकरणबाट संस्था सङ्ख्या मिलान गर्ने सिलसिलामा नियामक निकायले वडागत, संस्थागत वा उपयुक्त अन्य रूपमा सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधि डाकी वा त्यसरी डाकिएको स्थलमा पुगी समायोजन प्रक्रियामा प्रकाश पारी वा तत्सम्बन्धमा कुनै द्विविधा भए प्रस्ट गराई वा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको आवश्यकताअनुसारको सहयोग पुर्याई सहजीकरण गर्नुपर्नेछ ।

(२) नियामक निकायले सहकारी आन्दोलनको प्रवर्धन, वित्तीय सुशासनका मानकहरू, समुदायमा आधारित सहकारिताको विकासका लागि ऐन, नियमावली वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनको व्यवस्था लगायतका विषयमा आम सदस्यहरूलाई सुसूचित गराउने उद्देश्यले शिक्षा शिविर, अनुशिक्षण, अन्तक्रियाजस्ता विभिन्न सचेतनामूलक कार्यकलापसमेत सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम सहजीकरण वा सचेतनामूलक कार्यकलाप सञ्चालन गर्दा नियामक निकायले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित सङ्घको समेत सहयोग लिन सक्नेछ ।

२१. **<u>विभाजन गरी एकीकरणको प्रक्रियामा समावेश हुन सक्ने</u>**: दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको संस्थाका साथै दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम एकीकरणद्वारा समायोजन हुन नसकेको संस्था विभाजन गरी दफा १३ बमोजिम नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (३) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा दिइएको म्यादभित्र स्वैच्छिक एकीकरणबाट सङ्ख्या मिलानको प्रक्रियामा समावेश हुन सक्नेछ ।

२२. **<u>विषय परिवर्तन</u>**: (१) दफा १३ वा १७ वा २१ बमोजिम स्वैच्छिक एकीकरणको प्रक्रियामा सहभागी हुन नचाहेको वा चाहेर पनि वित्तीय अवस्थालगायतको कारणबाट स्वैच्छिक एकीकरणको प्रक्रियामा सहभागी भएका संस्थाहरूले एकीकरणका लागि सहमति नजनाएको बचतऋणको मुख्य कारोबार गरेको संस्थाले नियमावलीको नियम १२ वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम विषय परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

(२) दफा १८ बमोजिम बचतऋणको मुख्य कारोबार गर्नमा रोक लगाइएको संस्थाले विषय परिवर्तन गर्न चाहेमा नियामक निकायले मनासिबमाफिकको समय दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको समयमा संस्थाले बचतऋणको मुख्य कारोबार गर्न सक्ने छैन ।

तर दफा २१ बमोजिमको संस्थाको हकमा यो उपदफा लागू हुने छैन ।

## परिच्छेद–४
## एकीकरण वा विभाजन प्रस्ताव तर्जुमा

२३. **संयोजन कार्यदल गठनः** (१) एकीकरण वा विभाजनको कार्य व्यवस्थित तुल्याउन सम्बन्धित सहकारी संस्था वा संस्थाहरूले संयोजन कार्यदल गठन गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम एकीकरण संयोजन कार्यदल गठन गर्दा एकीकरण गरिने सहकारी संस्थाहरूका तर्फबाट कुनै एकले वा त्यस्ता सहकारी संस्थाहरू सदस्य रहेको सङ्घ वा महासङ्घले प्रत्येक सहकारी संस्थाका सबै सञ्चालकका साथै लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक एवं सदस्यहरूलाई डाकेको संयुक्त बैठकले प्रत्येक सहकारी संस्थाबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत कम्तीमा तीन जनाका दरले प्रतिनिधि चयन गरी ज्येष्ठ अध्यक्षलाई संयोजक तोक्नुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम विभाजन संयोजन कार्यदल गठन गर्दा विभाजन गरिने सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयुक्त बैठक डाकी अध्यक्ष स्वतः संयोजक रहने गरी विभाजनपछि कायम हुने प्रत्येक संस्थातर्फ पर्ने सञ्चालकहरू बराबरै हुने रहेछ भने तदनुसार नै राखी एकापट्टि घटी प्रतिनिधित्व हुने रहेछ भने सोही बैठकले त्यस तर्फका साधारण सदस्यहरू मध्येबाट फरक–फरक ठाउँबाट घटी भएजति प्रतिनिधि मनोनयन गरी बराबर पार्नुपर्नेछ ।

(४) संयोजन कार्यदलमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक वा सदस्यलाई राख्नु हुँदैन ।

२४. **नियामक निकायमा जानकारी पठाउनुपर्नेः** (१) प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम संयोजन कार्यदल गठन भएको तीन दिनभित्र संयोजन कार्यदलको अध्यक्षले गठन विधिसमेत खुलाएर सोको जानकारी नियामक निकायमा पठाउनुपर्नेछ ।

(२)उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सम्प्रेषण गरेको भएमा पनि नियामक निकायमा जानकारी पठाएको मानिनेछ ।

२५. **प्रस्ताव तयार पार्नुपर्नेः** (१) संयोजन कार्यदलले ऐन, नियमावली वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानून र यस निर्देशिकाको व्यवस्थाको अधीनमा रही एकीकरण वा विभाजनको शर्त तथा कार्यविधिसमेत खुलाएर अनुसूची–४ को ढाँचामा एकीकरण वा विभाजन प्रस्ताव तयार पार्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव तयार पार्दा सहकारी संस्थाको विषय प्रकृति अनुसार देहायको अवस्थामा देहायबमोजिम गर्नुपर्नेछ :–

(क) बचतऋणको मुख्य कारोबार गरिरहेको बहुउद्देश्यीय, कृषि वा बचतऋणबाहेकको अन्य विषयगत सहकारी संस्था एकीकरण गरी बचत तथा ऋणको विषयगत सहकारी संस्थाकायम हुनेमा त्यस्तो सहकारी संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा प्रशोधन कारखाना, सङ्कलन केन्द्र वा बिक्री कक्ष, आपसी सुरक्षणलगायत बचतऋणबाहेकको व्यवसाय चलाएको भए बन्द गरी त्यसतर्फको सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गरी सम्पत्ति नगदमा परिणत गरिसक्नुपर्ने र

(ख) बचतऋणको मुख्य कारोबार गरिरहेको बहुउद्देश्यीय, कृषि वा बचतऋणबाहेकको अन्य विषयगत सहकारी संस्था एकीकरण गरी बचतऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने बहुउद्देश्यीय, कृषि वा बचतऋणबाहेकको अन्य विषयगत सहकारी संस्था कायम हुनेमा त्यस्तो सहकारी संस्थाले

ऐनको दफा ५० को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भएअन्तर्गत दिइएको म्यादभित्र बचतऋणको मुख्य कारोबार नरहने सुनिश्चित गरी नियामक निकायलाई मान्य कार्ययोजना समावेश गरेको हुनुपर्ने ।

(३) सहकारी संस्थाले उपदफा (२) बमोजिमको व्यवस्था संयुक्त साधारण सभाबाट एकीकरण वा विभाजनको निर्णय गर्नुअगावै मिलाइसकेको हुनुपर्नेछ ।

२६. **<u>शर्त राख्न नहुने</u>**: दफा २५ बमोजिमको एकीकरण वा विभाजनको प्रस्तावमा देहायको कुनैशर्त राख्नु हुँदैन :–

(क) खुला सदस्यताको सर्वमान्य सहकारी सिद्धान्तविपरीत सदस्यले साबिकको संस्थामा लिएको शेयरभन्दा बढी सङ्ख्या वा मूल्यको शेयर लिनुपर्ने वा कुनै सदस्यलाई पहिले खरिद गरेको न्यूनतमभन्दा बढी शेयरको रकम फिर्ता दिने वा शेयरको सङ्ख्या वा रकम समायोजनबापत भनी कुनै किसिमको रकम भुक्तानी दिने, त्यस्तो सदस्यको दायित्व फछ्र्यौट गर्ने वा अन्य कुनै रूपमा तदनुसारको हिसाबमा जनाउने,

(ख) जगेडा कोषको एवं संयुक्त सम्पत्तिको अविभाज्यताको सर्वमान्य सहकारी सिद्धान्तविपरीत जगेडा कोष वा स्थिर सम्पत्तिको हिसाब मिलानबापत भनी कुनै सदस्यले कुनै किसिमको थप रकम बुझाउनुपर्ने वा कुनै सदस्यलाई कुनै किसिमको रकम भुक्तानी दिने, त्यस्तो सदस्यको दायित्व फछ्र्यौट गर्ने वा अन्य कुनै रूपमा तदनुसारको हिसाब देखाउने,

(ग) सदस्यको लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको सिद्धान्तविपरीत कुनै सदस्यलाई कुनै कारण नदेखाई वा देखाई कुनै अवधिसम्म सञ्चालक वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा कायमै राख्ने,

(घ) परिच्छेद—६ को व्यवस्थाविपरीत हिसाब मिलान वा समायोजन गर्ने वा

(ङ) ऐन, नियमावली वाप्रदेश वा स्थानीय तहको कानून वा सर्वमान्य सहकारी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताविपरीतको अन्य कुनै शर्त ।

तर—

(१) खण्ड (क) मा लेखिएको कुनै कुराले ऐनको दफा ६३ को उपदफा (४) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम शेयरको अङ्कित मूल्य राखीसदस्यले साबिकमा खरिद गरेको शेयरको रकम बराबर शेयर सङ्ख्या कायम गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(२) खण्ड (ख) मा लेखिएको कुनै कुराले ऐनको दफा ५० को उपदफा (७) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्राथमिक पुँजी कोष नपुग भएको वा सञ्चित घाटा भएको बचतऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको बचतऋणको कारोबार सुचारु राख्न नपुग भएको प्राथमिक पुँजी वा सञ्चित रहेको घाटाको रकम साबिक सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले स्वैच्छिक रूपमा थप शेयर खरिद गरी पूर्ति गरिसकेपछि मात्र एकीकरण वा विभाजनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने गरी शर्त राख्न बाधा पर्ने छैन ।

२७. **प्रावधान राख्न नहुने**: दफा २५ बमोजिमको एकीकरण वा विभाजन प्रस्तावमा समावेश हुनेकार्यविधिमा देहायको कुनैप्रावधान राखु हुँदैन :–

(क) साधारण सभाको निर्णयअगावै कुनै प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने,

(ख) नियमावलीको नियम ४१ वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भए अनुरूप नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय, निकाय, बैङ्क, वित्तीय संस्था वा दातृ–निकायको ऋण, अनुदान वा अन्य प्रकारको सहयोग रकम वा जेथा रहेको संस्थाको हकमा सम्बन्धित निकायको पूर्व–सहमतिविना खण्ड (क) पछिको प्रक्रिया अघि बढाउने,

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम पूर्व–सहमति चाहिनेमा सोसमेतका आधारमा नियामक निकायको पूर्व–स्वीकृति नलिई त्यसउप्रान्तको प्रक्रिया अघि बढाउने,

(घ) रजिष्ट्रार, दर्ता अधिकारी वा दर्ता गर्ने अधिकारी वा निजबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले एकीकरण वा विभाजनको प्रस्ताव स्वीकृत गरी ऐनको दफा २९ को उपदफा (२) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम एकीकृत वाविभाजित सहकारी संस्थाको विनियम स्वीकृत नगर्दासम्म साबिकको नाम फेर्ने, नयाँ नामबाट काम–कारोबार थाल्ने, साबिक वा नयाँ नामबाट नयाँ सदस्यता दिने वा आन्तरिक कार्यविधिमा संशोधन, कर्मचारी समायोजनलगायतका कामकुरा गर्ने,

(ङ) साधारण सभाबाट गर्नुपर्ने निर्णयका हकमा साधारण सभाबाट पछि अनुमोदन गराउने गरी भनी प्रतिनिधि, समिति, संयोजन कार्यदल वा अन्य कुनै प्रतिनिधिमूलक अङ्ग वा बैठकले कुनै निर्णय गर्न सक्ने,

(च) सहकारी संस्थाको स्वीकृत विनियम वा आन्तरिक कार्यविधिको ऐन, नियमावली वाप्रदेश वा स्थानीय तहको कानून वा मन्त्रालयबाट स्वीकृत निर्देशिका, मानदण्ड वा कार्यविधिसम्मत व्यवस्थासँग बाझिने र

(छ) ऐन, नियमावली वाप्रदेश वा स्थानीय तहको कानून वा सर्वमान्य सहकारी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताविपरीतको अन्य कुनै प्रावधान ।

तर—

(१) खण्ड (क) मालेखिएको कुनै कुराले साधारण सभाको पूर्व–तयारीका सिलसिलामा सम्बन्धित अर्को सहकारी संस्था, नियामक निकाय वा खण्ड (ग) मा उल्लिखित निकायसँग कुनै कुरा बुझ्ने, कागतपत्र आदान–प्रदान गर्ने वा अनौपचारिक स्तरमा कुराकानी गर्ने गरी कार्यविधिमा प्रस्ताव गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(२) खण्ड (ङ) मा लेखिएको कुनै कुराले मनासिब व्यावहारिक कारण परी तत्काल पेश गर्न नसकिएको कुनै फेहरिस्त वा विस्तृति वा तत्काल टुङ्गो लाग्न नसकेको विषयका सम्बन्धमा साधारण सभाको विचारार्थ पछि पेश गर्ने गरी अन्य कार्यहरू गर्दै रहने गरी साधारण सभाको स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा प्रस्ताव गर्न बाधा पर्ने छैन ।

२८. **प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिने**: (१) संयोजन कार्यदलले तर्जुमा गरेको प्रस्तावको प्रारूप संलग्न सहकारी संस्था वा संस्थाहरूको सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिबेक्षण समिति लगायत गठित

सहकारीसंग सम्बद्ध उपसमितिहरुको विस्तारित बैठकमापेश गरी त्यसमा बैठकको कुनै राय, सुझाव भए उपयुक्त राय, सुझाव समावेश गरेर प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अन्तिम रूप दिइएको प्रस्ताव संयोजन कार्यदलले समितिको विचारार्थ पठाउनुपर्नेछ ।

२९. **प्रस्ताव फिर्ता पठाउन सक्नेः** (१) दफा २८ बमोजिम संयोजन कार्यदलबाट अन्तिम रूप दिइएकोप्रस्तावमा विस्तारित बैठकबाट प्रदान गरिएको उपयुक्त सुझाव समावेश गर्न छुट भएको वा अर्को सहकारी संस्थाका तर्फबाट व्यक्त कुनै सरोकार सम्बोधन नभएको वा त्यस बीचमा कुनै नयाँ विषयका सम्बन्धमा विशेषतः प्रस्ट पार्नुपर्ने वा कुनै व्यवस्थामा थपघट गर्नुपर्ने देखिएकोमा समितिले तत्सम्बन्धी व्यहोरा जनाएर पुनर्विचार गर्न संयोजन कार्यदलमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव फिर्ता प्राप्त भएकोमा संयोजन कार्यदलले यथाशीघ्र पुनर्विचार गरी कुनै कुरा संशोधन गर्नुपर्ने भए गरिएको संशोधनको व्यहोरा र गर्नु नपर्ने भए नपर्नाको कारणसमेत खुलाएर पुनः समितिमा पठाउनुपर्नेछ ।

## परिच्छेद — ५

## एकीकरण वा विभाजन प्रस्तावको स्वीकृति

३०. **साधारण सभामा प्रस्ताव पेश गर्नेः** (१) संयोजन कार्यदलबाट दफा २८ को उपदफा (२) बमोजिम अन्तिम रूप दिई वा दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिम पुनर्विचार गरी प्राप्त हुन आएको प्रस्ताव समितिले ऐनको दफा ८७  को उपदफा (२) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम साधारण सभाको विचारार्थ पेश गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनार्थ समितिले ऐनको दफा ३९ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम विशेष साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ ।

तर यसमा लेखिएको कुनै कुराले वार्षिक साधारण सभामा प्रस्ताव राख्न बाधा पर्ने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्दा दफा २९ को उपदफा (१) अन्तर्गत संयोजन कार्यदललाई पुनर्विचारका लागि प्रस्ताव फिर्ता पठाइएको भए अनुसूची–५ को ढाँचामा तत्सम्बन्धी व्यहोरासमेत जनाउनुपर्नेछ ।

(४) एकीकरणको प्रस्तावमा दफा ३१ बमोजिम अर्को सहकारी संस्थाबाट त्यसबीचमा कुनै निर्णय भई जानकारी प्राप्त भएको भए तत्सम्बन्धी बेहोरासमेत उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्दा खुलाउनुपर्नेछ ।

३१. **निर्णयको जानकारी पठाउनुपर्नेः** (१) दफा ३० बमोजिम पेश भएको एकीकरणको प्रस्तावका सम्बन्धमा साधारण सभामा भएको निर्णयको जानकारी सम्बन्धित सहकारी संस्थामा पठाउनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी पठाउँदा साधारण सभाबाट प्रस्तावको कुनै कुरा संशोधन गरी पारित भएको भए अनुसूची–५ को ढाँचामा तत्सम्बन्धी व्यहोरासमेत जनाउनुपर्नेछ ।

३२. **पूर्व–स्वीकृतिका लागि निवेदन दिने** : (१) सहकारी संस्थाले दफा ३० बमोजिम साधारण सभा र पुनर्सङ्गठन भए पुनर्सङ्गठन क्षेत्र विशेषका सदस्यहरूको भेलासमेतको सैद्धान्तिक स्वीकृतिपछि एकीकरण वा विभाजनका लागि नियामक निकायको पूर्व–स्वीकृतिका लागि अनुसूची–६ को ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनमा समितिको अध्यक्षले सहकारी संस्थाको छाप लगाएर हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनसाथ देहायका कागजात संलग्न गर्नुपर्नेछः–

(क) ऐनको दफा ८७ को उपदफा (२) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिमको बहुमतबाट भएको साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपि,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम साधारण सभाबाट स्वीकृत अनुसूची- ४ को ढाँचामा एकीकरण वा विभाजनको प्रस्ताव,

(ग) नियमावलीको नियम ४१ वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम सम्बन्धित निकायको पूर्व–सहमति लिनुपर्नेमा त्यस्तो सहमति पत्र,

(घ) नियमावलीको नियम ३९ को उपनियम (३) बमोजिमका सहकारी संस्थाहरूको हकमा मन्त्रालयको पूर्व–स्वीकृति पत्र,

(ङ) स्थायी लेखा नम्बर लिएको सहकारी संस्थाको हकमा सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयको सहमति पत्र र

(च) नियामक निकायले तोकेको अन्य विवरण वा सम्पुष्टिजनक कागतपत्र ।

(४) एकीकरण गरिने भए सम्बन्धित प्रत्येक सहकारी संस्थाको तर्फबाट उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिएको हुनुपर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिमको निवेदन एउटै वा फरक–फरक मितिमा दिन सकिनेछ ।

तर पहिलो सहकारी संस्थाको निवेदन दर्ता भएको मितिले तीन महिनाभित्र बाँकी सबै सहकारी संस्थाहरूको निवेदन प्राप्त भइसक्नुपर्नेछ ।

**३३. पूर्व–स्वीकृति दिने** : (१) नियामक निकायले दफा ३२ बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र निवेदन तथा सोसाथ संलग्न कागजातको जाँच गरी सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताका साथै ऐन, नियमावली वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानून र यस निर्देशिकाको व्यवस्था अनुरूप भएको पाइएका सहकारी संस्थालाई एकीकरण वाविभाजनको पूर्व–स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पूर्व–स्वीकृति दिंदानियामक निकायले सहकारी संस्थाबाट प्राप्त भएको कागतपत्रका आधारमा एकीकरण वा विभाजनको कुनै कुरा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता वा ऐन, नियमावली वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानून र यस निर्देशिकाको व्यवस्था अनुरुप नभएकोमा त्यसमा सच्याउनुपर्ने व्यहोरासमेत जनाउनुपर्नेछ ।

(३) एकीकरणको हकमा उपदफा (१) बमोजिम अवधि गणना गर्दा अन्तिम सहकारी संस्थाका तर्फबाट निवेदन प्राप्त भएको मितिको आधार लिइनेछ ।

(४) प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यस दफाबमोजिम दिइएको पूर्व–स्वीकृतिको मान्य अवधि छ महिना हुनेछ ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनासिब कारण परी सम्बन्धित सहकारी संस्था वा संस्थाहरूको निवेदन प्राप्त भएकोमा नियामक निकायले पूर्व–स्वीकृतिको मान्य अवधि तीन महिनासम्म थप गरिदिन सक्नेछ ।

**३४. संयुक्तसाधारण सभाः** (१) दफा ३३ बमोजिम नियामक निकायको पूर्व-स्वीकृति प्राप्त भएपछि संयोजन कार्यदलको अध्यक्षलेसम्बद्ध अन्य सहकारी संस्थाका अध्यक्षहरूसँग परामर्श गरी उपयुक्त मिति, समय र स्थानमा संयुक्त साधारण सभा बोलाउनुपर्नेछ ।

(२) संयोजन कार्यदलको अध्यक्ष देशबाहिर रहेको वा अन्य विशेष कारणले बैठक बोलाउने अवस्थामा नरहेको खण्डमा संयोजन कार्यदलमा रहेका समितिका अध्यक्षहरू मध्येको ज्येष्ठ सदस्यले उपदफा (१) बमोजिम संयुक्त साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ ।

(३) संयुक्त साधारण सभाको बैठकको अध्यक्षता संयोजन कार्यदलको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित संयोजन कार्यदलमा रहेका समितिका अध्यक्षहरू मध्येको ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।

**३५.** **<u>संयुक्त साधारण सभाको कार्यसूचीः</u>** (१) संयुक्त साधारण सभाको कार्यसूची देहायबमोजिम हुनेछ :–

(क) प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिई पारित गर्ने,

(ख) एकीकरण वा विभाजनपछि कायम हुने सहकारी संस्थाको कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने,

(ग) एकीकरण वा विभाजनपछि कायम हुने सहकारी संस्थाको प्रस्तावित विनियमको मसौदा पारित गर्ने,

(घ) दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) वा (ख) को अवस्था भए सम्बन्धित सहकारी संस्थाले तदनुसारको व्यवस्था मिलाइसके, नसकेको सम्बन्धमा संयोजन कार्यदलका तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमा विचार गरी अनुमोदन गर्ने वा तत्सम्बन्धमा जो–चाहिने निर्देशन दिने,

(ङ) रजिष्ट्रार, दर्ता अधिकारी वा दर्ता गर्ने अधिकारीले एकीकरण वा विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत गरेका दिनदेखि एकीकरण वा विभाजनपछि कायम हुने सहकारी संस्थाको पहिलो विधिवत् साधारण सभा नबसुन्जेलि दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि तदर्थ समिति गठन गर्ने,

(च) एकीकरण वा विभाजनको हिसाब मिलान प्रमाणित गर्न इजाजतप्राप्त लेखापरीक्षक नियुक्त गरी पारिश्रमिक तोक्ने,

(छ) एकीकरण वा विभाजनपछि कायम हुने सहकारी संस्थाको सङ्गठन तालिकाका साथै अनुसूची–७ को ढाँचामा कर्मचारी दरबन्दी संरचना एवंसाबिकको सहकारी संस्थाबाट समायोजन हुने कर्मचारीको पद मिलान तालिकास्वीकृत गर्ने,

(ज) संयोजन कार्यदलको खर्चको फाँटवारी अनुमोदनका साथै त्यस्तो खर्च सम्बद्ध सहकारी संस्थाहरूले के–कस्तो आधार र अनुपातमा बेहोर्ने भन्ने तय गर्ने र

(झ) एकीकरण वा विभाजनको प्रयोजन पूरा गर्ने वा सोको सिलसिलामा आवश्यक हुने कार्यका लागि संयोजन कार्यदलले पेश गरेको अन्य प्रस्तावमा विचार गरी निकासा दिने ।

(२) विभाजनका सिलसिलामा उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम तदर्थ समिति गठन गर्दा संयुक्त साधारण सभाबाट स्वीकृत भएको प्रस्तावका आधारमा विभाजन भई कायम हुने सहकारी संस्थातर्फ पर्ने सदस्यहरू आ–आफ्नो सहकारी संस्थाको हकमा मात्र तत्सम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।

**३६.** **<u>संयुक्त साधारण सभासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः</u>** (१) दफा ३४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ४० को उपदफा (५) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा उल्लिखित सदस्य सङ्ख्या भएको संस्थाको हकमा सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका, २०७६

को व्यवस्थाबमोजिम साधारण सभाको अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्न बनेको एकाइ प्रतिनिधिहरूको सभाले नै संयुक्त साधारण सभाको कार्य गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको एकाइ प्रतिनिधिहरूको सभामा सम्बद्ध सहकारी संस्थाहरूको प्रतिनिधि सङ्ख्या बराबर नहुने रहेछ भने सबभन्दा बढी प्रतिनिधि हुने सहकारी संस्थाको सङ्ख्या कायमै राखी त्यसभन्दा घटी सङ्ख्या हुने सहकारी संस्थाको दफा ३० बमोजिम बसेको साधारण सभाले नै संयुक्तसाधारण सभाको प्रयोजनका लागि घटी भएजति थप प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

(३) एकीकरण गरिने सहकारी संस्थाहरू कुनैमामात्र उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था भएको खण्डमा बाँकी सहकारी संस्थाहरूको हकमा समेत उपदफा (२) बमोजिम संयुक्तसाधारण सभाको प्रयोजनका लागि त्यति नै सङ्ख्यामा प्रतिनिधिहरू चयन गरिपठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

३७. **संयुक्त साधारण सभाको गणपूरक सङ्ख्या र निर्णयः** (१) उपदफा (२) बमोजिम प्रस्ताव पारित गर्न न्यूनतम रूपमा आवश्यक सदस्यहरूको उपस्थिति भएमा संयुक्तसाधारण सभाको बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।

(२)संयुक्त साधारण सभामा पेश भएको प्रस्ताव सम्बद्ध सबै सहकारी संस्थाहरूको गरी हुने कुल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिमको निर्णय बैठकमा उपस्थित सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट गर्न सकिनेछ ।

(४) दफा ३६ बमोजिम संयुक्त साधारण सभा बसेकोमा सम्बद्ध प्रत्येक सहकारी संस्थाका जम्मा प्रतिनिधिहरूको बहुसङ्ख्यासहितको उपस्थिति भएको खण्डमा बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम बसेको संयुक्त साधारण सभाले सबै सहकारी संस्थाहरूको गरी हुने कुल कायम रहेको प्रतिनिधि सङ्ख्याको बहुमतबाट पेश भएको प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछ ।

३८. **निर्देशिकाका व्यवस्था लागू हुनेः** दफा ३६ र ३७ को अधीनमा रही साधारण सभाको बैठक सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया एवं निर्णय प्रमाणीकरण लगायतका सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका, २०७६ को व्यवस्था संयुक्त साधारण सभाको बैठकको हकमा पनि समान रूपमा लागू हुनेछन् ।

३९. **संयुक्त साधारण सभाको कार्यमा निर्बन्धनः** संयुक्त साधारण सभाले दफा ३० बमोजिम पारित भएको प्रस्तावको भावना एवं एकीकरण वा विभाजनको आधारभूत शर्तविपरीत प्रस्ताव वा प्रस्तावित विनियमको मसौदा पारित गर्नु वा अन्य कुनै निर्णय गर्नु हुँदैन ।

तर संयुक्त साधारण सभामा पेश भएको प्रस्तावमा साधारण सभाबाट पारित भएको प्रस्तावको कुनै कुरा छुटेकोमा समावेश गरी, प्रस्ट नभएको कुनै कुरा प्रस्ट पारी वा फरक अर्थमा बुझिने कुनै कुरा एकै अर्थमा बुझिने शब्दावली राखी संशोधन गरेर वा आनुषङ्गिक सुधार वा अनायास हुन गएको त्रुटि सच्याएर पारित गर्न बाधा पर्ने छैन ।

४०. **संयोजन कार्यदल स्वतः विघटित हुनेः** दफा ३४ वा ३६ बमोजिम बसेको संयुक्त साधारण सभाको कारबाई समाप्त भएपछि संयोजन कार्यदल स्वतः विघटित हुनेछ ।

तर कार्यसूचीका सबै विषय टुङ्गो नलागी वा कुनै विषयमा थप बुझ्नुपर्ने भई वा अन्य कुनै व्यावहारिक कारण परी संयुक्त साधारण सभाको पुनः बैठक बस्नुपर्ने भएकोमा त्यसरी अन्तिम पल्ट बस्ने बैठकको कारबाई समाप्त नहुन्जेलि संयोजन कार्यदल कायमै रहनेछ ।

४१. **प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि दरखास्त दिने** : (१) संयुक्त साधारण सभाबाट पारित भएको प्रस्तावका साथै एकीकरण वा विभाजनपछि कायम हुने सहकारी संस्था वा संस्थाहरूको विनियम ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित सहकारी संस्थाको समितिको तर्फबाट अध्यक्षहरूले आ–आफ्नो संस्थाको छाप लगाएर रजिष्ट्रार, दर्ता अधिकारी वा दर्ता गर्ने अधिकारीसमक्ष अनुसूची–८ को ढाँचामा दरखास्त दिनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा(१) बमोजिमको दरखास्तसाथ देहायका कागतपत्र संलग्न गर्नुपर्नेछः–

(क) संयुक्त साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपि,

(ख) संयुक्त साधारण सभाबाट पारित भएको प्रस्तावको दुई प्रति,

(ग) एकीकरण वा विभाजनपछि कायम हुने सहकारी संस्थाको कार्ययोजनाको दुई प्रति,

(घ) विनियमको मस्यौदाको दुई प्रतिर

(ङ) नियामक निकायले तोकेको अन्य विवरण वा सम्पुष्टिजनक कागतपत्र ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम एकीकरण वा विभाजनपछि कायम हुने सहकारी संस्थाको विनियमको मसौदामा 'एकीकरण वा विभाजनपूर्वको सहकारी संस्थाको विनियमबमोजिम भए, गरेको काम–कारोबार यसै विनियमबमोजिम भए, गरेको मानिनेछ'भन्ने व्यवस्थासमेत राख्नुपर्नेछ ।

४२. **प्रस्तावको स्वीकृति**ः (१)रजिष्ट्रार, दर्ता अधिकारी वा दर्ता गर्ने अधिकारीले दफा ४१ बमोजिम प्राप्त भएको दरखास्तउपर साधारणतया पन्ध्र दिनभित्र आवश्यक जाँचबुझ गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त अनुसूची-९ को ढाँचामा एकीकरण वा विभाजनका लागि प्रस्ताव प्राप्त हुन आएको व्यहोरा खुलाएर कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद राखी तत्सम्बन्धमा सरोकारवाला कसैको कुनै सरोकार, गुनासो वा उजुरी भए निवेदन दिन आह्वान गरी कार्यालयका साथै सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडा कार्यालयहरूमा सूचना टाँस एवं 'वेबसाइट' भए 'वेबसाइट'मार्फत सम्प्रेषण गरी सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र जिल्लाभित्र भए स्थानीय र जिल्लाबाहिर भए कम्तीमा राष्ट्रिय स्तरको कुनै एक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र कुनै निवेदन प्राप्त भएकोमा नियामक निकायले तत्सम्बन्धमा छानबिन गरी ऐन, नियमावली र प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम गर्नुपर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त दरखास्तउपर उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परेकोमा सोको छानबिनसमेत जाँचबुझ गर्दा सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका साथै ऐन, नियमावली वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनका व्यवस्था अनुरूप भएको पाइएमा प्रस्ताव र विनियम स्वीकृत गरी स्वीकृत विनियमको कार्यालय प्रति राखी अर्को प्रति सम्बन्धित सहकारी संस्थामा पठाउनुपर्नेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम विनियम स्वीकृत गर्दा सोको अन्तिम पृष्ठमा 'मिति ... ... ... /.../... को निर्णयबाट एकीकरण/विभाजनगरी विनियम स्वीकृत' भन्ने व्यहोरा जनाउनुपर्नेछ ।

(६) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त वा ऐन, नियमावली वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनका व्यवस्था अनुरूप नभएको पाइएमा सोही व्यहोरा जनाई तदनुरूप गरी पेश गर्न प्राप्त प्रस्ताव, विनियम र कार्ययोजनाको दोस्रो प्रति सम्बन्धित सहकारी संस्थामा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ ।

(७) उपदफा (४) बमोजिमको व्यहोरा सच्याई प्राप्त भएको साधारणतया सात दिनभित्र प्रस्ताव र विनियम स्वीकृतिको निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ ।

४३. **नाम, दर्ता नम्बर र लगत संशोधन**: (१) रजिष्ट्रार, दर्ता अधिकारी वा दर्ता गर्ने अधिकारीले दफा ४२ बमोजिम एकीकरण भई कायम हुने सहकारी संस्थाको नाम र दर्ता नम्बरका सम्बन्धमा देहायको अवस्थामा देहायबमोजिम गरी लगत संशोधन गर्नुपर्नेछ :–

(क) साबिकको कुनै सहकारी संस्थाको नाम यथावत् राख्ने गरी प्रस्ताव भइआएकोमा त्यस्तो सहकारी सस्ंथाको नामका साथै दर्ता नम्बरसमेत यथावत् राखी दर्ता कितापमा 'मिति ... ... ... /... /... को निर्णयबाट ... ... ... ... ..., ... ... ... ... ... र ... ... ... ... ... सहकारी संस्थाहरू समेत एकीकरण गरिएको' भन्ने व्यहोरा जनाउने,

(ख) खण्ड (क) को अवस्थामा साबिक नाम तथा दर्ता नम्बर कायम गरिएको सहकारी संस्थाबाहेकका एकीकृत गरिएका अन्य सहकारी संस्थाहरू प्रत्येकको हकमा 'मिति ... ... ... /... /... को निर्णयबाट ... ... ... ... ... सहकारी संस्थामा एकीकरण गरिएको' भन्ने व्यहोरा जनाएर लगत कट्टी गरिदिने,

(ग) साबिकको कुनै सहकारी संस्थाको नाम हुबहु नमिल्ने गरी एकीकरणपछि कायम हुने सहकारी संस्थाको नाम राख्ने प्रस्ताव भइआएकोमा नयाँ नामको सहकारी संस्था दर्ता गरी दर्ता कितापको कैफियत महलमा 'मिति ... ... ... /... /... को निर्णयबाट ... ... ... ... ..., ... ... ... ... ... र ... ... ... ... ... सहकारी संस्थाहरू एकीकरण गरी नयाँ नाम तथा दर्ता नम्बर दिइएको' भन्ने व्यहोरा जनाइराख्ने र

(घ) खण्ड (ग) को अवस्थामा एकीकृत गरिएका सहकारी संस्थाहरू प्रत्येकको हकमा 'मिति ... ... ... /... /... को निर्णयबाट ... ... ... ... ..., ... ... ... ... ... र ... ... ... ... ... सहकारी संस्थासँग एकीकरण गरी दर्ता नं. ... ... ... ... ... को ... ... ... ... ... सहकारी संस्था कायम गरिएको' भन्ने व्यहोरा जनाएर लगत कट्टी गरिदिने ।

(२) दफा ४२ बमोजिम विभाजन भई कायम हुने सहकारी संस्थाहरूको नाम र दर्ता नम्बरका सम्बन्धमा रजिष्ट्रार,दर्ता अधिकारी वा दर्ता गर्ने अधिकारीले देहायको अवस्थामा देहायबमोजिम गरी लगत संशोधन गर्नुपर्नेछ :–

(क) विभाजन भई कायम हुने सहकारी संस्थाहरू मध्ये मूल संस्थाको नाम नै रहने गरी प्रस्ताव भइआएको सहकारी सस्ंथालाई मूल संस्थाको साबिकको दर्ता नम्बर नै यथावत् राखी दर्ता कितापमा 'मिति ... ... ... /... /... को निर्णयबाट ... ... ... ... ..., ... ... ... ... ... र ... ... ... ... ... सहकारी संस्थाहरूमा विभाजन हुँदा मूल सहकारी संस्थाको साबिकको नाम तथा दर्ता नम्बर कायम गरिएको' भन्ने व्यहोरा जनाउने,

(ख) खण्ड (क) को अवस्थामा साबिक नाम तथा दर्ता नम्बर कायम गरिएको सहकारी संस्थाबाहेकका सहकारी संस्थाहरू प्रत्येकको हकमानयाँ नामको सहकारी संस्था दर्ता गरी दर्ता किताबको कैफियत महलमा 'मिति ... ... ... /... /... को निर्णयबाट ... ... ... ... ... सहकारी संस्था विभाजन गरी नयाँ नाम तथा दर्ता नम्बर दिइएको' भन्ने व्यहोरा जनाउने र

(ग) खण्ड (ख) को अवस्थामा'मिति ... ... ... /... /... को निर्णयबाट विभाजन गरी ... ... ... ... ..., ... ... ... ... ... र ... ... ... ... ... सहकारी संस्थाहरू कायम गरिएको' भन्ने व्यहोरा जनाएर मूल संस्थाको लगत कट्टी गरिदिने ।

४४. **<u>दर्ता प्रमाण–पत्र</u>**: दफा ४२ बमोजिम एकीकरण वा विभाजनपछि कायम गरिएको सहकारी संस्थालाई नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (१) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम दर्ता प्रमाण–पत्र दिनुपर्नेछ ।

तर साबिककै दर्ता नम्बर कायम गरिएको सहकारी संस्थाको हकमा दर्ता प्रमाण–पत्र दिनुपर्ने छैन ।

४५. **<u>एकीकरण वा विभाजन गरिएको सूचना</u>**: (१) नियामक निकायले दफा ४२ को उपदफा (४) बमोजिम एकीकरण वा विभाजन स्वीकृत गरेपछि अनुसूची १० को ढाँचामा तत्सम्बन्धी सूचना कार्यालयमा टाँस गरी 'वेबसाइट' भए 'वेबसाइट'मा राख्नुका साथै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले जानकारी पाउन सक्ने राष्ट्रिय वा स्थानीय एफएम रेडियो, पत्रिकालगायतको सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण वा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनाको प्रति सम्बन्धित नियामक निकायका साथै सहकारी संस्था सदस्य रहेको सङ्घ, सहकारी बैङ्क र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा समेत पठाउनुपर्नेछ ।

(३) सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई 'एसएमएस', 'इमेल' लगायतको माध्यमबाट एकीकरण वा विभाजनविशेषको जानकारी दिनुपर्नेछ ।

४६. **<u>अन्तरिम अवधिमा दैनिक कार्य सञ्चालन</u>**: (१) संयुक्त साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित भएपछि रजिष्ट्रार, दर्ता अधिकारी वा दर्ता गर्ने अधिकारीबाट एकीकरण वा विभाजन गरी विनियम स्वीकृत नभएसम्म दफा ६२ को अधीनमा रही सम्बद्ध सहकारी संस्थाको साबिकको समितिले नै दैनिककार्यसञ्चालन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिमा साबिकको सहकारी संस्थाको साधारण सभाको बैठक डाक्न, साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउने गरी कुनै निर्णय गर्न वा पारित प्रस्तावमा उल्लेख भएबमोजिम एकीकरण वा विभाजनको कुनै प्रक्रिया अघि बढाउनु हुँदैन ।

तर यसमा लेखिएको कुनै कुराले साधारण सभा वा संयुक्त साधारण सभाको विधि नपुगेको कारण वा दफा ४२ को उपदफा (६) बमोजिम रजिष्ट्रार, दर्ता अधिकारी वा दर्ता गर्ने अधिकारीबाट फिर्ता प्राप्त हुन आएको प्रस्ताव वा विनियममा पुनर्विचार गर्न साधारण सभा वा संयुक्त साधारण सभाको बैठक बोलाउन बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

(३) रजिष्ट्रार, दर्ता अधिकारी वा दर्ता गर्ने अधिकारीबाट प्रस्ताव एवं विनियम अस्वीकृत गरिएको जानकारी प्राप्त भएको खण्डमा सम्बद्ध सहकारी संस्थाको साबिकबमोजिमको कार्यसञ्चालनमा उपदफा (१) को निर्बन्धन कायम रहने छैन ।

४७. **<u>स्वीकृतिको बाध्यता नरहने</u>**: दफा ४१ बमोजिमको दरखास्तसाथ प्राप्त प्रस्ताव वा विनियमवा कार्ययोजनाको कुनै कुरा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता वा ऐन, नियमावली वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनका व्यवस्थाविपरीत भएको तथ्य जुनसुकै कारणले पछि खुल्न आएकोमा नियामक निकायले दफा ३३ बमोजिम पूर्व–स्वीकृति दिएकै आधारमा प्रस्ताव वा विनियम स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यता रहने छैन ।

## परिच्छेद–६

## हिसाब मिलान

४८. **हिसाब मिलान मिति तोक्ने**: (१) एकीकरण वा विभाजनको हिसाब मिलानको प्रयोजनका लागि संयोजन कार्यदलले मिति तोक्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मिति तोक्दा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको, अर्धवार्षिक वा चौमासिक खाताबन्दीको वा महिनाको मसान्त पार्नुपर्नेछ ।

तर संयुक्त साधारण सभा बस्ने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि नपर्ने गरी हिसाब मिलान मिति तोक्नु हुँदैन ।

४९. **हिसाब मिलान विधि**: (१) एकीकरण वा विभाजन गर्दा सम्बद्ध सहकारी संस्थाहरूको हिसाब एकीकृत गर्ने वा छुट्ट्याउने प्रयोजनका लागि देहायबमोजिमको विधि अवलम्बन गर्नुपर्नेछ :–

(क) एकीकरणमा संयुक्त ऋणधनमा आधारित विधि र

(ख) विभाजनमा समायोजित संयुक्त ऋणधनमा आधारित विधि ।

(२) प्रस्तावमा दफा ३० बमोजिम साधारण सभालेनिर्णय गर्दा हिसाब मिलान विधिसमेत खुलाउनुपर्नेछ ।

५०. **संयुक्त ऋणधन विधिबाट हिसाब मिलान**: (१) दफा ४९ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम संयुक्त ऋणधन विधिबाट हिसाब मिलान गर्दा अनुसूची–११ को तालिका–१ को ढाँचामा एकीकरण गरिनेसहकारी संस्थाहरू प्रत्येकको वासलातको सम्पत्ति र दायित्वको हिसाब नम्बरअनुसारको रकमकलम जोडेर एकीकृत सहकारी संस्थाको वासलाततयार पार्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१)बमोजिम हिसाब एकीकृत गर्दा एकीकरण हुने सहकारी संस्थाहरू एक–अर्काबीच साबिकमा कुनै लेनादेनाको रकमकलम रहेको भए कटाउनुपर्नेछ ।

५१. **समायोजित संयुक्त ऋणधन विधिबाट हिसाब मिलान**: (१) दफा ४९ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम समायोजित संयुक्त ऋणधन विधिबाट हिसाब मिलान गर्दा अनुसूची- ११ को तालिका २ को ढाँचामा देहायको प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ :–

(क) सामूहिक रकमकलमहरू सामूहिक ऋणधनका आधारमा छुट्ट्याउने,

(ख) संयुक्त रकमकलमहरू विभाजनपछि कायम हुने सहकारी संस्थाहरूको सदस्यता अनुपात अनुसार बाँडफाँड गर्ने र

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम हिसाब विभाजन गर्दा उप्रान्त कायम हुने कुनै सहकारी संस्थाको पूर्ववत् सेवा सञ्चालनमा अनपेक्षित बाधा, अड्काउ पर्ने भए त्यति हदसम्मको रकमकलम समायोजन गरी त्यस्तो बाधा, अड्काउ फुकाउने ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सामूहिक ऋणधनका आधारमा छुट्टिएको विभाजनपछिको कुनै सहकारी संस्थाको दायित्वतर्फको जम्मा रकम र सम्पत्तितर्फको जम्मा रकम बराबर नभएर अघिल्लो बढी भएकोमा बढी भएजति रकम 'सामूहिक ऋणधन समायोजन खाता'को 'लेना' (डेबिट) तर्फ तथा घटी भएकोमा घटी भएजति रकम 'सामूहिक ऋणधन समायोजन खाता'को 'देना'(क्रेडिट) तर्फ चढाउनुपर्नेछ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम विभाजनपछि कायम हुने सहकारी संस्थाको हिसाब छुट्ट्याउँदा देहायबमोजिम गर्नुपर्नेछ :–

(क) त्यस्तो प्रत्येक सहकारी संस्थाको सदस्य सङ्ख्यालाई मूल सहकारी संस्थाको दफा ४८ बमोजिम तोकिएको हिसाब मिलान दिनको सदस्य सङ्ख्याले भाग अनि एक सयको अङ्कले गुणन गरी आउने अनुपातलिने,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम अनुपात लिँदा संयोजक समितिले तय गरेबमोजिम दशमलवपछाडिका दुई वा चार वटा अङ्क राखेतर तदनुसारको प्रत्येक सहकारी संस्थाको अनुपातको जोड एक सय बराबर हुनुपर्ने र

(ग) खण्ड (क) बमोजिम छुट्टिएको विभाजनपछिको कुनै सहकारी संस्थाको दायित्वतर्फको जम्मा रकम र सम्पत्तितर्फको जम्मा रकम बराबर नभएर अघिल्लो बढी भएकोमा बढी भएजति रकम 'विभाजन हिसाब समायोजन खाता'को 'लेना' (डेबिट) तर्फ तथा घटी भएकोमा घटी भएजति रकम 'विभाजन हिसाब समायोजन खाता'को 'देना' (क्रेडिट) तर्फ चढाउने ।

**५२. <u>संयुक्त ऋणधनको समायोजनः</u>** (१) दफा ५१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको समायोजन देहायको अवस्थारही हिसाबमा तात्विक अन्तर पर्ने भएमा मात्र गर्नुपर्नेछ :–

(क) विभाजनपूर्व सहकारी बैङ्क वा अन्यत्रबाट पुनर्लगानीका लागि लिएको तथा दफा ४८ बमोजिम तोकिएको हिसाब मिलान मितिसम्म लगानीमै रहने ऋण लिने सदस्य विभाजनपछि कायम हुने सहकारी संस्था कुनै वा कुनै–कुनैमा मात्र परी कुनै वा कुनै–कुनैमा तरलता अभाव पर्ने देखिएको,

(ख) साबिकमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गरेको बहुउद्देश्यीय वा बचत तथा ऋणबाहेकको विषयगत संस्थाले निश्चित स्थानका सदस्यहरूको आवश्यकता अनुसार प्रशोधन कारखाना, कृषि फाराम, जलविद्युत् आयोजनाजस्ता व्यवसाय सञ्चालन गरिआएकोमा नियमावलीको नियम ४० को उपनियम (२) वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम विभाजनबाट सम्बन्धित स्थानविशेषको कार्यक्षेत्र छुट्ट्याएर कायम हुने विषयगत सहकारी संस्थामा त्यस्तो कारखाना, फाराम, आयोजना लगायतको जेथा हस्तान्तरण गर्दा अन्यत्रको कार्यक्षेत्रमा कायम हुने बचतऋणको सहकारी संस्थाको वासलातको सम्पत्ति र दायित्वमा धान्नै नसकिने असन्तुलन पैदा हुने देखिएको,

(ग) विभाजनपूर्व पुँजी पर्याप्तता रहेको तर हिसाब छुट्ट्याउँदा विभाजनपछि कायम हुने कुनै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साबिकबमोजिम बचत परिचालन सेवा सुचारु राख्न पुँजी न्यूनता हुने देखिएको वा

(घ) मौजुदा सहकारी संस्थाको खण्डीकरण गर्न नमिल्ने कार्यालय, जग्गा, गोदाम, सङ्कलन केन्द्र, प्रशोधन एकाइलगायतका भौतिक पूर्वाधारको वितरण भौगोलिक कार्यक्षेत्रको कुनै प्रखण्डमा सङ्केन्द्रित भएबाट विभाजनपछिको कुनै सहकारी संस्थालाई सेवा सञ्चालन गर्न भौतिक सुविधाको समस्या पर्ने देखिएको ।

(२)उपदफा (१) को खण्ड (क) को अवस्थामा देहायबमोजिम हिसाब समायोजन गर्नुपर्नेछ :–

(क) पुनर्लगानीका लागि लिएको ऋणको रकमबाट जुन–जुन सदस्यहरूलाई जे–जति पुनर्लगानी गरिएको हो ती–ती सदस्यहरू विभाजनपछिपर्ने सहकारी संस्थाको सम्पत्तितर्फ 'ऋण लगानी'को सावाँ अनि दायित्वतर्फ 'तिर्नुपर्ने ऋण' को सावाँ कायम गर्ने,

(ख) 'तिर्नुपर्ने ब्याज' भए भएजति रकम तिर्नुपर्ने सावाँकै अनुपातमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको दायित्वमा जनाउने,

(ग) 'पाउनुपर्ने ब्याज'का हकमा आम्दानी बाँधिएको भए 'ऋण लगानी'को सावाँकै अनुपातमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको सम्पत्तिमा जनाउने तर आम्दानी नबाँधिएको भए केही नगर्ने र

(घ) खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिम गर्दा विभाजनपछिको कुनै सहकारी संस्थाको दायित्वतर्फ तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँ, ब्याजको जम्मा रकम बराबर सम्पत्तितर्फ असुल गर्नुपर्ने ऋणको सावाँ, ब्याजको जम्मा रकम नभएर घटीबढी भएकोमा त्यसरी घटीबढी भएजति रकम दफा ५१ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम 'विभाजन हिसाब समायोजन खाता'मा चढाउने ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) वा (घ) को अवस्थामा देहायबमोजिम हिसाब समायोजन गर्नुपर्नेछ :–

(क) समायोजन गर्नुपर्ने कारखाना, फाराम, आयोजनालगायतको जेथाको रकम विभाजनपछि कायम हुने सहकारी संस्थाको सदस्यता अनुपातका आधारमा बाँडफाँड गर्ने,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम बाँडफाँड गर्दा समायोजन गर्नुपर्ने कारखाना, फाराम, आयोजनालगायतको जेथा कुन वा कुन–कुन सहकारी संस्थातर्फ पर्ने, नपर्ने भन्ने नहेर्ने,

(ग) खण्ड (क) बमोजिमको जेथा नपर्ने सहकारी संस्थाको रकमजति जेथा पर्ने सहकारी संस्थाको खण्ड (ख) बमोजिमको सम्बन्धित कारखाना, फाराम, आयोजनालगायतको जेथामा जोडी 'स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाताको 'देना' (क्रेडिट) तर्फ चढाउने र

(घ) खण्ड (ग) बमोजिम जेथा पर्ने सहकारी संस्थाबाट प्राप्त हुने रकम जेथा नपर्ने सहकारी संस्थाको खण्ड (ख) बमोजिमको सम्बन्धित कारखाना, फाराम, आयोजनालगायतको जेथाबाट घटाएर वा कटाएर 'स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाताको 'लेना' (डेबिट) तर्फ चढाउने।

(४) उपदफा (१) को खण्ड (ग) को अवस्थामा देहायबमोजिम समायोजन गर्नुपर्नेछ :–

(क) विभाजनपछि कायम हुने बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू प्रत्येकको प्राथमिक पुँजी कोषअन्तर्गत शेयर पुँजी र जगेडा कोषको रकम अलग्याउने,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम अलग्याइएको रकममा प्राथमिक पुँजी कोषको रकम आवश्यक अनुपातभन्दा घटी हुने सहकारी संस्थाको जगेडा कोषमा घटी हुनेजति रकम प्राथमिक पुँजी आवश्यक अनुपातभन्दा बढी हुने सहकारी संस्थाको जगेडा कोषबाट पुगेसम्म सार्ने र

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम सारिएको रकमप्राथमिक पुँजी कोष घटी परेको सहकारी संस्थाको 'विभाजन हिसाब समायोजन खाता'को 'लेना' (डेबिट) तर्फ र बढी परेको सहकारी संस्थाको 'विभाजन हिसाब समायोजन खाता'को 'देना' (क्रेडिट) तर्फ चढाउने ।

(५) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी विकास कोष वा अन्यत्रको ऋण लिएर खरिद वा निर्माण गरिएको उपदफा (१) को खण्ड (ख) वा (घ) बमोजिमको जेथाका हकमा विभाजनपछि त्यस्तो जेथा पर्ने सहकारी संस्थाले त्यसबापत तिर्न बाँकी रहेजति ऋणको सावाँ, ब्याज तिर्ने गरी त्यति नै रकम त्यस्तो जेथाकोमूल्य जनाएर हिसाब समायोजन गर्न सकिनेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम हिसाब समायोजन गर्दा तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँ, ब्याजको रकमभन्दा जेथाको मूल्य घटी भएकोमाजेथा पर्ने सहकारी संस्थाको 'स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाताको 'लेना' (डेबिट) र जेथा नपर्ने सहकारी संस्थाको 'स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाताको 'देना' (क्रेडिट) तर्फचढाउनुपर्नेछ ।

(७) उपदफा (५) बमोजिम हिसाब समायोजन गर्दा तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँ, ब्याजको रकमभन्दा जेथाको मूल्य बढी भएकोमा जेथा पर्ने सहकारी संस्थाको 'स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाताको 'देना' (क्रेडिट) तर्फ र जेथा नपर्ने सहकारी संस्थाको 'स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाताको 'लेना' (डेबिट) तर्फ चढाउनुपर्नेछ ।

५३. **<u>तोकिएको मितिअगावै हिसाब फरफारक गरिसक्नुपर्ने</u>**: देहायको रकमकलम साधारणतया एकीकरण वा विभाजनको हिसाब मिलान मिति अगावै सम्बन्धित सहकारी संस्थाले नै फरफारक गरिसक्नुपर्नेछ :–

(क) शेयर लाभांश कोषको वितरण गर्नुपर्ने रकम,

(ख) संरक्षित पुँजी कोषको फिर्ता गर्नुपर्ने रकम,

(ग) उधारो खरिदबापतको भुक्तानी दिनुपर्ने रकम,

(घ) आयकरबापत दाखिला गर्नुपर्ने रकम र

(ङ) एकीकरण वा विभाजनपछि अर्को सहकारी संस्थामा खण्डीकरण गरी भुक्तानी दिन वा हस्तान्तरण गरी असुल, फछ्र्यौट गर्न असुविधा पर्ने तिर्नुपर्ने घर भाडा, बेरुजुलगायतका अन्य लेनादेनाको रकमकलम ।

५४. **<u>मिलान हुन नसकेको रकमकलमको समायोजन</u>**: (१) दफा ५३ बमोजिमसम्बन्धित सहकारी संस्थाले नै फरफारक गरिसक्नुपर्ने कुनै रकम विशेष कारणवश निर्धारित मितिभित्र फरफारक हुन नसकेको अवस्थामा देहायबमोजिम गर्नुपर्नेछ :–

(क) एकीकरण गर्दा जुनसुकै रकमकलमको जिम्मेवारी एकीकरणपछि कायम हुने सहकारी संस्थामा सार्ने,

(ख) विभाजन गर्दा आयकर बापत दाखिला गर्नुपर्ने रकमलगायत दायित्वतर्फको रकमकलममा साबिक सहकारी संस्थाको जिम्मेवारी त्यति नै बराबरको नगदीसहित विभाजनपछि कायम हुने कुनै एक सहकारी संस्थामा सार्नेर

(ग) विभाजन गर्दा सम्पत्तितर्फको रकमकलमका हकमा दफा ५१ को उपदफा (३) बमोजिम छुट्ट्याएर सम्पत्ति सरेको सहकारी संस्थाले तदनुसारको रकम असुलउपर गरेपछि प्रत्येक सहकारी संस्थालाई शोधभर्ना दिने गरी 'विभाजन हिसाब शोधभर्ना खाता'को 'देना' (क्रेडिट) तर्फ र अन्य सहकारी संस्थाको 'विभाजन हिसाब शोधभर्ना खाता'को 'लेना' (डेबिट) तर्फ चढाएर

लगतसहित सम्पूर्ण रकम सम्बन्धित कारोबार वा सदस्यहरू परेको सहकारी संस्थामा सार्ने ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) वा (ग)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभाजनमा शेयर लाभांश कोष वा संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको हकमा वितरण गर्नुपर्ने रकम बाँकी रहेकोमा ज–जसको जे–जति रकम वितरण गर्नुपर्ने हो लगत खडा गरी लगतबमोजिमको हिसाब विभाजनपछि सदस्यहरू पर्ने सहकारी संस्थामा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

(३) विभाजनमा कर्मचारी बोनस कोषको वितरण गर्न बाँकी रकमका साथै कर्मचारीसँग सम्बन्धित अन्य दायित्वका सम्बन्धमा समेत लगत खडा गरी विभाजनपछि जो–जता समायोजन हुने हो सो सहकारी संस्थामा उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

**५५.** **स्थिर सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी हिसाब समायोजन गर्न नहुने**ः एकीकरण वा विभाजन गर्दा कुनै पनि स्थिर सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी हिसाब समायोजन गर्नु हुँदैन ।

**५६.** **विस्तृति अनुसूचीमा खुलाउनुपर्ने**ः एकीकरण वा विभाजनको हिसाब मिलानअघि र पछिको वासलातका अनुसूची–१२ बमोजिमका रकमकलमहरूको विस्तृति तदनुसारको ढाँचामा खुलाउनुपर्नेछ ।

**५७.** **लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधार लिनुपर्ने**ः (१) एकीकरण वा विभाजनको हिसाब मिलान गर्दा सम्बद्ध सहकारी संस्थाको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधार लिनुपर्नेछ ।

(२) दफा ४८ बमोजिम तोकिएको मिति र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मिति एकै नपरेको खण्डमा अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको हिसाब वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट र त्यसयता दफा ४८ बमोजिम तोकिएको मितिसम्मको हिसाब आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट लिनुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) को अवस्थामा संयोजन कार्यदलले सम्बद्ध सबै सहकारी संस्थामादफा ४८ बमोजिम तोकिएको मितिसमेत खुलाएर आन्तरिक लेखापरीक्षण गराइराख्न समयमै जानकारी पठाउनुपर्नेछ ।

**५८.** **प्रवेश शुल्क बुझाएको मानिने**ः एकीकरण वा विभाजन भएबाट एक सहकारी संस्थाको सदस्य अर्को सहकारी संस्थामा सरिगएकोमा त्यस्तो सदस्यले साबिक सहकारी संस्थामा विनियमबमोजिम तोकिएको प्रवेश शुल्कबापतको रकम बुझाएको भए नयाँ सहकारी संस्थाको हकमा समेत विनियमबमोजिम तोकिएको प्रवेश शुल्क बापतको सम्पूर्ण रकम बुझाएको मानिनेछ ।

**५९.** **हिसाब मिलान प्रमाणित गराउनुपर्ने** : रजिष्ट्रार, दर्ता अधिकारी वा दर्ता गर्ने अधिकारीले एकीकरण वा विभाजन स्वीकृत गरेको मितिले साधारणतया पन्ध्र दिनभित्र हिसाब मिलान गरी मिलान गरिएको हिसाब दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ ।

**६०.** **हिसाब मिलानको स्वीकृति**ः दफा ५९ बमोजिम लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित भएको हिसाब तदर्थ समितिले स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।

**६१.** **हिसाब हस्तान्तरण**ः (१) दफा ६० बमोजिम हिसाब मिलान स्वीकृत भएको मितिले सात दिनभित्र हस्तान्तरण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हिसाब हस्तान्तरण गर्दा सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण स्रेस्ता तथा तदनुसारको नगदीसमेत बुझाउनुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिविभाजनमा एक सहकारी संस्थाले अर्को सहकारी संस्थालाई तिर्नु, बुझाउनुपर्ने रकमका सम्बन्धमा संयुक्त साधारण सभाले प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा त्यस्तो रकम कहिलेसम्म के–कसरी तिर्ने, बुझाउने हो ? भन्ने तालिकासमेत तय गरिदिन सक्नेछ ।

६२. **आर्थिक कारोबार गर्न नहुने**: दफा ४८ बमोजिम तोकिएको हिसाब मिलान मितिदेखि दफा ६१ बमोजिम एकीकृत वा विभाजित सहकारी संस्थामा हिसाब हस्तान्तरण हुने मितिसम्म साबिकको सहकारी संस्थाको कुनै किसिमको आर्थिक कारोबार गर्नु हुँदैन ।

६३. **एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा विवरण अद्यावधीकरण गर्नुपर्ने**: एकीकरण वा विभाजनपछि कायम भएको सहकारी संस्थाको आधारभूत विवरण नियामक निकायले दफा ४२ को उपदफा (४) बमोजिम एकीकरण वा विभाजन स्वीकृत गरेको र विस्तृत विवरण सहकारी संस्थाले दफा ६१ बमोजिम हिसाब हस्तान्तरण भएको पन्ध्र दिनभित्र एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

## परिच्छेद–७
## विविध

६४. **साझा आधारको रूपमा लिनुपर्ने**: बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा कुनै व्यवस्था नभएकोमा वा त्यस्तो कानूनको व्यवस्था नियमावलीको नियम ७ को व्यवस्थासँग फरक परेकोमा नियामक निकायहरूले नियमावलीको नियम ७ को व्यवस्थालाई नै साझा आधारको रूपमा लिनुपर्नेछ ।

६५. **तदर्थ समितिलाई कार्यभार हस्तान्तरण**: रजिष्ट्रार, दर्ता अधिकारी वा दर्ता गर्ने अधिकारीले दफा ४२ को उपदफा (४) बमोजिम एकीकरण वा विभाजन स्वीकृत गरेको मितिदेखि साबिक समितिले एकीकृत वा विभाजित सहकारी संस्थाको कार्यभार दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम गठन भएको तदर्थ समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

६६. **लेखा सुपरिवेक्षण समितिले हिसाब हेर्ने**: एकीकरण वा विभाजनको हकमा दफा ४८ बमोजिम तोकिएको हिसाब मिलान मितिसम्मको हिसाब सम्बन्धित सहकारी संस्थाको साबिकको र त्यस मितिपछिको हिसाब एकीकरण वा विभाजनपछि निर्वाचित हुने सम्बन्धित सहकारी संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समितिले हेर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

६७. **सदस्य पहिचान गरिएको मानिने**: यस निर्देशिकाबमोजिम एकीकरण वा विभाजन गर्दा साबिकको सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम पहिचान गरिएको वा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम पहिचान अद्यावधिक गरिएको सदस्यको हकमा एकीकृत वा विभाजित संस्थाको तर्फबाट समेत तदनुसार सदस्य पहिचान गरिएको वा पहिचान अद्यावधिक गरिएको मानिनेछ ।

तर दफा ११ बमोजिम सदस्यको बृहत् पहिचान, दफा ८ बमोजिम उच्च पदस्थ सदस्यकोविशेष पहिचान, दफा १३ बमोजिम जोखिम व्यवस्थापनलगायत सो निर्देशनका अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू त्यस्तो सदस्यको हकमा समेत समान रूपमा लागूहुनेछन् ।

६८. **नयाँ निस्सा–प्रमाणदिने**: (१) एकीकरण वा विभाजनपछि साबिक सहकारी संस्थाको नाम वा दर्ता नम्बर परिवर्तन भएकोमा सदस्यको साबिक सहकारी संस्थाको सदस्यता प्रमाण–पत्र र शेयर प्रमाण–पत्र लिई सोको सट्टा नयाँ कायम भएको सहकारी संस्थाको सदस्यता प्रमाण–पत्र र शेयर प्रमाण–पत्र प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

तर त्यसरी सदस्यता प्रमाण–पत्र वा शेयर प्रमाण–पत्र नलिएकै कारणले कुनै सदस्य नयाँ कायम भएको सहकारी संस्थाको विनियमबमोजिमको हक वा अधिकारबाट वञ्चित हुने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्थामा सदस्यको साबिक सहकारी संस्थाको शेयर, बचत वा ऋण पासपुस्तिकामा साबिक सहकारी संस्थाको प्रवृष्टिउप्रान्तको हर छुने गरी नयाँ कायम भएको सहकारी संस्थाको छाप लगाएर मौज्दात अगाडिल्याई समायोजन गर्नुपर्ने रकम भएसमायोजन गरी हिसाब निरन्तर राख्नुपर्नेछ ।

(३) नयाँ कायम भएको सहकारी संस्थाको सदस्यता नम्बर दिँदा प्रस्तावमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक निवेदन दर्ता क्रमको आधार लिनुपर्नेछ ।

६९. **<u>नामसारी, इत्यादि</u>**: (१) एकीकरण वा विभाजन भएबाट हस्तान्तरण भएको सम्पत्ति प्रचलित कानूनबमोजिम साबिक सहकारी संस्थाबाट हालवाला सहकारी संस्थाको स्वामित्व कायम हुने गरी नामसारी गराउनुपर्नेछ ।

(२) हालवाला सहकारी संस्थाले एकीकरण वा विभाजनको फलस्वरूप हस्तान्तरण भइआएको साबिक सहकारी संस्थाको कर, ऋण वा अन्य दायित्वका सम्बन्धमा तत्काल सम्बन्धित निकाय वा पक्षसँग सम्पर्क राखी प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो नाममा कायम गराएर जिम्मेवारी सार्नुपर्नेछ ।

(३) एकीकरण वा विभाजनपछि साबिक सहकारी संस्थाको नाम वा दर्ता नम्बर परिवर्तन भएकोमा साबिक सहकारी संस्थाको बैङ्क खाता बन्द गरी मौज्दात नयाँ कायम भएको सहकारी संस्थाको खातामा सार्नुपर्नेछ ।

(४) सहकारी संस्थाले यस दफाबमोजिम भए, गरेको प्रत्येक कार्यको जानकारी नियामक निकायलाई दिनुपर्नेछ तथा नियामक निकायले पनि तत्सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग गरिदिनुपर्नेछ ।

(५) समिति वा तदर्थ समितिले नामसारीलगायतका कार्यहरूको सम्बन्धमा सदस्यहरूलाई निरन्तर सुसूचित गरी तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन लगत्तै बस्ने साधारण सभामा पेश गर्नुपर्नेछ ।

७०. **<u>प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम हुने</u>**: ऐन, नियमावली वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानून र यस निर्देशिकामा नलेखिएका एकीकरण वा विभाजनविशेषकाकुराका हकमा रजिष्ट्रार, दर्ता अधिकारी वा दर्ता गर्ने अधिकारीले स्वीकृत गरेको प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम हुनेछ ।

७१. **<u>अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने</u>**: (१) रजिष्ट्रारले मन्त्रालयको स्वीकृतिलिई यो निर्देशिकाको कुनै अनुसूचीमा समयसापेक्ष हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हेरफेर गरिएको व्यहोराको सूचना यथाशीघ्र विभागको 'वेबसाइट'मा राख्नुका साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहको नियामक निकायहरूमा पठाउनुपर्नेछ ।

७२. **<u>यसै निर्देशिकाबमोजिम गर्न, गराउन सक्ने</u>**: प्रदेश वा स्थानीय तहको सहकारी ऐन तथा नियमावलीअन्तर्गत छुट्टै व्यवस्था नहुँदासम्म प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय सरकारले सहकारी संस्थाको एकीकरण वा विभाजनको कार्य यसै निर्देशिकाबमोजिम गर्न, गराउन सक्नेछन् ।

७३. **<u>बाधा, अड्काउ फुकाउन सक्ने</u>**: यो निर्देशिकाको कार्यान्वयनका सिलसिलामा कुनै बाधा, अड्काउ परेमा रजिष्ट्रारले फुकाइदिन सक्नेछ ।

७४. **<u>व्याख्या गर्ने अधिकार</u>**: यो निर्देशिकाको व्याख्या गर्ने अधिकार रजिष्ट्रारमा रहनेछ ।

७५. **<u>खारेजी र बचाउ</u>**: (१) सहकारी सङ्घसंस्था एकीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७० खारेज गरिएको छ ।

(२) सहकारी सङ्घसंस्था एकीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७० बमोजिम भए, गरेको काम–कारबाई यसै निर्देशिकाबमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

अनुसूची–१

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

**अधिकतम संस्था सङ्ख्या कायम गरिएको सूचनाको ढाँचा**

नेपालसरकार/प्रदेशसरकार/.........महानगर/उपमहानगर/नगर पालिका/गाउँपालिका
.................मन्त्रालय/कार्यपालिकाको कार्यालय
...............महाशाखा/विभाग/कार्यालय

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको अधिकतम सङ्ख्या कायमगरिएको सूचनाः

सहकारी नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (१) / ... ... ... प्रदेश/... ... ... महानगर/उपमहानगर/नगरपालिका/गाउँपालिका सहकारी नियमावलीको नियम ... को उपनियम ... र नेपाल सरकार, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयर ... ... ... प्रदेशसरकार, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय/ ... ... ... महानगर/उपमहानगर/नगरपालिका/गाउँपालिका, कार्यपालिकाबाट स्वीकृत सहकारी संस्थाको एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका, २०७७ र... ... ... ... ... ... को दफा ३ बमोजिम यस महाशाखा/विभाग/कार्यालयबाट मिति २० ... ... /... /...मा... ... ... महानगर/उपमहानगरपालिकाको वडा नं. ... ... मा ... ... ... /नगर/गाउँपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको अधिकतम सङ्ख्या– – कायम गरिएको व्यहोरा सार्वजनिक रूपमा जानकारीगराइन्छ।

दस्तखत: ... ... ... ... ...
नाम: ... ... ... ... ...
पद: ... ... ... ... ...

## अनुसूची–२

(दफा ६ को उपदफा (१) र दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

## **बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरूको विवरणको ढाँचा**

स्थानीय तह : ... ... ... ... ... ... ...  □पालिकाभरि □वडा मात्र वडा नं. : ...

(अद्यावधीकरण मिति : २० ... ... /.../...)

| महानगर/उपमहानगरपालिका भए वडाभित्र मुख्य कार्यालय रहेका, जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र भएका एवं छिमेक वा बसोबासको साझा बन्धनमा दर्ता गरिएका संस्था मात्र र नगर/गाउँपालिकाको हकमा सम्बन्धित नगर/गाउँपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र सीमित भएका एवं छिमेक वा बसोबासको साझा बन्धनमा दर्ता गरिएका संस्था मात्र | | कैफियत |
|---|---|---|
| सि. नं. | नाम, ठेगाना | |
| १. | | |
| २. | | |
| ३. | | |
| ४. | | |
| ५. | | |
| ६. | | |
| ७. | | |
| ८. | | |
| ९. | | |
| १०. | | |
| ११. | | |
| १२. | | |
| १३. | | |
| १४. | | |
| १५. | | |
| १६. | | |
| १७. | | |
| १८. | | |
| १९. | | |
| २०. | | |
| २१. | | |
| २२. | | |
| २३. | | |
| २४. | | |
| २५. | | |
| २६. | | |
| २७. | | |
| २८. | | |
| २९. | | |
| ३०. | | |
| ३१. | | |
| ३२. | | |
| ३३. | | |
| ३४. | | |
| ३५. | | |
| ३६. | | |
| ३७. | | |
| ३८. | | |
| ३९. | | |

| | | |
|---|---|---|
| ४०. | | |
| ४१. | | |
| ४२. | | |
| ४३. | | |
| ४४. | | |
| ४५. | | |
| ४६. | | |
| ४७. | | |
| ४८ | | |
| ४९. | | |
| ५०. | | |
| ५१. | | |
| ५२. | | |
| ५३. | | |
| ५४. | | |
| ५५. | | |
| ५६. | | |
| ५७. | | |
| ५८. | | |
| ५९. | | |
| ६०. | | |

**तयार गर्नेको दस्तखतः... ... ... ... ...**
**नामः... ... ... ... ...**
**पद : ... ... ... ... ...**

**प्रमाणित गर्नेको दस्तखतः ... ... ... ... ...**
**नाम : ... ... ... ... ...**
**पद : ... ... ... ... ...**

अनुसूची–३

(दफा १० को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

# नियामक निकायले प्रकाशन गर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने मौजुदा संस्थाहरूको सूचीको ढाँचा

नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/**... ... ...**महानगर/उपमहानगर/नगरपालिका/गाउँपालिका

**... ... ... ... ... ...**मन्त्रालय/कार्यपालिकाको कार्यालय

**... ... ... ... ...**महाशाखा/विभाग/कार्यालय

## बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने मौजुदा सहकारी संस्थाहरूको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना

**(प्रकाशित मिति : २० ... ... /.../...)**

सहकारीऐन, २०७४ को दफा १५ को उपदफा (६) र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७ को उपनियम (१) र (३) / ... ... ... प्रदेश/... ... ... महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिका सहकारी ऐन, २० ... ... र सहकारी नियमावली, २० ... ... को नियम ... को उपनियम ... को प्रयोजनका लागि र नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय / ... ... ... प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय/ ... ... ... महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिका, कार्यपालिकाबाट स्वीकृत सहकारी संस्थाको एकीकरण तथा विभाजननिर्देशिका, २०७६/... ... ... ... ... ... को दफा १० को उपदफा (१)/ ... ... ... ... ... बमोजिम ... ... ... महा/उपमहानगरपालिकाको वडा नं. ... ... मा ... ... .../नगर/गाउँपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने मौजुदा सहकारी संस्थाहरूको तपसिलबमोजिमको सूची सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको छ । सोमा कुनै दाबी-विरोध भए प्रकाशित मितिले सात दिनभित्र जुनसुकै सहकारी संस्था वा नागरिकले यस महाशाखा/विभाग/कार्यालयमा पेश गर्नु हुन समेत जानकारी गराइन्छ ।

**तपशिलः**

| महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको वडा नं. ... ... वा नगरपालिका वा गाउँपालिकामा सहकारी संस्थाको साङ्ख्यिक विवरण | | | महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको वडा नं. ... ... वा नगरपालिका वा गाउँपालिकामा मौजुदा संस्थाको वर्गीकृत विवरण | | | | | | | | | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कायम गरिएको अधिकतम सङ्ख्या | मौजुदा सङ्ख्या | अधिकतम सङ्ख्या )- (मौजुदा सङ्ख्या | सि . नं. | नाम, ठेगाना | समूह १ )वडासम्म कार्यक्षेत्र हुने) | | समूह २ )समूह १ मा पर्ने बाहेक नगर/गाउँपालिका/महा /उपमहानगरपालिकासम्म कार्यक्षेत्र हुने) | | समूह ३ )समूह १ वा २ मा पर्ने बाहेक नगर/गाउँपालिका/महा/उप महानगरपालिकाभन्दा बढी जिल्लासम्म कार्यक्षेत्र हुने) | | विषय प्रकृति )बचतऋण/बहुउद्देश्यीय/कृषि) | |
| | | | | | महिला )v( | मिश्रित )v( | महिला)v( | मिश्रित)v( | महिला )v( | मिश्रित )v( | | |
| | | | १. | | | | | | | | | |
| | | | २. | | | | | | | | | |
| | | | ३. | | | | | | | | | |
| | | | ४. | | | | | | | | | |
| | | | ५. | | | | | | | | | |
| | | | ६. | | | | | | | | | |
| | | | ७. | | | | | | | | | |
| | | | ८. | | | | | | | | | |
| | | | ९. | | | | | | | | | |
| | | | १०. | | | | | | | | | |
| | | | ११. | | | | | | | | | |
| | | | १२. | | | | | | | | | |
| | | | १३. | | | | | | | | | |
| | | | १४. | | | | | | | | | |
| | | | १५. | | | | | | | | | |
| | | | १६. | | | | | | | | | |
| | | | १७. | | | | | | | | | |
| | | | १८. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | १९. | | | | | | | | | |
| | | | २०. | | | | | | | | | |
| | | | २१. | | | | | | | | | |
| | | | २२. | | | | | | | | | |
| | | | २३. | | | | | | | | | |
| | | | २४. | | | | | | | | | |
| | | | २५. | | | | | | | | | |
| | | | २६. | | | | | | | | | |
| | | | २७. | | | | | | | | | |
| | | | २८. | | | | | | | | | |
| | | | २९. | | | | | | | | | |
| | | | ३०. | | | | | | | | | |
| | | | ३१. | | | | | | | | | |
| | | | ३२. | | | | | | | | | |
| | | | ३३. | | | | | | | | | |
| | | | ३४. | | | | | | | | | |
| | | | ३५. | | | | | | | | | |
| | | | ३६. | | | | | | | | | |
| | | | ३७. | | | | | | | | | |
| | | | ३८. | | | | | | | | | |
| | | | ३९. | | | | | | | | | |
| | | | ४०. | | | | | | | | | |
| | | | ४१. | | | | | | | | | |
| | | | ४२. | | | | | | | | | |
| | | | ४३. | | | | | | | | | |
| | | | ४४. | | | | | | | | | |
| | | | ४५. | | | | | | | | | |
| | | | ४६. | | | | | | | | | |
| | | | ४७. | | | | | | | | | |
| | | | ४८. | | | | | | | | | |
| | | | ४९. | | | | | | | | | |
| | | | ५०. | | | | | | | | | |
| | | | ५१. | | | | | | | | | |
| | | | ५२. | | | | | | | | | |
| | | | ५३. | | | | | | | | | |
| | | | ५४. | | | | | | | | | |
| | | | ५५. | | | | | | | | | |
| | | | ५६. | | | | | | | | | |
| | | | ५७. | | | | | | | | | |
| | | | ५८. | | | | | | | | | |
| | | | ५९. | | | | | | | | | |
| | | | ६०. | | | | | | | | | |

**दस्तखतः**

**नामः**

**पदः**

## अनुसूची–४
(दफा २५ को उपदफा (१) र दफा ३२ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित)

## <u>सहकारी संस्थाको एकीकरण वा विभाजन प्रस्तावको ढाँचा</u>

### सहकारी संस्था एकीकरण/विभाजनको प्रस्तावः

१. प्रस्तावको प्रयोजन :□पूर्व-स्वीकृति □स्वीकृति

२. □ साधारण सभा □संयुक्त साधारण सभाको स्वीकृति मिति : ... ... ... ... / ... ... /... ...

३. निर्णयको किसिम :□ सर्वसम्मत □ बहुमत

४. प्रस्ताव : □ एकीकरण□ विभाजन

५. एकीकरण गरिने वा विभाजन गरी कायम गरिने सहकारी संस्थाहरूको टिपन

**५.१ एकीकरण**

| विस्तृति | एकीकरण गरिने सहकारी संस्था – १ | एकीकरण गरिने सहकारी संस्था – २ | एकीकरण गरिने सहकारी संस्था – ३ | एकीकरणगरिने सहकारी संस्था – ४ | एकीकरणपछि कायम हुने सहकारी संस्था | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | ६(२+३+४+५) | (७) |
| • नाम | | | | | | |
| • ठेगाना | | | | | | |
| • दर्ता नं. | | | | | | |
| • दर्ता मिति | | | | | | |
| • दर्ता गर्ने कार्यालय | | | | | | |
| • विषयगत वर्गीकरण | | | | | | |
| • कार्यक्षेत्र | | | | | | |
| ○ प्रदेश | | | | | | |
| ○ जिल्ला | | | | | | |
| ○ स्थानीय तह | | | | | | |
| ○ वडा (अन्तर्गतको भाग भए सो) | | | | | | |
| • सदस्य सङ्ख्या | | | | | | |
| • एक–अर्कामा दोहोरो पर्ने सदस्य सङ्ख्या | | | | | | |
| □सेवा,□सङ्कलन वा □बिक्री केन्द्र भए सङ्ख्या र स्थान | | | | | | |

**५.२ विभाजन**

| विस्तृति | मूल सहकारी संस्था | विभाजनपछि कायम गरिने सहकारी संस्था – १ | विभाजनपछि कायम गरिने सहकारी संस्था – २ | विभाजनपछि कायम गरिने सहकारी संस्था – ३ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
| • नाम | | | | | |
| • ठेगाना | | | | | |
| • दर्ता नं. | | | | | |
| • दर्ता मिति | | | | | |
| • दर्ता गर्ने कार्यालय | | | | | |
| • विषयगत वर्गीकरण | | | | | |
| • कार्यक्षेत्र | | | | | |
| ○ प्रदेश | | | | | |
| ○ जिल्ला | | | | | |
| ○ स्थानीय तह | | | | | |
| ○ वडा (अन्तर्गतको भाग भए सो) | | | | | |
| • सदस्य सङ्ख्या | | | | | |
| □सेवा,□सङ्कलन वा □बिक्री केन्द्र भए सङ्ख्या र स्थान | | | | | |

### ६. माथि ५ अन्तर्गतको कुनै तालिकाको कुनै विवरणमा पूर्व-स्वीकृति लिँदा र हाल फरकपरेकोभए खुलासा (पूर्व-स्वीकृतिका लागि नपर्ने)

| तालिका नं. | विस्तृतिको बुँदा | पूर्व–स्वीकृति लिँदाको विवरण | हालको विवरण | फरक पर्नाको कारण |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### ७. एकीकरण वा विभाजनका शर्त

| सि. नं. | सरोकार | शर्त | शर्तको औचित्य | ऐन, नियमावली वा निर्देशिकाको कुनै व्यवस्थाअन्तर्गतको शर्त भए खुलाउने | सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताबमोजिमको शर्त भए खुलाउने | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १. | एकीकरण र विभाजनपछि कायम हुने सहकारी संस्था वा संस्थाहरूको नामविशेष | | | | | |
| २. | एकीकरण र विभाजनपछि कायम हुने सहकारी संस्था वा संस्थाहरूको कार्यालय, एकाइ बैठक केन्द्र(सेवा प्रवाह बिन्दु वा उपज सङ्कलन स्थल आदि) रहने ठेगानाविशेष | | | | | |
| ३. | एकीकरण र विभाजनपछि कायम हुने सहकारी संस्था वा संस्थाहरूको निसाना छाप, प्रतीक चिह्न र नाम पाटीविशेष | | | | | |
| ४. | सदस्यताको योग्यताविशेष | | | | | |
| ५. | शेयरको अङ्कित मूल्य रु. १००/– राखी सदस्यले साबिकमा खरिद गरेको शेयरको रकम बराबर शेयर सङ्ख्या कायम गर्ने विशेष | | | | | |
| ६. | एकाइ विभाजन, सदस्य सहभागिताका विस्तारित मञ्च सृजना र विस्तारित मञ्चको नियमित बैठक एवं एकाइ संयोजन कार्यदल गठन विधिविशेष | | | | | |
| ७. | कार्यालय, सेवा प्रवाह बिन्दु र विस्तारित सदस्य बैठकसँगको सम्बन्धनविशेष | | | | | |
| ८. | हिसाब मिलान विधि | ☐ संयुक्त ऋणधनमा आधारित विधि<br>☐ समायोजित संयुक्त ऋणधनमा आधारित विधि | | | | |
| ९. | एकीकरणका हकमा आपसमा दोहोरो परेका सदस्यहरूको हिसाब मिलानविशेष | | | | | |
| १०. | हिसाब मिलानपछि एक–अर्कामा लिनुदिनुपर्ने रकम फछ्र्यौटको विधि र अवधिविशेष | | | | | |
| ११. | मूल्य निर्धारणविशेष | | | | | |
| १२. | ब्याज–हर्जानाको दरविशेष | | | | | |
| १३. | सेवा तथा नवीकरण शुल्कविशेष | | | | | |
| १४. | आन्तरिक कार्यविधिको मान्यताविशेष | | | | | |
| १५. | कर र अन्य दै–दस्तुर फछ्र्यौटविशेष | | | | | |
| १६. | बैङ्क खाताविशेष | | | | | |
| १७. | सङ्घ वा सहकारी बैङ्कको सदस्यता एवं प्रतिनिधित्वविशेष | | | | | |
| १८. | बचतऋणको सहकारी संस्थाको | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | हकमा स्थिरीकरण कोषमा सहभागिताविशेष | | | | | |
| १९. | व्यस्थापकविशेष | | | | | |
| २०. | कर्मचारीहरूको समायोजन, दरबन्दी र तलब तथा सुविधा मिलानविशेष | | | | | |
| २१. | अन्यविशेष | | | | | |

**८. पूर्व-शर्त पालनाको अवस्था (पूर्व-स्वीकृतिका लागि नपर्ने)**

| सि. नं. | पूर्व–स्वीकृति लिँदा पेश गरेको प्रस्तावबमोजिमका पूर्व–शर्त | पालना भएको भए व्यहोरा | पालना नभएको भए कारण | पालना नभएको भए अब पालना गर्ने सम्बन्धमा भएको समझदारीका बुँदा |
|---|---|---|---|---|
| १. | प्राथमिक पुँजी कोष नपुग भएको वा सञ्चित घाटा भएको बचतऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नपुग भएको प्राथमिक पुँजी वा सञ्चित रहेको घाटाको रकम साबिक सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले स्वैच्छिक रूपमा थप शेयर खरिद गरी पूर्ति गरिसकेपछि मात्र एकीकरण वा विभाजनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने | | | |
| २. | बचतऋणको मुख्य कारोबार गरिरहेको बहुउद्देश्यीय, कृषि वा बचतऋणबाहेकको अन्य विषयगत सहकारी संस्था एकीकरण गरी बचत तथा ऋणको विषयगत सहकारी संस्था कायम हुनेमा त्यस्तो सहकारी संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा प्रशोधन कारखाना, सङ्कलन केन्द्र वा बिक्री कक्ष, आपसी सुरक्षणलगायत बचतऋणबाहेकको व्यवसाय चलाएको भए बन्द गरी त्यसतर्फको सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गरी सम्पत्ति नगदमा परिणत गरिसक्नुपर्ने | | | |
| ३. | बचतऋणको मुख्य कारोबार गरिरहेको बहुउद्देश्यीय, कृषि वा बचतऋणबाहेकको अन्य विषयगत सहकारी संस्था एकीकरण गरी बचतऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने बहुउद्देश्यीय, कृषि वा बचतऋणबाहेकको अन्य विषयगत सहकारी संस्था कायम हुनेमा त्यस्तो सहकारी संस्थाले ऐनको दफा ५० को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनको व्यवस्था अन्तर्गत दिइएको म्यादभित्र बचतऋणको मुख्य कारोबार नरहने सुनिश्चित गरी नियामक निकायलाई मान्य कार्ययोजना समावेश गरेको हुनुपर्ने | | | |
| ४. | तेस्रो (एकीकरण वा विभाजनमा सामेल नभएको) सहकारी संस्थासँग दोहोरो परेका सदस्यहरूको सदस्यता अन्त्य गर्ने | | | |
| ५. | अन्य कुनै विशेष शर्त रहेको भए सोको | | | |

**९. हिसाब मिलानमा समायोजित संयुक्त ऋणधन विधि अपनाइनेमा के-कस्तो समायोजन गरिने हो ?सोको विवरण**

| समायोजन गर्नुपर्ने कलम(शीर्षक) र रकम (रु.) | समायोजन गर्नुपर्नाको कारण | निर्देशिकाको कुन व्यवस्थाअन्तर्गतको समायोजन हो ? | समायोजनका सम्बन्धमा बैङ्कलगायतका सरोकारवाला निकायसँग समझदारी भएको भए व्यहोरा | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

१०. एकीकरण वा विभाजनको कार्यविधि

| सि. नं. | विषय | प्रावधान | प्रावधानको प्रयोजन | ऐन, नियमावली वा निर्देशिकाअन्तर्गतको प्रावधान भए खुलाउने | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | दरखास्त र सोसाथ पेश भएका कागतपत्रको रीत नपुगेकोमा पुर्याउने | | | | |
| २. | हिसाब मिलान, प्रमाणीकरण र स्वीकृत गर्ने | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ३. | अन्तरिम अवधिमा आर्थिक कारोबार रोक्का र फुकुवा गर्ने | | | | |
| ४. | सदस्यहरूमाझ सूचना प्रवाह गर्ने | | | | |
| ५. | तदर्थ समितिलाई कार्यभार हस्तान्तरण | | | | |
| ६. | सदस्यहरूलाई नयाँ निस्सा–प्रमाण दिने | | | | |
| ७. | हिसाबबमोजिमको फर्निचर, कार्यालय उपकरण, मेसिनरी औजार आदि सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण, बाँडफाँड निर्धारण र बरबुझारथ | | | | |
| ८. | सरोकारवालाहरूसँग सम्पर्क स्थापना एवं जिम्मेवारी सार्ने | | | | |
| ९. | हस्तान्तरित स्थिर सम्पत्तिको नामसारी गराउने | | | | |
| १०. | बैङ्क खाता बन्द गर्ने, खोल्ने वा कायम राख्ने | | | | |
| ११. | साधारण सभाको बैठक बोलाउने | | | | |
| १२. | सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन गर्ने | | | | |
| १३. | कर्मचारीहरूलाई समायोजन पत्र दिने तथा हाजिर लगाउने | | | | |
| १४. | विवाद समाधान गर्ने | | | | |
| १५. | अन्य | | | | |

**११. नियमावलीको नियम ४१ वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम बैङ्क वा सम्बन्धित अन्य निकायको पूर्व-सहमतिमा कुनै शर्त राखिएको भए पालना अवस्था**

| सि. नं. | पूर्व–सहमति दिँदा राखिएको शर्त | पालना भएको भए व्यहोरा | पालना नभएको भए कारण | पालना नभएको भए अब पालना गर्ने सम्बन्धमा भएको समझदारीका बुँदा |
|---|---|---|---|---|
| १. | | | | |
| २. | | | | |
| ३. | | | | |
| ४. | | | | |

**१२. पूर्व-स्वीकृति दिँदा कुनै कुरा सच्याउनुपर्ने जनाइएको भए तत्सम्बन्धी विवरण (पूर्व-स्वीकृतिका लागि नपर्ने)**

| सि. नं. | पूर्व–स्वीकृति दिँदा सच्याउनुपर्ने जनाइएको विषय | सच्याइएको भए व्यहोरा | नसच्याइएको भए कारण | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १. | | | | |
| २. | | | | |
| ३. | | | | |
| ४. | | | | |

१३.  संयोजन कार्यदल तदर्थ समितिको गठन गरिएको भए विवरण

| सि. नं. | नाम | पद | प्रतिनिधित्व गर्ने सहकारी संस्था (विभाजनमा विभाजनपछिको प्रस्तावित) | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १. | | | | |
| २. | | | | |
| ३. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ४. | | | | |
| ५. | | | | |
| ६. | | | | |
| ७. | | | | |
| ८. | | | | |
| ९. | | | | |
| १०. | | | | |
| ११. | | | | |

१४. कर्मचारी समायोजन व्यवस्था

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

१५. हिसाब मिलान मिति (पूर्व-स्वीकृतिका लागि नपर्ने): ... ... ... ... / ... ... /... ...

१६. हिसाब मिलान प्रमाणीकरणका लागि नियुक्त लेखापरीक्षक(पूर्व-स्वीकृतिका लागि नपर्ने)

नाम :

दर्ता नं. :

१७. अन्य प्रासाङ्गिक कुरा

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

**<u>प्रस्ताव पेश गर्ने</u>**

१. अध्यक्षको दस्तखत : ... ... ... ... ...
नाम : ... ... ... ... ...
सहकारी संस्था : ... ... ... ... ...
छाप :

२. अध्यक्षको दस्तखत : ... ... ... ... ...
नाम : ... ... ... ... ...
सहकारी संस्था : ... ... ... ... ...
छाप :

३. अध्यक्षको दस्तखत : ... ... ... ... ...
नाम : ... ... ... ... ...
सहकारी संस्था : ... ... ... ... ...
छाप :

४. अध्यक्षको दस्तखत : ... ... ... ... ...
नाम : ... ... ... ... ...
सहकारी संस्था : ... ... ... ... ...
छाप :

## अनुसूची- ५

(दफा ३० को उपदफा (३) र दफा ३१ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

### <u>सहकारी संस्थाको एकीकरण वा विभाजन प्रस्तावमा मसौदापछिको सुझाव र संशोधन टिपोट</u>

| सि. नं. | प्रस्तावको प्रावधान | संयोजन कार्यदल र समितिबीचको सञ्चार | | सहकारी संस्था–संस्थाबीचको सञ्चार | | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | समितिको तर्फबाट दिइएको सुझाव | संयोजन कार्यदलबाट गरिएको संशोधन | साधारण सभाको निर्णयअनुसार प्रदत्त सुझावको व्यहोरा | साधारण सभाको निर्णयअनुसार प्राप्त सुझावको व्यहोरा | |
| १. | | | | | | |
| २. | | | | | | |
| ३. | | | | | | |
| ४. | | | | | | |
| ५. | | | | | | |

## अनुसूची–६

(दफा ३२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

<u>सहकारी संस्थाको एकीकरण वा विभाजनको पूर्व-स्वीकृतिकालागि नियामक निकायमा दिने निवेदनको ढाँचा</u>

मिति : ... ... ... ... /.../...

श्रीमान् रजिष्ट्रारज्यू/... ... ... ... ... ... ज्यू !
सहकारी विभाग/... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ..., ... ... ... ... ... ।

विषय : एकीकरण/विभाजनको पूर्व-स्वीकृति ।

यस संस्था/सङ्घ/बैङ्क लि. को साधारण सभाकोमिति ... ... ... ... /... /... को बैठकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति भए अनुरूप तपसिलबमोजिम□ एकीकरण □ विभाजन प्रक्रिया अघि बढाउन तहाँको पूर्व-स्वीकृतिका लागि यो निवेदन पेश गरेको छु ।

दस्तखत : ... ... ...
नाम : ... ... ...
पद : अध्यक्ष

## तपसिल

□ दर्ता नं. ... ... ... ... ... को ... ... ... ... ... ... ... विशेषको विषयगत/बहुउद्देश्यीय श्री ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... सहकारी संस्था, दर्ता नं. ... ... ... ... ... को ... ... ... ... ... ... ... विशेषको विषयगत/बहुउद्देश्यीय श्री ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... सहकारी संस्था, दर्ता नं. ... ... ... ... ... को... ... ... ... ... ... ... विशेषको विषयगत/बहुउद्देश्यीय श्री ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... सहकारी संस्था र दर्ता नं. ... ... ... ... ... को ... ... ... ... ... ... ... विशेषको विषयगत/बहुउद्देश्यीय श्री ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... सहकारी संस्थासमेत जम्मा ... वटा सहकारी संस्था एकीकरण गरी एउटा ... ... ... ... ... ... ... विशेषको विषयगत/बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था कायम गर्ने ।

□ दर्ता नं. ... ... ... ... ... को ... ... ... ... ... ... ... विशेषको विषयगत/बहुउद्देश्यीय श्री ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... सहकारी संस्था विभाजन गरी ... ... ... ... ... विशेषको विषयगत/बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था एक, ... ... ... ... ... विशेषको विषयगत/बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था एक र... ... ... ... ... विशेषको विषयगत/बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था एकसमेत जम्मा ... वटा कायम गर्ने ।

**<u>संलग्न कागतपत्र</u>**

१. साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपि,

२.साधारण सभाबाट स्वीकृत एकीकरण वा विभाजनको प्रस्ताव,

३. नियमावलीको नियम ४१ वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम सम्बन्धित निकायको पूर्व-सहमति लिनुपर्नेमा त्यस्तो सहमति पत्र,

४. नियमावलीको नियम ३९ को उपनियम (३) बमोजिमका सहकारी संस्थाहरूको हकमा मन्त्रालयको पूर्व-स्वीकृति पत्र,

५. स्थायी लेखा नम्बर लिएको सहकारी संस्थाको हकमा सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयको सहमति पत्र र

६. एकीकरण वा विभाजनका सिलसिलामा सम्बन्धित सहकारी संस्था वा संस्थाहरूसँग कुनै पत्राचार भएको भए सोको प्रतिलिपिर

७. अन्य विवरण वा सम्पुष्टिजनक कागतपत्र (खुलाउने) ।

अनुसूची–७

**(**दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) सँग सम्बन्धित)

**<u>एकीकरण वा विभाजनअघि र पछि कायम हुने सहकारी संस्थाको दरबन्दी र समायोजन हुने कर्मचारीको पद मिलान तालिका</u>**

| सि. नं. | पद | तह | स्थायी (स्था.), अस्थायी (अ.) वा करार (क.) | विभाजनपूर्वको वा एकीकरणपश्चात्को सहकारी संस्थामा हाल कार्यरत कर्मचारी सङ्ख्या मात्र | विभाजनपश्चात् वा एकीकरणपूर्वको सहकारी संस्थाको हाल कार्यरत कर्मचारी सङ्ख्या मात्र | | | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सहकारी संस्था–१ | सहकारी संस्था–२ | सहकारी संस्था–३ | |
| क. स्वीकृत दरबन्दीभित्र | | | | | | | | |
| १. | | | | | | | | |
| २. | | | | | | | | |
| ३. | | | | | | | | |
| ४. | | | | | | | | |
| ५. | | | | | | | | |
| ६. | | | | | | | | |
| ७. | | | | | | | | |
| ८. | | | | | | | | |
| ९. | | | | | | | | |
| १०. | | | | | | | | |
| ११. | | | | | | | | |
| १२. | | | | | | | | |
| १३. | | | | | | | | |
| १४. | | | | | | | | |
| १५. | | | | | | | | |
| **जम्मा (क)** | | | | | | | | |
| **ख. स्वीकृत दरबन्दीबाहिर** | | | | | | | | |
| १. | | | | | | | | |
| २. | | | | | | | | |
| ३. | | | | | | | | |
| ४. | | | | | | | | |
| ५. | | | | | | | | |
| जम्मा (ख) | | | | | | | | |
| कुल जम्मा (क+ख) | | | | | | | | |

## अनुसूची– ८

(दफा ४१ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

**सहकारी संस्थाको एकीकरण वा विभाजन प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि नियामक निकायमा दिने दरखास्तको ढाँचा**

मिति : ... ... ... ... /... /...

श्रीमान् रजिष्ट्रारज्यू/... ... ... ... ... ... ज्यू !
सहकारी विभाग/... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ..., ... ... ... ... ... ।

**विषय : एकीकरण/विभाजनको स्वीकृति ।**

तहाँ विभाग/... ... ... ... ... ... ... बाट मिति ... ... ... ... /... /... मा पूर्व-स्वीकृति भए अनुरूप तपसिलबमोजिम □ एकीकरण□ विभाजनको प्रक्रिया पूरा गरी संयुक्त साधारण सभाको मिति ... ... ... ... /... /... को निर्णयानुसार स्वीकृतिका लागि यो दरखास्त पेश गरेका छौं ।

१. अध्यक्षको दस्तखत : ... ... ... ... ...
नाम : ... ... ... ... ...
सहकारी संस्था : ... ... ... ... ...
छाप :

२. अध्यक्षको दस्तखत : ... ... ... ... ...
नाम : ... ... ... ... ...
सहकारी संस्था : ... ... ... ... ...
छाप

३. अध्यक्षको दस्तखत : ... ... ... ... ...
नाम : ... ... ... ... ...
सहकारी संस्था : ... ... ... ... ...
छाप :

४. अध्यक्षको दस्तखत : ... ... ... ... ...
नाम : ... ... ... ... ...
सहकारी संस्था : ... ... ... ... ...
छाप :

**तपसिल**

□ दर्ता नं. ... ... ... ... ... को ... ... ... ... ... ... ... विशेषको विषयगत/बहुउद्देश्यीय श्री ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... सहकारी संस्था, दर्ता नं. ... ... ... ... ... को ... ... ... ... ... ... ... विशेषको विषयगत/बहुउद्देश्यीय श्री ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... सहकारी संस्था, दर्ता नं. ... ... ... ... ... को ... ... ... ... ... ... ... विशेषको विषयगत/बहुउद्देश्यीय श्री ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... सहकारी संस्था र दर्ता नं. ... ... ... ... ... को ... ... ... ... ... ... ... विशेषको विषयगत/बहुउद्देश्यीय श्री ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... सहकारी संस्थासमेत जम्मा ... वटा सहकारी संस्था एकीकरण गरी एउटा ... ... ... ... ... ... ... विशेषको विषयगत/बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था कायम गर्ने

□ दर्ता नं. ... ... ... ... ... को ... ... ... ... ... ... ... विशेषको विषयगत/बहुउद्देश्यीय श्री ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... सहकारी संस्था विभाजन गरी ... ... ... ... ... विशेषको श्री ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... विषयगत/बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, ... ... ... ... ... विशेषको श्री ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...विषयगत/बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र ... ... ... ... ... विशेषको श्री ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... विषयगत/बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था कायम गर्ने ।

**संलग्न कागतपत्र**

१.संयुक्त साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपि,
२. संयुक्त साधारण सभाबाट पारित भएको प्रस्तावको दुई प्रति,
३. एकीकरण वा विभाजनपछि कायम हुने सहकारी संस्थाको कार्ययोजनाको दुई प्रति,
४. विनियमको मसौदाको दुई प्रति,
५. कर्मचारी समायोजन योजनाको एक प्रति र
६. अन्य विवरण वा सम्पुष्टिजनक कागतपत्र (खुलाउने) ।

अनुसूची– ९

(दफा ४२ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

## एकीकरण वा विभाजनको प्रस्तावमा सरोकार, गुनासो वा उजुरीको निवेदन आह्वान गरी नियामक निकायले जारी गर्ने सूचनाको ढाँचा

**सहकारी संस्थाको एकीकरण/विभाजनको प्रस्तावमा सरोकार, गुनासो वा उजुरीको निवेदन आह्वान गरिएको सूचना**

यस विभाग/... ... ... ... ... ... ... को नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने देहायका सहकारी संस्थाहरूकोतर्फबाटएकीकरण/विभाजन गर्न मिति ... ... ... .../... /... यस विभाग/... ... ... ... ... ... ... मा दरखास्त दर्ता हुनआएको छ । सहकारी ऐन, २०७४, सहकारी नियमावली, २०७५/... ... ... ... ... का व्यवस्था, सर्वमान्य सहकारी सिद्धान्त, मूल्यमान्यता वा आम सदस्यहरूको हित संरक्षणका दृष्टिकोणबाट प्राप्त दरखास्तबमोजिम एकीकरण/विभाजन स्वीकृत गर्नु नपर्नाको कुनै कारण भए वा तत्सम्बन्धमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सदस्य वा सरोकारवाला कसैको कुनै सरोकार, गुनासो वा उजुरी भए यो सूचनाको मितिले पन्ध्र दिनभित्र (अर्थात् मिति ... ... ... .../... /... सम्म) कार्यालय समयभित्र यस विभाग/... ... ... ... ... ... ...मा आइपुग्ने गरी निवेदन दिनु हुन आह्वान गरिन्छ । म्याद गुज्री प्राप्त भएको निवेदनउपर कारबाई नहुने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।

तपशिलः

| दरखास्त दर्ता नं. र मिति | दरखास्तवाला सहकारी संस्था | दरखास्तको विषय | प्रस्तावको सङ्क्षिप्त व्यहोरा | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

नामः-

दस्तखतः-

पदः-

अनुसूची–१०

(दफा ४५ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

**<u>नियामक निकायले जारी गर्ने एकीकरण वा विभाजनको सूचनाको ढाँचा</u>**

## सहकारी संस्थाको एकीकरण वा विभाजन गरिएको सूचना

यस विभाग/**... ... ... ... ... ... ...** को नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने देहायका सहकारी संस्थाहरू देहायबमोजिम एकीकरण/विभाजन गर्ने गरी यस विभाग/**... ... ... ... ... ... ...** बाट मिति ... ... ... .../**... /...**मा निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएकोछ ।

देहाय

| दरखास्त दर्ता नं. र मिति | विषय | साबिक सहकारी संस्था | | | हाल कायम भएको सहकारी संस्था | | | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | दर्ता नं. | नाम | कार्यक्षेत्र | दर्ता नं. | नाम | कार्यक्षेत्र | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

नामः-

दस्तखतः-

पदः-

## अनुसूची-११

(दफा ५० को उपदफा (१) र दफा ५१ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

## एकीकरण वा विभाजनको प्रयोजनार्थसहकारी संस्थाको हिसाब गणना

तालिका १ः संयुक्त ऋणधन विधि

खण्ड क : विधिगत मान्यता र नियमहरू

**मान्यता**

सहकारी संस्थामा सदस्यको शेयरको मूल्य घटीबढी नभएर अङ्कित रकममा कायम रहने र जगेडा कोष सामाजिक पुँजी हुने हुनाले सञ्चित नोक्सानी छैन भने वा भए तापनि सो घाटापूर्ति कोषको रकमभन्दा बेसी छैन भने श्रीसम्पत्ति सान्दर्भिक हुँदैन र सरासरी सदस्य सङ्ख्यासँगै संस्थागत हिसाब एकीकृत गर्न सकिन्छ । घाटापूर्ति कोषको रकमभन्दा बेसी सञ्चित नोक्सानी भएको खण्डमा भने व्यावसायिक सेवाको निरन्तरताका लागि जगेडा कोषको रकमकायमै राख्नुपर्ने हुनाले शेयरबापत पुनःपुँजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

**नियमहरू**

१. एकीकरण गरिने सहकारी संस्थाहरू प्रत्येकको वासलातको सम्पत्ति र दायित्वको हिसाब नम्बरअनुसारको रकमकलम सरासरी जोड्ने,

२. माथि १ बमोजिम एकीकृत हिसाब तयार पार्दा सदस्य सङ्ख्या वा रकमकलम के-कति वा के-कस्तो भन्ने नहेर्ने,

३.सम्बन्धित सहकारी संस्थाले नै फरफारक गरिसक्नुपर्ने कुनै रकम विशेष कारणवश निर्धारित मितिभित्र फरफारक हुन नसकेको भए एकीकरणपछि कायम हुने सहकारी संस्थामा जिम्मेवारी सार्ने,

४. एकीकरण हुने सहकारी संस्थाहरू एक-अर्काबीच साबिकमा कुनै लेनादेनाको रकमकलम रहेको भए कटाउने र

५. अरू यसैनिर्देशिकाबमोजिम गर्ने ।

### खण्ड ख : हिसाब गणना उदाहरण

### ख१. साबिक सहकारी संस्थाहरूको वासलात (रकम रु. '०००)

| दायित्व | | | | | सम्पत्ति | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हि.नं. | विवरण | संस्था १ | संस्था २ | संस्था ३ | हि.नं. | विवरण | संस्था १ | संस्था २ | संस्था ३ |
| १० | शेयर | ४,५०० | ९,००० | ४,००० | ८०.१ | सेफमा रहेको नगद | ७५२ | २,२५० | २,७१३ |
| २० | कोष | | | | १००.१ | ऋणपत्र | ३,३४५ | ४,३६० | २९५ |
| २०.१ | जगेडा कोष | २,३७५ | १,५०० | ५,०५० | ११० | ऋण | ३७,००० | ११२,९६३ | ९९,८५१ |
| २०.२ | संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष | १,७०० | ३०० | २,४०० | ऋण हानि व्यवस्था (-) | | (२२०) | (१४०) | (९०) |
| २०.३ | सहकारी प्रवर्धन | ११ | ६० | २ | १२०.४ | अन्य चालु सम्पत्ति | | | |
| २०.४.२ | शेयर लाभांश कोष | ५७५ | १,३५० | ४५० | १२०.४.४ | पाउनुपर्ने ब्याज | १,५६० | १९० | १२० |
| २०.४.३ | कर्मचारी बोनस कोष | ३३ | ९२ | | १२०.४.५ | बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने | ५ | | १२४ |
| २०.४.१,४,,...,८ | अन्य कोष | ९५ | १,१२० | ४० | १२०.४.५.१ | अन्य चालु सम्पत्ति (संस्था ३ को रकम ५०२ मध्ये संस्था १ सँग स्वास्थ शिविरतर्फको ६५ समेत) | १,१७० | १,८३० | ५०२ |
| ३० | बचत | ३५,७०० | ११०,००० | ९४,००० | | सञ्चित नोक्सानी | ९९८ | | |
| ६०.२ | अन्य चालु | | | | १३० | स्थिर सम्पत्ति | १,५०० | २,३७७ | २,७८० |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | दायित्व | | | | | | | | |
| ६०.२.२ | अन्य चालु दायित्व (तिर्न बाँकी ब्याज) | ६७० | ११० | ८० | | | | | |
| ६०.२.४ | भुक्तानी दिनुपर्ने आयकर | | | ८० | | | | | |
| ६०.२.५.१ | अन्य चालु दायित्व (संस्था १ को ४५१ मध्ये संस्था ३ लाई स्वास्थ शिविरतर्फको ६५ समेत) | ४५१ | २९८ | १९३ | | | | | |
| | जम्मा | ४६११० | १२३,८३० | १०६,२९५ | | जम्मा | ४६,११० | १२३,८३० | १०६,२९५ |

## ख२. एकीकरण गर्दाको लेखाङ्कन –
## साबिक प्रत्येक सहकारी संस्थापट्टि (रकम रु. '०००)

| विवरण | हि.नं. | संस्था १ रकम | | संस्था २ रकम | | संस्था ३ रकम | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डे. प्रत्येक दायित्व खाता | | | | | | | |
| क्रे. प्रत्येक सम्पत्ति खाता | | | | | | | |
| जम्मा | | ४६,११० | ४६,११० | १२३,८३० | १२३,८३० | १०६,२९५ | १०६,२९५ |

## ख३. एकीकरण गर्दाको लेखाङ्कन –
## एकीकृत सहकारी संस्थापट्टि (रकम रु. '०००)

| विवरण | हि.नं. | रकम | रकम |
|---|---|---|---|
| डे. दायित्वतर्फ आपसी लेनादेना परेको खाताको रकम | | ६५ | |
| क्रे. सम्पत्तितर्फको आपसी लेनादेना परेको खाताको रकम | | | ६५ |
| डे. प्रत्येक सम्पत्ति खाता<br>क्रे. प्रत्येक दायित्व खाता | | २७६,१७० | <br>२७६,१७० |
| जम्मा | | २७६,२३५ | २७६,२३५ |

## ख४. एकीकृत सहकारी संस्थाको वासलात (रकम रु. '०००)

| दायित्व | | | सम्पत्ति | | |
|---|---|---|---|---|---|
| हि.नं. | विवरण | रकम | हि.नं. | विवरण | रकम |
| १० | शेयर | १७,५०० | ८०.१ | सेफमा रहेको नगद | ५,७१५ |
| २० | कोष | | १००.१ | ऋणपत्र | ८,००० |
| २०.१ | जगेडा कोष | ८,९२५ | ११० | ऋण | २४९,८१४ |
| २०.२ | संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष | ४,४०० | ऋण हानि व्यवस्था (-) | | (४५०) |
| २०.३ | सहकारी प्रवर्धन | ७३ | १२०.४ | अन्य चालु सम्पत्ति | |
| २०.४.२ | शेयर लाभांश कोष | २,३७५ | १२०.४.४ | पाउनुपर्ने ब्याज | १,८७० |
| २०.४.३ | कर्मचारी बोनस कोष | १२५ | १२०.४.५ | बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने | १२९ |
| २०.४.१,४,...,८ | अन्य कोष | १,२५५ | १२०.४.५.१ | अन्य चालु सम्पत्ति | ३,४३७ |
| ३० | बचत | २३९,७०० | | सञ्चित नोक्सानी | ९९८ |
| ६०.२ | अन्य चालु दायित्व | | १३० | स्थिर सम्पत्ति | ६,६५७ |
| ६०.२.२ | अन्य चालु दायित्व (तिर्न बाँकी ब्याज) | ८६० | | | |
| ६०.२.४ | भुक्तानी दिनुपर्ने आयकर | ८० | | | |
| ६०.२.५.१ | अन्य चालु दायित्व | ८७७ | | | |
| | जम्मा | २७६,१७० | | जम्मा | २७६,१७० |

## तालिका २ः समायोजित संयुक्त ऋणधन विधि

## खण्ड क : विधिगत मान्यता र नियमहरू

**मान्यता**

१ .सहकारी संस्थामा ३० जना बढी सदस्यको समुच्चा हिसाबमा उनीहरूको शेयरपुँजी, शेयरपुँजीको आधारमा उनीहरूबाट सङ्कलित बचत र सङ्कलित बचतका आधारमा उनीहरू माझ प्रवाहित ऋणको हिसाब स्वयमेवः सन्तुलित हुने र जगेडा कोष सामाजिक पुँजीको रूपमा रहने भएकाले सञ्चित नोक्सानी छैन भने जसरी साधारण समयमा राजीनामा दिने सदस्यको हिसाब गरिन्छ त्यसरी नै समुच्चामा पनि हिसाब गर्न सकिन्छ र त्यसो गर्दा कसैलाई कुनै मर्का पर्ने पनि हुँदैन । घाटापूर्ति कोषको रकमभन्दा बेसी सञ्चित नोक्सानी भएको खण्डमा भने व्यावसायिक सेवाको निरन्तरताका लागि जगेडा कोषको रकम कायमै राख्नुपर्ने हुनाले शेयरपुँजीतर्फ घटाउनुपर्ने हुन्छ ।

२ .जगेडा कोष र संयुक्त सम्पत्तिको अविभाज्यताको सहकारी सिद्धान्त (प्रिन्सिपल अफ इन्डिभिजिविलिटी अफ रिजर्ब फन्ड एन्ड कलेक्टिभ एसेट्स) मुताबिक सहकारी संस्थाकोविभाजनमा सदस्य सङ्ख्याको आधार लिएर संयुक्त सम्पत्ति छुट्ट्याउन र त्यसो गर्दा जेथाको अव्यावहारिक खण्डीकरण वा असमानुपातिक सङ्केन्द्रीकरण वा कानूनी शर्त पूरा नहुने भएबाट विभाजनपछि कायम हुने कुनै सहकारी संस्थाको कार्य सुचारु राख्न तात्विक बाधा-अड्चन पर्ने रहेछ भने नाफामा सहभागी नहुने मान्यताको ख्याल राखीत्यस्तो बाधा-अड्चन फुकाउनेसम्मको  समायोजनसमेत गर्न सकिन्छ ।

**नियमहरू :**

**पहिलो चरण : सामूहिक ऋणधन विभाजन**

१.सम्बद्ध सदस्यहरूको हकमा हिसाब मिलान मितिसम्मको साबिक सहकारी संस्थाको दायित्वतर्फशेयर पुँजी, बचत र बचतमा दिनुपर्ने ब्याजका साथै सम्पत्तितर्फ ऋण र ऋणमा पाउनुपर्ने ब्याज छुट्ट्याउने,

२. तल दोस्रो चरण अवस्था एकअन्तर्गत पुनर्लगानी ऋण समायोजन गरिने भए माथि १ बमोजिमको विभाजनमा त्यतापट्टिको  रकमकलम समावेश नगर्ने,

३. विभाजनपछि कायम हुने सहकारी संस्थाको माथि १ बमोजिमको दायित्वतर्फको जम्मा रकम सम्पत्तितर्फको जम्मा रकमभन्दा बढी भएकोमा बढी भएजति रकम 'सामूहिक ऋणधन समायोजन खाता' को 'लेना' (डेबिट) तर्फ र घटी भएकोमा घटी भएजति रकम 'सामूहिक ऋणधन समायोजन खाता' को 'देना' (क्रेडिट) तर्फ चढाउने,

**दोस्रो चरण अवस्था एक : असन्तुलित पुनर्लगानी ऋण विभाजन**

४. पुनर्लगानीका लागि लिएको ऋणको रकमबाट जुन-जुन सदस्यहरूलाई जे-जति पुनर्लगानी गरिएको हो ती-ती सदस्यहरू विभाजनपछि कुन-कुन सहकारी संस्थामा पर्ने हुन् भन्ने छुट्ट्याएर तत्-तत् सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्तितर्फ 'ऋण लगानी'को सावाँ  अनि दायित्वतर्फ 'तिर्नुपर्ने ऋण'को सावाँ कायम गर्ने,

५. 'तिर्नुपर्ने ब्याज' भए भएजति रकम तिर्नुपर्ने सावाँकै अनुपातमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको दायित्वमा जनाउने,

६. 'पाउनुपर्ने ब्याज'का हकमा आम्दानी बाँधिएको भए 'ऋण लगानी'को सावाँकै अनुपातमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको सम्पत्तिमा जनाउने तर आम्दानी नबाँधिएको भए केही नगर्ने,

७. माथि ४, ५ वा ६ बमोजिम गर्दा विभाजनपछिको कुनै सहकारी संस्थाको दायित्वतर्फ तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँ, ब्याजको जम्मा रकम र सम्पत्तितर्फ असुल गर्नुपर्ने ऋणको सावाँ, ब्याजको जम्मा रकम बराबर नभएर अघिल्लो बढी भएकोमा बढी भएजति रकम 'विभाजन हिसाब समायोजन खाता'को 'लेना' (डेबिट) तर्फ तथा घटी भएकोमा घटी भएजति रकम 'विभाजन हिसाब समायोजन खाता'को 'देना' (क्रेडिट) तर्फ चढाउने,

**दोस्रो चरण अवस्था दुई : अस्वाभाविक घटीबढी जेथा**

८. समायोजन गर्नुपर्ने कारखाना, फाराम, आयोजनालगायतको जेथालाई विभाजनपछिका सहकारी संस्थाहरूको तल २९ मा भनिएबमोजिम कायम गरिएको सदस्यता अनुपातका आधारमा छुट्ट्याउने,

९. माथि ८ बमोजिम छुट्ट्याउँदा समायोजन गर्नुपर्ने कारखाना, फाराम, आयोजनालगायतको जेथा कुन वा कुन-कुन सहकारी संस्थातर्फ पर्ने, नपर्ने भन्ने नहेर्ने,

१०. माथि ८ बमोजिम जेथाबापत सम्पत्ति कायम भएजति रकम दायित्वतर्फ 'विभाजन हिसाब समायोजन

खाता'को 'देना' (क्रेडिट) तर्फ चढाउने,

११. उप्रान्त जेथा नपर्ने सहकारी संस्थाको माथि १० बमोजिमको रकम स्थिर सम्पत्तिबाट घटाएर वा कटाएर जेथा पर्ने सहकारी संस्थाको स्थिर सम्पत्तिमा आम्दानी बाँध्ने,

१२. माथि ११ बमोजिमको रकम जेथा पर्ने सहकारी संस्थाको 'स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाता'को 'देना' (क्रेडिट) तर्फ र जेथा नपर्ने सहकारी संस्थाको 'स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाता'को 'लेना' (डेबिट) तर्फ चढाउने,

**विकल्पमा–**

१३. सहकारी विकास कोष वा अन्यत्रको ऋण लिएर खरिद वा निर्माण गरिएको जेथाका हकमा विभाजनपछि त्यस्तो जेथा पर्ने सहकारी संस्थाले त्यसबापत तिर्न बाँकी रहेजति ऋणको सावाँ, ब्याज तिर्ने गरी त्यति नै रकम त्यस्तो जेथाको मूल्य जनाएर हिसाब समायोजन गर्न पनि सकिने,

१४. माथि १३ बमोजिम हिसाब समायोजन गर्दा तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँ, ब्याजको रकमभन्दा जेथाको मूल्य घटी भएकोमा जेथा पर्ने सहकारी संस्थाको 'स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाताको 'लेना' (डेबिट) र जेथा नपर्ने सहकारी संस्थाको 'स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाताको 'देना' (क्रेडिट) तर्फ चढाउने,

१५. माथि १३ बमोजिम हिसाब समायोजन गर्दा तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँ, ब्याजको रकमभन्दा जेथाको मूल्य बढी भएकोमा जेथा पर्ने सहकारी संस्थाको 'स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाताको 'देना' (क्रेडिट) तर्फ र जेथा नपर्ने सहकारी संस्थाको 'स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाताको 'लेना' (डेबिट) तर्फ चढाउने,

**दोस्रो चरण अवस्था तीन : पुँजी अपर्याप्तता**

१६. विभाजनपछि कायम हुने बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू प्रत्येकको प्राथमिक पुँजी कोषअन्तर्गत शेयर पुँजी र जगेडा कोषको रकम भिन्नाभिन्नै राख्ने,

१७. माथि १६ बमोजिम छुट्ट्याइएको रकममा प्राथमिक पुँजी कोषको रकम आवश्यक अनुपातभन्दा घटी हुने सहकारी संस्थाको जगेडा कोषमा घटी हुनेजति रकम प्राथमिक पुँजी आवश्यक अनुपातभन्दा बढी हुने सहकारी संस्थाको जगेडा कोषबाट पुगेजति सार्ने,

१८. माथि १७ बमोजिम सारिएको रकम प्राथमिक पुँजी कोष घटी परेको सहकारी संस्थाको 'विभाजन हिसाब समायोजन खाता'को 'लेना' (डेबिट) तर्फ र बढी परेको सहकारी संस्थाको 'विभाजन हिसाब समायोजन खाता'को 'देना' (क्रेडिट) तर्फ चढाउने,

तेस्रो चरण अवस्था एक : मिलान हुन नसकेको दायित्व समायोजन

१९.आयकरबापत दाखिला गर्नुपर्ने रकम साबिक सहकारी संस्थाको जिम्मेवारी त्यति नै बराबरको नगदीसहित विभाजनपछि कायम हुने कुनै एक सहकारी संस्थामा सार्ने,

२०. साबिकसहकारी संस्थामा शेयर लाभांश कोष र संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको रकम वितरण गर्न बाँकी रहेको भए ज-जसको, जे-जति रकम हो तदनुसार नै लगत खडा गरीछुट्ट्याएर विभाजनपछि सम्बन्धित सदस्य पर्ने सहकारी संस्थामा सार्ने,

२१. कर्मचारी बोनस कोषको वितरण गर्न बाँकी रकमका साथै कर्मचारीसँग सम्बन्धित अन्य दायित्वका सम्बन्धमा समेत लगत खडा गरी विभाजनपछि जो-जता समायोजन हुने हो त्यतैको सहकारी संस्थामा पार्ने,

२२. माथि २०, २१ र दायित्वतर्फको अन्य रकमसमेतमा जिम्मेवारी सार्दा त्यति नै बराबरको नगदी छुट्ट्याएर पठाउनुपर्ने,

२३. माथि २२ बमोजिम नगदी पठाउन नपुग्ने अवस्थामा शेयर लाभांशबापत वितरण गर्नुपर्ने रकमको हकमा 'विभाजन हिसाब समायोजन खाता'को 'लेना' (डेबिट) तर्फ जनाउने,

**तेस्रो चरण अवस्था दुई : मिलान हुन नसकेको सम्पत्ति समायोजन**

२४. विभाजनपछिका सहकारी संस्थारूको तल २९ मा भनिएबमोजिम कायम गरिएको सदस्यता अनुपातका आधारमा त्यस्तो सम्पत्ति छुट्ट्याउने,

२५. माथि २४ बमोजिम छुट्ट्याइएको सम्पत्तिबापत प्रत्येक सहकारी संस्थाको 'विभाजन हिसाब समायोजन खाता'को 'देना' (क्रेडिट) तर्फ चढाउने,

२६. लगतसहित सम्पूर्ण रकम सम्बन्धित कारोबार वा सदस्यहरू परेको सहकारी संस्थामा सार्ने,

२७. सम्पत्ति सरेको सहकारी संस्थाले तदनुसारको रकम असुलउपर गरेपछि प्रत्येक सहकारी संस्थालाई

शोधभर्ना दिने गरी 'विभाजन हिसाब शोधभर्ना खाता'को 'देना' (क्रेडिट) तर्फ र अन्य सहकारी संस्थाको 'विभाजन हिसाब शोधभर्ना खाता'को 'लेना' (डेबिट) तर्फ चढाउने,

**चौथो चरण : संयुक्त ऋणधन विभाजन**

२८. संयुक्त रकमकलमहरू विभाजनपछिका सहकारी संस्थाहरूको तल २९ मा भनिएबमोजिम कायम गरिएको सदस्यता अनुपातअनुसार बाँडफाँड गर्ने,

२९. विभाजनपछि सम्बन्धितसहकारी संस्थामा पर्ने सदस्य सङ्ख्यालाई हिसाब मिलान दिनको मूल सहकारी संस्थाको सदस्य सङ्ख्याले भाग अनि एक सयको अङ्कले गुणन गरी आउने प्रतिशतमा संयोजक समितिले तय गरेबमोजिम दशमलवपछाडिका दुई वा चार वटा अङ्क लिएर र जम्मा अनुपात एक सय बराबर हुने गरी प्रत्येक सहकारी संस्थाको सदस्यता अनुपात कायम गर्ने,

३०. माथि २८.बमोजिम छुट्टिएको विभाजनपछि कायम हुने कुनै सहकारी संस्थाको दायित्वतर्फको जम्मा रकम बराबर सम्पत्तितर्फको जम्मा रकम नभएर बढी भएकोमा बढी भएजति रकम 'विभाजन हिसाब समायोजन खाता'को 'लेना' (डेबिट) तर्फ तथा घटी भएकोमा घटी भएजति रकम 'विभाजन हिसाब समायोजन खाता'को 'देना' (क्रेडिट) तर्फ चढाउने,

**जुनसुकै अवस्थामा**

३१. स्थिर सम्पत्तिको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसारको (त्यसयता खरिद गरिएकोमा खरिद गरिएअनुसारको) लेखाङ्कित मूल्यमा मात्र समायोजन गर्न्ने र

३२.अरू यसैनिर्देशिकाबमोजिम गर्ने ।

**खण्ड ख : हिसाब गणना उदाहरण**

**ख१. मूल सहकारी संस्थाको वासलात (यसै तालिका बमोजिम मानी) (रकम रु. '०००)**

| दायित्व | | | | सम्पत्ति | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हि.नं. | विवरण | रकम | रकम | हि.नं. | विवरण | रकम | रकम |
| १० | शेयर | | १,५०० | ८०.१ | सेफमा रहेको नगद | | ४९० |
| २० | कोष | | २,६०० | १००.१ | ऋणपत्र | | १,००० |
| २०.१ | जगेडा कोष | १,७०० | | ११० | ऋण | | ५,१०० |
| २०.२ | संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष | ३०० | | १२०.४ | अन्य चालु सम्पत्ति | | ६७५ |
| २०.३ | सहकारी प्रवर्धन कोष | ५० | | १२०.४.४ | पाउनुपर्ने ब्याज | ३७० | |
| २०.४.२ | शेयर लाभांश कोष | २०० | | १२०.४.५ | बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने | २० | |
| २०.४.३ | कर्मचारी बोनस कोष | ५० | | १२०.४.५.१ | अन्य चालु सम्पत्ति | २८५ | |
| २०.४.१,४,...,८ | अन्य कोष | ३०० | | १३० | स्थिर सम्पत्ति | | २,५०० |
| ३० | बचत | | ४,७०० | १३०.१.३ | भवन | २,००० | |
| ६०.२ | अन्य चालु दायित्व | | ९६५ | १३०.१.१० | अन्य | ५०० | |
| ६०.२.२ | अन्य चालु दायित्व (तिर्न बाँकी ब्याज) | २५० | | | | | |
| ६०.२.४ | भुक्तानी दिनुपर्ने आयकर | ८० | | | | | |
| ६०.२.५.१ | अन्य चालु दायित्व | ६३५ | | | | | |
| | जम्मा | | ९७६५ | | जम्मा | | ९७६५ |

**पहिलो चरण ख२. : सामूहिक ऋणधन विभाजन (यसै तालिकामा दिइएअनुसारको सदस्य सङ्ख्या र ऋणधन मानी)(रकम रु. '०००)**

| हि.नं. | विवरण | मूल संस्था | संस्था एक | संस्था दुई | संस्था तीन |
|---|---|---|---|---|---|
| | सदस्य सङ्ख्या | ३,७०० )१००(% | ९०० )२४.३२(% | १,७०० )४५.९५(% | १,१०० )२९.७३(% |
| १० | शेयर | १,५०० | ५०० | ६०० | ४०० |
| ३० | बचत | ४,७०० | १,४०० | २,१०० | १२०० |
| ६०.२.२ | अन्य चालु दायित्व (तिर्न बाँकी ब्याज) | २५० | ६० | ११० | ८० |
| | **जम्मा सामूहिक दायित्व** | ६४५० | १९६० | २८१० | १६८० |
| ११० | ऋण लगानी | ५,१०० | ९०० | २,५०० | १,७०० |
| १२०.४.४ | अन्य चालु सम्पत्ति (पाउनुपर्ने ब्याज) | ३७० | ६० | १९० | १२० |
| | **जम्मा सामूहिक सम्पत्ति** | ५४७० | ९६० | २६९० | १८२० |
| | **सामूहिक ऋणधन समायोजन खाता** | (९८०) | (१०००) | (१२०) | १४० |

## पहिलो चरण ख३. : सामूहिक ऋणधन विभाजनको लेखाङ्कन (रकम रु. '०००)

| विवरण | हि.नं. | संस्था १ | | संस्था २ | | संस्था ३ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | डे. | के. | डे. | के. | डे. | के. |
| डे. ऋण | ११० | ९०० | | २,५०० | | १,७०० | |
| डे. अन्य चालु सम्पत्ति (पाउनुपर्ने ब्याज) | १२०.४.४ | ६० | | १९० | | १२० | |
| डे. सामूहिक ऋणधन समायोजन खाता | १२०.४.५.२.१ | १,००० | | १२० | | | |
| के. शेयर | १० | | ५०० | | ६०० | | ४०० |
| के. बचत | ३० | | १,४०० | | २,१०० | | १,२०० |
| के. अन्य चालु दायित्व(तिर्न बाँकी ब्याज) | ६०.२.२ | | ६० | | ११० | | ८० |
| के. सामूहिक ऋणधन समायोजन खाता | ६०.२.५.२.१ | | | | | | १४० |
| जम्मा | | १९६० | १९६० | २८१० | २८१० | १८२० | १८२० |

## पहिलो चरण ख४. :सामूहिक ऋणधन विभाजनपछिको वासलात (रकम रु. '०००)

| दायित्व | | | | | | सम्पत्ति | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हि.नं. | विवरण | संस्था १ | संस्था २ | संस्था ३ | जम्मा | हि.नं. | विवरण | संस्था १ | संस्था २ | संस्था ३ | जम्मा |
| १० | शेयर | ५०० | ६०० | ४०० | १५०० | ८०.१ | सेफमा रहेको नगद | | | | ४९० |
| २० | कोष | | | | २६०० | १००.१ | ऋणपत्र | | | | १००० |
| ३० | बचत | १४०० | २१०० | १२०० | ४७०० | ११० | ऋण | ९०० | २५०० | १७०० | ५१०० |
| ६०.२ | अन्य चालु दायित्व | | | | | १२०.४ | अन्य चालु सम्पत्ति | | | | |
| ६०.२.२ | अन्य चालु दायित्व (तिर्न बाँकी ब्याज) | ६० | ११० | ८० | २५० | १२०.४.४ | पाउनुपर्ने ब्याज | ६० | १९० | १२० | ३७० |
| ६०.२.४ | भुक्तानी दिनुपर्ने आयकर | | | | ८० | १२०.४.५ | बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने | | | | २० |
| ६०.२.५.१ | अन्य चालु दायित्व | | | | ६३५ | १२०.४.५.१ | अन्य चालु सम्पत्ति | | | | २८५ |
| ६०.२.५.२.१ | सामूहिक ऋणधन समायोजन खाता | | | १४० | | १२०.४.५.२.१ | सामूहिक ऋणधन समायोजन खाता | १००० | १२० | | |
| | | | | | | १३० | स्थिर सम्पत्ति | | | | २५०० |
| | जम्मा | १९६० | २८१० | १८२० | ९७६५ | | जम्मा | १९६० | २८१० | १८२० | ९७६५ |

## दोस्रो चरण ख५. : स्थीर सम्पत्तिको समायोजन (भवन सहकारी संस्था २ मा परेको मानी) (रकम रु. '०००)

| हि.नं. | विवरण | मूल संस्था | संस्था एक | संस्था दुई | संस्था तीन |
|---|---|---|---|---|---|
| १३०.१.३ | भवनको ह्रासपछिको किताबी मूल्य | २००० | | | |
| | सदस्यता अनुपात | १००% | २४.३२% | ४५.९५% | २९.७३% |
| | सदस्यता अनुपातअनुसारको विभाजन (दशको शून्यमा अङ्क समायोजित) | २००० | ४९० | ९२० | ५९० |
| १३०.१.३ | स्थिर सम्पत्ति –भवन | ० | ० | २००० | ० |
| | स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाता | ० | ४९० | (१०८०) | ५९० |

## दोस्रो चरण ख६. : स्थिर सम्पत्ति समायोजनको लेखाङ्कन (रकम रु. '००० मा) लेखाङ्कन – एक

| विवरण | हि.नं. | संस्था १ | | संस्था २ | | संस्था ३ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | डे. | के. | डे. | के. | डे. | के. |
| डे. स्थिर सम्पत्ति | १३०.१.३ | ४९० | | ९२० | | ५९० | |
| के. विभाजन हिसाब समायोजन खाता | ६०.२.५.२.२ | | ४९० | | ९२० | | ५९० |
| लेखाङ्कन– दुई | | | | | | | |
| डे. स्थिर सम्पत्ति | १३०.१.३ | | | १०८० | | | |
| डे. स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाता | १२०.४.५.२.३ | ४९० | | | | ५९० | |
| के. स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाता | ६०.२.५.२.३ | | | | १०८० | | |
| के. स्थिर सम्पत्ति | १३०.१.३ | | ४९० | | | | ५९० |

## दोस्रो चरण ख७. : स्थीर सम्पत्ति समायोजनपछिको वासलात (रकम रु. '०००)

| दायित्व | | | | | | सम्पत्ति | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हि.नं. | विवरण | संस्था १ | संस्था २ | संस्था ३ | जम्मा | हि.नं. | विवरण | संस्था १ | संस्था २ | संस्था ३ | जम्मा |
| १० | शेयर | ५०० | ६०० | ४०० | १५०० | ८०.१ | सेफमा रहेको नगद | | | | ४९० |
| २० | कोष | | | | २६०० | १००.१ | ऋणपत्र | | | | १००० |
| ३० | बचत | १४०० | २१०० | १२०० | ४७०० | ११० | ऋण | ९०० | २५०० | १७०० | ५१०० |
| ६०.२ | अन्य चालु दायित्व | | | | | १२०.४ | अन्य चालु सम्पत्ति | | | | |
| ६०.२.२ | अन्य चालु दायित्व (तिर्न बाँकी ब्याज) | ६० | ११० | ८० | २५० | १२०.४.४ | पाउनुपर्ने ब्याज | ६० | १९० | १२० | ३७० |
| ६०.२.४ | भुक्तानी दिनुपर्ने आयकर | | | | ८० | १२०.४.५ | बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने | | | | २० |
| ६०.२.५.१ | अन्य चालु दायित्व | | | | ६३५ | १२०.४.५.१ | अन्य चालु सम्पत्ति | | | | २८५ |
| ६०.२.५.२.१ | सामूहिक ऋणधन समायोजन खाता | | | १४० | | १२०.४.५.२.१ | सामूहिक ऋणधन समायोजन खाता | १००० | १२० | | |
| ६०.२.५.२.२ | विभाजन हिसाब समायोजन खाता | ४९० | ९२० | ५९० | | १२०.४.५.२.३ | स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाता | ४९० | | ५९० | |
| ६०.२.५.२.३ | स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाता | | १०८० | | | १३० | स्थिर सम्पत्ति | | | | |
| | | | | | | १३०.१.३ | भवन | | २००० | | २००० |
| | | | | | | १३०.१.१० | अन्य | | | | ५०० |
| | जम्मा | २४५० | ४८१० | २४१० | ९७६५ | | जम्मा | २४५० | ४८१० | २४१० | ९७६५ |

## तेस्रो चरण ख८. : राफसाफ हुन नसकेको दायित्वको समायोजन(यसै तालिकाबमोजिमको रकमकलम विभाजनअघि नै राफसाफ हुन नसकेको मानी)(रकम रु. '०००)

| हि.नं. | विवरण | मूल संस्था | संस्था एक | संस्था दुई | संस्था तीन |
|---|---|---|---|---|---|
| २०.२ | संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष (सदस्यगत कारोबारको लगत) | ३०० | ८० | २०० | २० |
| २०.३ | सहकारी प्रवर्धन (जिम्मेबारी सरेको संस्था – संस्था १) | ५० | ५० | ० | ० |
| २०.४.२ | शेयर लाभांश कोष (सदस्यगत पुँजीको लगत) | २०० | ७० | ८० | ५० |
| २०.४.३ | कर्मचारी बोनस कोष (कर्मचारीगत रकमको लगत) | ५० | २० | २० | १० |
| ६०.२.४ | भुक्तानी दिनुपर्ने आयकर (जिम्मेबारी सरेको संस्था – संस्था ३) | ८० | ० | ० | ८० |
| | **दायित्वतर्फ जम्मा** | ६८० | २२० | ३०० | १६० |
| | **सम्पत्तितर्फ** | | | | |
| ८०.१ | सेफमा रहेको नगद | ४८० | १५० | २२० | ११० |
| १२०.४.५.२.२ | विभाजन हिसाब समायोजन खाता | २०० | ७० | ८० | ५० |
| | **सम्पत्तितर्फ जम्मा** | ६८० | २२० | ३०० | १६० |

## तेस्रो चरण ख ९. : राफसाफ हुन नसकेको दायित्व समायोजनको लेखाङ्कन (रकम रु. '०००)

| विवरण | | संस्था १ | | संस्था २ | | संस्था ३ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | हि.नं. | डे. | के. | डे. | के. | डे. | के. |
| डे. सेफमा रहेको नगद | ८०.१ | १५० | | २२० | | ११० | |
| डे. विभाजन हिसाब समायोजन खाता | १२०.४.५.२.२ | ७० | | ८० | | ५० | |
| के. संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष | २०.२ | | ८० | | २०० | | २० |
| के. सहकारी प्रवर्धन कोष | २०.३ | | ५० | | | | ० |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| के. शेयर लाभांस कोष | २०.४.२ | | ७० | | ८० | | ५० |
| के. कर्मचारी बोनस कोष | २०.४.३ | | २० | | २० | | १० |
| के. तिर्नुपर्ने आयकर | ६०.२.४ | | | | | | ८० |
| | | २२० | २२० | ३०० | ३०० | १६० | १६० |

## तेस्रो चरण ख १०. : राफसाफ हुन नसकेको सम्पत्तिको समायोजन (यसै तालिकाबमोजिमको रकमकलम विभाजनअघि नै राफसाफ हुन नसकेको मानी) (रकम रु. '००० मा)

| हि.नं. | विवरण | मूल संस्था | संस्था एक | संस्था दुई | संस्था तीन |
|---|---|---|---|---|---|
| | असुल गर्नुपर्ने बेरुजु (सम्बन्धित कर्मचारी वा पदाधिकारी परेको संस्था – संस्था- १ | २० | २० | | |
| | सदस्य अनुपातमा हुने रकम | २० (१००%) | ५ (२४.३२%) | ९ (४५.९५%) | ६ (२९.७३%) |
| १२०.४.५.२.४ | विभाजन हिसाब शोधभर्ना खाता | | २० | | |
| | विभाजन हिसाब समायोजन खाता | | (१५) | ९ | ६ |
| | सम्पत्तितर्फ जम्मा | २० | २० | | |

## तेस्रो चरण ख११. : राफसाफ हुन नसकेको सम्पत्ति समायोजनको लेखाङ्कन (रकम रु. '०००)

### लेखाङ्कन – एक

| विवरण | | संस्था १ | | संस्था २ | | संस्था ३ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | हि.नं. | डे. | के. | डे. | के. | डे. | के. |
| डे. असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु | १२०.४.५ | २० | | | | | |
| के. विभाजन हिसाब समायोजन खाता | ६०.२.५.२.२ | | ५ | | | | |
| के. विभाजन हिसाब शोधभर्ना खाता | ६०.२.५.२.४ | | १५ | | | | |
| जम्मा | | २० | २० | | | | |

### लेखाङ्कन – दुई

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डे. विभाजन हिसाब शोधभर्ना खाता | १२०.४.५.२.४ | | | ९ | | ६ | |
| के. विभाजन हिसाब समायोजन खाता | १२०.४.५.२.२ | | | | ९ | | ६ |
| जम्मा | | | | ९ | ९ | ६ | ६ |

## तेस्रो चरण ख१२. : राफसाफ हुन नसकेको हिसाब समायोजनपछिको वासलात (रकम रु. '०००)

| दायित्व | | | | | | सम्पत्ति | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हि.नं. | विवरण | संस्था १ | संस्था २ | संस्था ३ | जम्मा | हि.नं. | विवरण | संस्था १ | संस्था २ | संस्था ३ | जम्मा |
| १० | शेयर | ५०० | ६०० | ४०० | १५०० | ८०.१ | सेफमा रहेको नगद | | | | |
| २० | कोष | | | | | | (क) विभाजित | १५० | २२० | ११० | ४८० |
| २०.१ | जगेडा कोष | | | | १७०० | | (ख) अविभाजित | | | | १० |
| २०.२ | संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष | ८० | २०० | २० | ३०० | १००.१ | ऋणपत्र | | | | १००० |
| २०.३ | सहकारी प्रवर्धन | ५० | | | ५० | ११० | ऋण | ९०० | २५०० | १७०० | ५१०० |
| २०.४.२ | शेयर लाभांश कोष | ७० | ८० | ५० | २०० | १२०.४ | अन्य चालु सम्पत्ति | | | | |
| २०.४.३ | कर्मचारी बोनस कोष | २० | २० | १० | ५० | १२०.४.४ | पाउनुपर्ने ब्याज | ६० | १९० | १२० | ३७० |
| २०.४.१,४,...,८ | अन्य कोष | | | | ३०० | १२०.४.५ | बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने | २० | | | २० |
| ३० | बचत | १४०० | २१०० | १२०० | ४७०० | १२०.४.५.१ | अन्य चालु सम्पत्ति | | | | २८५ |
| ६०.२ | अन्य चालु दायित्व | | | | | १२०.४.५.२.१ | सामूहिक ऋणधन समायोजन खाता | १००० | १२० | | |
| ६०.२.२ | अन्य चालु दायित्व | ६० | ११० | ८० | २५० | १२०.४.५.२.२ | विभाजन हिसाब | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (तिर्न बाँकी ब्याज) | | | | | | समायोजन खाता | | | | |
| ६०.२.४ | भुक्तानी दिनुपर्ने आयकर | | | ८० | ८० | १२०.४.५.२.३ | स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाता | ४९० | ० | ५९० | |
| ६०.२.५.१ | अन्य चालु दायित्व | | | | ६३५ | १२०.४.५.२.४ | विभाजन हिसाब शोधभर्ना खाता | | ९ | ६ | |
| ६०.२.५.२.१ | सामूहिक ऋणधन समायोजन खाता | | | १४० | | १३० | स्थिर सम्पत्ति | | | | |
| ६०.२.५.२.२ | विभाजन हिसाब समायोजन खाता | ४२५ | ८४९ | ५४६ | | १३०.१.३ | भवन | | २००० | | २००० |
| ६०.२.५.२.३ | स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाता | | १०८० | | | १३०.१.१० | अन्य | | | | ५०० |
| ६०.२.५.२.४ | विभाजन हिसाब शोधभर्ना खाता | १५ | | | | | | | | | |
| | जम्मा | २६२० | ५०३९ | २५२६ | ९७६५ | | जम्मा | २६२० | ५०३९ | २५२६ | ९७६५ |

## चैथो चरण ख१३. : संयुक्त ऋणधन विभाजन (रकम रु. '०००)

| हि.नं. | विवरण | मूल संस्था | संस्था एक | संस्था दुई | संस्था तीन |
|---|---|---|---|---|---|
| | **सदस्य अनुपात** | १००% | २४.३२% | ४५.९५% | २९.७३% |
| २०.१ | जगेडा कोष | १७०० | ४१५ | ७८० | ५०५ |
| २०.४.१,४,...,८ | अन्य कोष | ३०० | ७० | १४० | ९० |
| ६०.२ | अन्य चालु दायित्व | ६३५ | १५५ | २९० | १९० |
| | **दायित्वतर्फ जम्मा** | २६३५ | ६४० | १२१० | ७८५ |
| ८०.१ | सेफमा रहेको नगद – अविभाजित | १० | २ | ५ | ३ |
| १००.१ | ऋण पत्र | १००० | २४५ | ४६० | २९५ |
| १२०.४.५.१ | अन्य चालु सम्पत्ति | २८५ | ७० | १३० | ८५ |
| १३०.१.१० | अन्य स्थिर सम्पत्ति | ५०० | १२० | २३० | १५० |
| | **सम्पत्तितर्फ जम्मा** | १७९५ | ४३७ | ८२५ | ५३३ |
| १२०.४.५.२.२ | विभाजन हिसाब समायोजन खाता (सम्पत्ति – दायित्व) | (८४०) | (२०३) | (३८५) | (२५२) |

## चौथो चरण ख१४. : संयुक्त ऋणधन समायोजनको लेखाङ्कन (रकम रु. '०००)

| विवरण | हि.नं. | संस्था १ | | संस्था २ | | संस्था ३ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | डे. | क्रे. | डे. | क्रे. | डे. | क्रे. |
| डे. सेफमा रहेको नगद – अविभाजित | ८०.१ | २ | | ५ | | ३ | |
| डे. ऋण पत्र | १००.१ | २४५ | | ४६० | | २९५ | |
| डे. अन्य चालु सम्पत्ति | १२०.४.५.१ | ७० | | १३० | | ८५ | |
| डे. विभाजन हिसाब समायोजन खाता | १२०.४.५.२.२ | २०३ | | ३८५ | | २५२ | |
| डे. अन्य स्थिर सम्पत्ति | १३०.१.१० | १२० | | २३० | | १५० | |
| क्रे. जगेडा कोष | २०.१ | | ४१५ | | ७८० | | ५०५ |
| क्रे. अन्य कोष | २०.४.१,४,...,८ | | ७० | | १४० | | ९० |
| क्रे. अन्य चालु दायित्व | ६०.२.५.१ | | १५५ | | २९० | | १९० |
| जम्मा | | ६४० | ६४० | १२१० | १२१० | ७८५ | ७८५ |

## पाँचौं चरण ख१५. : विभाजनपछिको अन्तिम वासलात (रकम रु. '०००)

| दायित्व | | | | | | सम्पत्ति | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हि.नं. | विवरण | संस्था १ | संस्था २ | संस्था ३ | जम्मा | हि.नं. | विवरण | संस्था १ | संस्था २ | संस्था ३ | जम्मा |
| १० | शेयर | ५०० | ६०० | ४०० | १५०० | ८०.१ | सेफमा रहेको नगद | १५२ | २२५ | ११३ | ४९० |
| २० | कोष | | | | | १००.१ | ऋणपत्र | २४५ | ४६० | २९५ | १००० |
| २०.१ | जगेडा कोष | ४१५ | ७८० | ५०५ | १७०० | ११० | ऋण | ९०० | २५०० | १७०० | ५१०० |
| २०.२ | संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष | ८० | २०० | २० | ३०० | १२०.४ | अन्य चालु सम्पत्ति | | | | |
| २०.३ | सहकारी प्रवर्धन | ५० | | | ५० | १२०.४.४ | पाउनुपर्ने ब्याज | ६० | १९० | १२० | ३७० |
| २०.४.२ | शेयर लाभांश कोष | ७० | ८० | ५० | २०० | १२०.४.५ | बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने | २० | | | २० |
| २०.४.३ | कर्मचारी बोनस कोष | २० | २० | १० | ५० | १२०.४.५.१ | अन्य चालु सम्पत्ति | ७० | १३० | ८५ | २८५ |
| २०.४.१,४,...,८ | अन्य कोष | ७० | १४० | ९० | ३०० | १२०.४.५.२ | समायोजन खाता | | | | |
| ३० | बचत | १४०० | २१०० | १२०० | ४७०० | १२०.४.५.२.१ | सामूहिक ऋणधन समायोजन खाता | १००० | १२० | | |
| ६०.२ | अन्य चालु दायित्व | | | | | | विभाजन हिसाब समायोजन खाता | | | | |
| ६०.२.२ | अन्य चालु दायित्व (तिर्न बाँकी ब्याज) | ६० | ११० | ८० | २५० | १२०.४.५.२.२ | स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाता | ४९० | | ५९० | |
| ६०.२.४ | भुक्तानी दिनुपर्ने आयकर | | | ८० | ८० | १२०.४.५.२.३ | विभाजन हिसाब शोधभर्ना खाता | | ९ | ६ | |
| ६०.२.५.१ | अन्य चालु दायित्व | १५५ | २९० | १९० | ६३५ | १२०.४.५.२.४ | स्थिर सम्पत्ति | | | | |
| ६०.२.५.२ | समायोजन खाता | | | | | १३० | भवन | | २००० | | २००० |
| ६०.२.५.२.१ | सामूहिक ऋणधन समायोजन खाता | | | १४० | | १३०.१.३ | अन्य स्थिर सम्पत्ति | १२० | २३० | १५० | ५०० |
| ६०.२.५.२.२ | विभाजन हिसाब समायोजन खाता | २२२ | ४६४ | २९४ | | १३०.१.१० | | | | | |
| ६०.२.५.२.३ | स्थिर सम्पत्ति समायोजन खाता | | १०८० | | | | | | | | |
| ६०.२.५.२.४ | विभाजन हिसाब शोधभर्ना खाता | १५ | | | | | | | | | |
| | जम्मा | ३०५७ | ५८६४ | ३०५९ | ९७६५ | | जम्मा | ३०५७ | ५८६४ | ३०५९ | ९७६५ |

## अनुसूची–१२
(दफा ५६ सँग सम्बन्धित)

# एकीकरण वा विभाजन हिसाब गणना फाराम र पुष्ट्याइँ अनुसूचीहरूको ढाँचा

**खण्ड क. एकीकरण हिसाब गणना फाराम (हिसाब मिलान मिति : ... ... ... .../ .../ ...)**

**दायित्वतर्फ**

| हि.नं. | विवरण | संस्था १ | | | | संस्था २ | | | | संस्था ३ | | | | एकीकरणपछि कायम हुने संस्थाको रकम रु. | विस्तृति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | गत आव (वार्षिक लेपअनुसार) को रु. | चालु आव (वार्षिक लेपयता) को थप (+) रु. | चालु आव (वार्षिक लेपयता) को घट (–) रु. | जम्मा रु. | गत आव (वार्षिक लेपअनुसार) को रु. | चालु आव (वार्षिक लेपयता) को थप (+) रु. | चालु आव (वार्षिक लेपयता) को घट (–) रु. | जम्मा रु. | गत आव (वार्षिक लेपअनुसार) को रु. | चालु आव (वार्षिक लेपयता) को थप (+) रु. | चालु आव (वार्षिक लेपयता) को घट (–) रु. | जम्मा रु. | | |
| १० | शेयर पुँजी | | | | | | | | | | | | | | अनुसूची १२.१ |
| २० | कोष | | | | | | | | | | | | | | |
| २०.१ | जगेडा कोष | | | | | | | | | | | | | | |
| २०.२ | संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष | | | | | | | | | | | | | | |
| २०.३ | सहकारी प्रवर्धन कोष | | | | | | | | | | | | | | |
| २०.४ | अन्य कोष | | | | | | | | | | | | | | |
| ३० | बचत | | | | | | | | | | | | | | अनुसूची १२.२ |
| ३०.१ | नियमित बचत | | | | | | | | | | | | | | |
| ३०.२ | ऐच्छिक बचत | | | | | | | | | | | | | | |
| ३०.२.१ | समय नतोकिएको बचत | | | | | | | | | | | | | | |
| ३०.२.२ | समय तोकिएको बचत | | | | | | | | | | | | | | |
| ४० | तिर्नुपर्ने ऋण | | | | | | | | | | | | | | अनुसूची १२.३ |
| ४०.१ | सहकारी क्षेत्रबाट प्राप्त ऋण | | | | | | | | | | | | | | |
| ४०.२ | अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त ऋण | | | | | | | | | | | | | | |
| ५० | पुँजीगत अनुदान | | | | | | | | | | | | | | |
| ६० | चालु दायित्व | | | | | | | | | | | | | | अनुसूची |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | १२.४ |
| ६०.१ | चालु व्यावसायिक दायित्व | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.१.१ | व्यावसायिक दायित्व | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.१.२ | गैरव्यावसायिक दायित्व | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.१.३ | अल्पकालीन ऋण | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.१.४ | तिर्नुपर्ने वित्तीय पट्टा –चालु | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.१.५ | तिर्नुपर्ने तलब/ज्याला | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.१.६ | तिर्नुपर्ने कर्मचारी सुविधा | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.१.७ | नियमनकारी निकायलाई तिर्नुपर्ने | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.१.८ | स्रोतमा कर कट्टी | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.१.९ | तिर्नुपर्ने आयकर | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.१.१० | मूल्य अभिवृद्धि कर | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.१.११ | स्थगन कर दायित्व/सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.१.१२ | व्यवस्थाहरू | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.१.१२.१ | ऋण जोखिम व्यवस्था | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.१.१२.२ | लगानी नेक्सानी व्यवस्था | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.१.१२.३ | समस्याग्रस्त सम्पत्तिका लागि व्यवस्था | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.१.१२.४ | सञ्चित ह्रासकट्टी | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.१.१२.५ | अन्य व्यवस्थाहरू | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.१.१३ | तिर्नुपर्ने लेखापरीक्षण शुल्क | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.१.१४ | अन्य तिर्नुपर्ने | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.२ | अन्य चालु दायित्व | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ६०.२.१ | क्रेताबाट पेश्की | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.२.२ | तिर्न बाँकी ब्याज | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.२.३ | ब्याज मुलतबी | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.२.४ | अग्रिम आय | | | | | | | | | | | | | | |
| ६०.२.५ | अन्य चालु दायित्व | | | | | | | | | | | | | | |
| ७० | दीर्घकालीन दायित्व | | | | | | | | | | | | | | अनुसूची १२.५ |
| ७०.१ | तिर्नुपर्ने वित्तीय पट्टा –दीर्घकालीन | | | | | | | | | | | | | | |
| ७०.२ | अन्य दिर्घकालीन दायित्व | | | | | | | | | | | | | | |

**सम्पत्तितर्फ**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ८० | नगद वा नगदसरह | | | | | | | | | | | | | | |
| ८०.१ | सेफमा रहेको नगद | | | | | | | | | | | | | | |
| ८०.२ | सानो नगदी कोष | | | | | | | | | | | | | | |
| ८०.३ | चेक र अन्य नगद | | | | | | | | | | | | | | |
| ९० | बैङ्क | | | | | | | | | | | | | | अनुसूची १२.६ |
| ९०.१ | चालु खाता | | | | | | | | | | | | | | |
| ९०.२ | बचत खाता | | | | | | | | | | | | | | |
| ९०.३ | सहकारी सङ्घमा रहेको खाता | | | | | | | | | | | | | | |
| ९०.४ | अल्पकालीन मुद्दती खाता | | | | | | | | | | | | | | |
| १०० | लगानी | | | | | | | | | | | | | | अनुसूची १२.७ |
| १००.१ | वित्तीय लगानी | | | | | | | | | | | | | | |
| १००.१.१ | शेयरमा लगानी | | | | | | | | | | | | | | |
| १००.१.२ | बचतमा लगानी | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १००.१.३ | मुद्दती निक्षेप | | | | | | | | | | | | | | |
| १००.१.४ | सुरक्षण पत्रमा लगानी | | | | | | | | | | | | | | |
| १००.१.५ | अन्य क्षेत्रमा लगानी | | | | | | | | | | | | | | |
| १००.२ | गैरवित्तीय लगानी | | | | | | | | | | | | | | |
| १००.२.१ | घर/जग्गामा ऋण लगानी | | | | | | | | | | | | | | |
| १००.२.२ | हायरपर्चेज ऋण लगानी | | | | | | | | | | | | | | |
| १००.२.३ | अन्य लगानी | | | | | | | | | | | | | | |
| ११० | ऋण लगानी | | | | | | | | | | | | | | अनुसूची १२.८ |
| ११०.१ | कृषि क्षेत्रमा लगानी | | | | | | | | | | | | | | |
| ११०.२ | उद्योगमा लगानी | | | | | | | | | | | | | | |
| ११०.३ | अन्य क्षेत्रमा लगानी | | | | | | | | | | | | | | |
| १२० | अन्य चालु सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | | | अनुसूची १२.९ |
| १२०.१ | भुक्तानी पाउनुपर्ने | | | | | | | | | | | | | | |
| १२०.१.१ | प्राप्य खाता–व्यापारिक | | | | | | | | | | | | | | |
| १२०.१.२ | प्राप्य खाता–गैरव्यापारिक | | | | | | | | | | | | | | |
| १२०.१.३ | पेश्की | | | | | | | | | | | | | | |
| १२०.१.४ | प्राप्य वित्तीय पट्टा | | | | | | | | | | | | | | |
| १२०.१.५ | अन्य चालु प्राप्य | | | | | | | | | | | | | | |
| १२०.२ | मालशेष | | | | | | | | | | | | | | |
| १२०.२.१ | व्यापारिक मालशेष | | | | | | | | | | | | | | |
| १२०.२.२ | पाटपुर्जा/सामग्री तथा अन्य मालशेष | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १२०.२.३ | कच्चा पदार्थ मालशेष | | | | | | | | | | | | | | |
| १२०.२.४ | प्रशोधनमा रहेको मालशेष | | | | | | | | | | | | | | |
| १२०.२.५ | अन्तिम वस्तु मालशेष | | | | | | | | | | | | | | |
| १२०.२.६ | मालशेष–कृषि उत्पादन | | | | | | | | | | | | | | |
| १२०.२.७ | मालशेष–पट्टाका लागि उपकरण | | | | | | | | | | | | | | |
| १२०.३ | जैविक सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | | | |
| १२०.४ | अन्य चालु सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | | | |
| १२०.४.१ | वितरकलाई धरौटी | | | | | | | | | | | | | | |
| १२०.४.२ | अग्रिम भुक्तानी गरिएको खर्च | | | | | | | | | | | | | | |
| १२०.४.३ | अग्रिम कर भुक्तानी | | | | | | | | | | | | | | |
| १२०.४.४ | पाउनुपर्ने ब्याज | | | | | | | | | | | | | | |
| १२०.४.५ | अन्य चालु सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | | | |
| १३० | स्थिर सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | | | अनुसूची १२.१० |
| १४० | अन्य दिर्घकालीन सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | | | अनुसूची १२.११ |
| १४०.१ | धरौटी | | | | | | | | | | | | | | |
| १४०.२ | लिलाममा सकारेको सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | | | |
| १४०.३ | विविध सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | | | |

तयार गर्नेको
दस्तखत :
नाम :
पद :
मिति :

प्रमाणित गर्नेको
दस्तखत :
नाम :
पद :
मिति :

**खण्ड ख.** विभाजन हिसाब गणना फाराम (हिसाब मिलान मिति : ... ... ... .../ .../ ...)

**दायित्वतर्फ**

| हि.नं. | विवरण | मूल संस्था १ | | | | संस्था १ को रु. | संस्था २ को रु. | संस्था ३ को रु. | जम्मा रु. | विस्तृति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | गत आव (वार्षिक लेपअनुसार)रु. | चालु आव (वार्षिक लेपयता) को थप (+) रु. | चालु आव (वार्षिक लेपयता) को घट (–) रु. | जम्मा रु. | | | | | |
| १० | शेयर पुँजी | | | | | | | | | अनुसूची १२.१ |
| २० | कोष | | | | | | | | | |
| २०.१ | जगेडा कोष | | | | | | | | | |
| २०.२ | संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष | | | | | | | | | |
| २०.३ | सहकारी प्रवर्धन कोष | | | | | | | | | |
| २०.४ | अन्य कोष | | | | | | | | | |
| ३० | बचत | | | | | | | | | अनुसूची १२.२ |
| ३०.१ | नियमित बचत | | | | | | | | | |
| ३०.२ | ऐच्छिक बचत | | | | | | | | | |
| ३०.२.१ | समय नतोकिएको बचत | | | | | | | | | |
| ३०.२.२ | समय तोकिएको बचत | | | | | | | | | |
| ४० | तिर्नुपर्ने ऋण | | | | | | | | | अनुसूची १२.३ |
| ४०.१ | सहकारी क्षेत्रबाट प्राप्त ऋण | | | | | | | | | |
| ४०.२ | अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त ऋण | | | | | | | | | |
| ५० | पूँजीगत अनुदान | | | | | | | | | |
| ६० | चालु दायित्व | | | | | | | | | अनुसूची १२.४ |
| ६०.१ | चालु व्यावसायिक दायित्व | | | | | | | | | |
| ६०.१.१ | व्यावसायिक दायित्व | | | | | | | | | |
| ६०.१.२ | गैरव्यावसायिक दायित्व | | | | | | | | | |
| ६०.१.३ | अल्पकालीन ऋण | | | | | | | | | |
| ६०.१.४ | तिर्नुपर्ने वित्तीय पट्टा –चालु | | | | | | | | | |
| ६०.१.५ | तिर्नुपर्ने तलब तथा ज्याला | | | | | | | | | |
| ६०.१.६ | तिर्नुपर्ने कर्मचारी सुविधा | | | | | | | | | |
| ६०.१.७ | नियमनकारी निकायलाई तिर्नुपर्ने | | | | | | | | | |
| ६०.१.८ | स्रोतमा कर कट्टी | | | | | | | | | |
| ६०.१.९ | तिर्नुपर्ने आयकर | | | | | | | | | |
| ६०.१.१० | मूल्य अभिवृद्धि कर | | | | | | | | | |
| ६०.१.११ | स्थगन कर दायित्व/सम्पत्ति | | | | | | | | | |
| ६०.१.१२ | व्यवस्थाहरू | | | | | | | | | |
| ६०.१.१२.१ | ऋण जोखिम व्यवस्था | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ६०.१.१२.२ | लगानी नेक्सानी व्यवस्था | | | | | | | | | |
| ६०.१.१२.३ | समस्याग्रस्त सम्पत्तिका लागि व्यवस्था | | | | | | | | | |
| ६०.१.१२.४ | सञ्चित ह्रासकट्टी | | | | | | | | | |
| ६०.१.१२.५ | अन्य व्यवस्थाहरू | | | | | | | | | |
| ६०.१.१३ | तिर्नुपर्ने ले.प. शुल्क | | | | | | | | | |
| ६०.१.१४ | अन्य तिर्नुपर्ने | | | | | | | | | |
| ६०.२ | अन्य चालु दायित्व | | | | | | | | | |
| ६०.२.१ | क्रेताबाट पेश्की | | | | | | | | | |
| ६०.२.२ | तिर्न बाँकी ब्याज | | | | | | | | | |
| ६०.२.३ | ब्याज मुलतबी | | | | | | | | | |
| ६०.२.४ | अगिम आय | | | | | | | | | |
| ६०.२.५ | अन्य चालु दायित्व | | | | | | | | | |
| ७० | दीर्घकालीन दायित्व | | | | | | | | | अनुसूची १२.५ |
| ७०.१ | तिर्नुपर्ने वित्तीय पट्टा – दीर्घकालीन | | | | | | | | | |
| ७०.२ | अन्य दिर्घकालीन दायित्व | | | | | | | | | |
| | जम्मा | | | | | | | | | |

**सम्पत्तितर्फ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ८० | नगद वा नगदसरह | | | | | | | | | |
| ८०.१ | सेफमा रहेको नगद | | | | | | | | | |
| ८०.२ | सानो नगदी कोष | | | | | | | | | |
| ८०.३ | चेक र अन्य नगद | | | | | | | | | |
| ९० | बैङ्क | | | | | | | | | अनुसूची १२.६ |
| ९०.१ | चालु खाता | | | | | | | | | |
| ९०.२ | बचत खाता | | | | | | | | | |
| ९०.३ | सहकारी सङ्घमा रहेको खाता | | | | | | | | | |
| ९०.४ | अल्पकालीन मुद्दती खाता | | | | | | | | | |
| १०० | लगानी | | | | | | | | | अनुसूची १२.७ |
| १००.१ | वित्तीय लगानी | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १००.१.१ | शेयरमा लगानी | | | | | | | | | |
| १००.१.२ | बचतमा लगानी | | | | | | | | | |
| १००.१.३ | मुद्दती निक्षेप | | | | | | | | | |
| १००.१.४ | सुरक्षणपत्रमा लगानी | | | | | | | | | |
| १००.१.५ | अन्य क्षेत्रमा लगानी | | | | | | | | | |
| १००.२ | गैरवित्तीय लगानी | | | | | | | | | |
| १००.२.१ | घर/जग्गामा ऋण लगानी | | | | | | | | | |
| १००.२.२ | हायरपर्चेज ऋण लगानी | | | | | | | | | |
| १००.२.३ | अन्य लगानी | | | | | | | | | |
| ११० | ऋण लगानी | | | | | | | | | अनुसूची १२.८ |
| ११०.१ | कृषि क्षेत्रमा लगानी | | | | | | | | | |
| ११०.२ | उद्योगमा लगानी | | | | | | | | | |
| ११०.३ | अन्य क्षेत्रमा लगानी | | | | | | | | | |
| १२० | अन्य चालु सम्पत्ति | | | | | | | | | अनुसूची १२.९ |
| १२०.१ | भुक्तानी पाउनुपर्ने | | | | | | | | | |
| १२०.१.१ | प्राप्य खाता–व्यापारिक | | | | | | | | | |
| १२०.१.२ | प्राप्य खाता–गैरव्यापारिक | | | | | | | | | |
| १२०.१.३ | पेश्की | | | | | | | | | |
| १२०.१.४ | प्राप्य वित्तीय पट्टा | | | | | | | | | |
| १२०.१.५ | अन्य चालु प्राप्य | | | | | | | | | |
| १२०.२ | मालशेष | | | | | | | | | |
| १२०.२.१ | व्यापारिक मालशेष | | | | | | | | | |
| १२०.२.२ | पाटपुर्जा/सामग्री तथा अन्य मालशेष | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १२०.२.३ | कच्चापदार्थ मालशेष | | | | | | | | | |
| १२०.२.४ | प्रशोधनमा रहेको मालशेष | | | | | | | | | |
| १२०.२.५ | अन्तिम वस्तु मालशेष | | | | | | | | | |
| १२०.२.६ | मालशेष–कृषि उत्पादन | | | | | | | | | |
| १२०.२.७ | मालशेष–पट्टाका लागि उपकरण | | | | | | | | | |
| १२०.३ | जैविक सम्पत्ति | | | | | | | | | |
| १२०.४ | अन्य चालु सम्पत्ति | | | | | | | | | |
| १२०.४.१ | वितरकलाई धरौटी | | | | | | | | | |
| १२०.४.२ | अग्रिम भुक्तानी गरिएको खर्च | | | | | | | | | |
| १२०.४.३ | अग्रिम कर भुक्तानी | | | | | | | | | |
| १२०.४.४ | पाउनुपर्ने ब्याज | | | | | | | | | |
| १२०.४.५ | अन्य चालु सम्पत्ति | | | | | | | | | |
| १३० | स्थिर सम्पत्ति | | | | | | | | | अनुसूची १२.१० |
| १४० | अन्य दिर्घकालीन सम्पत्ति | | | | | | | | | अनुसूची १२.११ |
| १४०.१ | धरौटी | | | | | | | | | |
| १४०.२ | लिलाममासकारेको सम्पत्ति | | | | | | | | | |
| १४०.३ | विविध सम्पत्ति | | | | | | | | | |
| | जम्मा | | | | | | | | | |

तयार गर्नेको

दस्तखत :

नाम :

पद :

मिति :

प्रमाणित गर्नेको

दस्तखत :

नाम :

पद :

मिति :

## अनुसूची १२.१
## शेयर पुँजीको लगत

**(हिसाब मिलान मिति : ... ... ... .../ .../ ...)**

| सि.नं. | सदस्यको नाम | मौज्दात शेयर रकम रु. | भुक्तानी दिन बाँकी लाभांश रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| | संस्था १ | | | |
| १ | | | | |
| २ | | | | |
| ३ | | | | |
| ४ | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | |
| | संस्था २ | | | |
| १ | | | | |
| २ | | | | |
| ३ | | | | |
| ४ | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | |
| | संस्था ३ | | | |
| १ | | | | |
| २ | | | | |
| ३ | | | | |
| ४ | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | |
| | कूल जम्मा | | | |

तयार गर्नेको

दस्तखत :

नाम :

पद :

मिति :

प्रमाणित गर्नेको

दस्तखत :

नाम :

पद :

मिति :

## अनुसूची १२.२
## बचतको लगत
**(हिसाब मिलान मिति : ... ... ... .../ .../ ...)**

| सि.नं. | बचतकर्ता सदस्यको नाम | खाता पाना नं. | गत आवको मौज्दात | | | चालु आवको | | | जम्मा मौज्दात | | | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | बचत रु. | ब्याज रु. | जम्मा रु. | बचत रु. | ब्याज रु. | जम्मा रु. | बचत रु. | ब्याज रु. | जम्मा रु. | |
| | नियमित बचत | | | | | | | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | | | | | | | |
| १ | | | | | | | | | | | | |
| २ | | | | | | | | | | | | |
| ३ | | | | | | | | | | | | |
| ४ | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | | | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | | | | | | | |
| १ | | | | | | | | | | | | |
| २ | | | | | | | | | | | | |
| ३ | | | | | | | | | | | | |
| ४ | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | | | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | | | | | | | |
| १ | | | | | | | | | | | | |
| २ | | | | | | | | | | | | |
| ३ | | | | | | | | | | | | |
| ४ | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नियमित बचततर्फको जम्मा | | | | | | | | | | | |
| | ऐच्छिक बचत | | | | | | | | | | | |
| | समय नतोकिएको बचत | | | | | | | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | | | | | | | |
| १ | | | | | | | | | | | | |
| २ | | | | | | | | | | | | |
| ३ | | | | | | | | | | | | |
| ४ | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | | | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | | | | | | | |
| १ | | | | | | | | | | | | |
| २ | | | | | | | | | | | | |
| ३ | | | | | | | | | | | | |
| ४ | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | | | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | | | | | | | |
| १ | | | | | | | | | | | | |
| २ | | | | | | | | | | | | |
| ३ | | | | | | | | | | | | |
| ४ | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| | समय नतोकिएको बचततर्फको जम्मा | | | | | | | | | | | |
| | समय तोकिएको बचत | | | | | | | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | | | | | | | |
| १ | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २ | | | | | | | | | | | | |
| ३ | | | | | | | | | | | | |
| ४ | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | | | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | | | | | | | |
| १ | | | | | | | | | | | | |
| २ | | | | | | | | | | | | |
| ३ | | | | | | | | | | | | |
| ४ | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | | | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | | | | | | | |
| १ | | | | | | | | | | | | |
| २ | | | | | | | | | | | | |
| ३ | | | | | | | | | | | | |
| ४ | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | | | | | | | |
| | समय तोकिएको बचततर्फको जम्मा | | | | | | | | | | | |
| | कुल बचत जम्मा | | | | | | | | | | | |

तयार गर्नेको

दस्तखत :

नाम :

पद :

मिति :

प्रमाणित गर्नेको

दस्तखत :

नाम :

पद :

मिति :

## अनुसूची १२.३
## तिर्नुपर्ने ऋणको लगत

**(हिसाब मिलान मिति : ... ... ... .../ .../ ...)**

| सि.नं. | प्रदायक संस्थाको नाम | खाता पाना नं. | गत आवको मौज्दात रु. | चालु आवको रु. | जम्मा मौज्दात रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सहकारी क्षेत्रबाट प्राप्त ऋण | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ४ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ४ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ४ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | सहकारी क्षेत्रबाट प्राप्त ऋणको जम्मा | | | | | |
| | अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त ऋण | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ४ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ४ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ४ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त ऋणको जम्मा | | | | | |
| | कुल तिर्नुपर्ने ऋण जम्मा | | | | | |

तयार गर्नेको

दस्तखत :

नाम :

पद :

मिति :

प्रमाणित गर्नेको

दस्तखत :

नाम :

पद :

मिति :

# अनुसूची १२.४
## चालु दायित्वको लगत
**(हिसाब मिलान मिति : ... ... ... .../ .../ ...)**

| सि.नं. | धनीको नाम | खाता पाना नं. | गत आवको मौज्दात रु. | चालु आवको रु. | जम्मा मौज्दात रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | चालु व्यावसायिक दायित्व | | | | | |
| | व्यावसायिक दायित्व | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ४ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ४ | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ४ | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | व्यावसायिक दायित्वको जम्मा | | | | | |
| | गैरव्यावसायिक दायित्व | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ४ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ४ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ४ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | गैरव्यावसायिक दायित्वको जम्मा | | | | | |
| | अल्पकालीन ऋण | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ४ | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ४ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ४ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | अल्पकालीन ऋणको जम्मा | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | तिर्नुपर्ने वित्तीय पट्टा –चालु | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | तिर्नुपर्ने वित्तीय पट्टा –चालुको जम्मा | | | | | |
| | तिर्नुपर्ने तलब तथा ज्याला | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | तिर्नुपर्ने तलब तथा ज्यालाको जम्मा | | | | | |
| | तिर्नुपर्ने कर्मचारी सुविधा | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | तिर्नुपर्ने कर्मचारी सुविधाको जम्मा | | | | | |
| | नियमनकारी निकायलाई तिर्नुपर्ने | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | नियमनकारी निकायलाई तिर्नुपर्नेजम्मा | | | | | |
| | स्रोतमा कर कट्टी | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | स्रोतमा कर कट्टी जम्मा | | | | | |
| | तिर्नुपर्ने आयकर | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | तिर्नुपर्ने आयकर जम्मा | | | | | |
| | मूल्य अभिवृद्धि कर | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | मूल्य अभिवृद्धि कर जम्मा | | | | | |
| | स्थगन कर दायित्व/सम्पत्ति | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | स्थगन कर दायित्व/सम्पत्ति जम्मा | | | | | |
| | व्यवस्थाहरू | | | | | |
| | ऋण जोखिम व्यवस्था | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | ऋण जोखिम व्यवस्था जम्मा | | | | | |
| | लगानी नेक्सानी व्यवस्था | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | लगानी नेक्सानी व्यवस्था जम्मा | | | | | |
| | समस्याग्रस्त सम्पत्तिका लागि व्यवस्था | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | समस्याग्रस्त सम्पत्तिका लागि व्यवस्था जम्मा | | | | | |
| | सञ्चित ह्रासकट्टी | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | सञ्चित ह्रासकट्टी | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | सञ्चित ह्रासकट्टी जम्मा | | | | | |
| | अन्य व्यवस्थाहरू | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | अन्य व्यवस्थाहरू जम्मा | | | | | |
| | तिर्नुपर्ने लेखापरीक्षण शुल्क | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | तिर्नुपर्ने लेखापरीक्षण शुल्कको जम्मा | | | | | |
| | अन्य तिर्नुपर्ने | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | अन्य तिर्नुपर्नेको जम्मा | | | | | |
| | अन्य चालु दायित्व | | | | | |
| | केताबाट पेश्की | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | केताबाट पेश्की जम्मा | | | | | |
| | तिर्न बाँकी ब्याज | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | तिर्न बाँकी ब्याज जम्मा | | | | | |
| | ब्याज मुलतबी | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | ब्याज मुलतबी जम्मा | | | | | |
| | अग्रिम आय | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | अग्रिम आय जम्मा | | | | | |
| | अन्य चालु दायित्व | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | अन्य चालु दायित्व जम्मा | | | | | |
| | कुल जम्मा | | | | | |

तयार गर्नेको

दस्तखत :

नाम :

पद :

मिति :

प्रमाणित गर्नेको

दस्तखत :

नाम :

पद :

मिति :

## अनुसूची १२.५
## दीर्घकालीन दायित्वको लगत
**(हिसाब मिलान मिति : ... ... ... .../ .../ ...)**

| सि.नं. | धनीको नाम | खाता पाना नं. | गत आवको मौज्दात रु. | चालु आवको रु. | जम्मा मौज्दात रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | तिर्नुपर्ने वित्तीय पट्टा –दीर्घकालीन | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | तिर्नुपर्ने वित्तीय पट्टा –दीर्घकालीनको जम्मा | | | | | |
| | अन्य दिर्घकालीन दायित्व | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | अन्य दिर्घकालीन दायित्वको जम्मा | | | | | |
| | कुल जम्मा | | | | | |

तयार गर्नेको

दस्तखत :

नाम :

पद :

मिति :

प्रमाणित गर्नेको

दस्तखत :

नाम :

पद :

मिति :

## अनुसूची १२.६
## बैङ्क मौज्दातको विवरण

**(हिसाब मिलान मिति : ... ... ... .../ .../ ...)**

| सि.नं. | बैङ्क/सङ्घको नाम | खाता पाना नं. | गत आवको मौज्दात रु. | चालु आवको रु. | जम्मा मौज्दात रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ९०.१ | चालु खाता | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | चालु खाताको जम्मा | | | | | |
| ९०.२ | बचत खाता | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | बचत खाताको जम्मा | | | | | |
| ९०.३ | सहकारी सङ्घमा रहेको खाता | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सहकारी सङ्घमा रहेको खाताको जम्मा | | | | | |
| ९०.४ | अल्पकालीन मुद्दती खाता | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | अल्पकालीन मुद्दती खाताको जम्मा | | | | | |
| | कुल जम्मा | | | | | |

तयार गर्नेको
दस्तखत :
नाम :
पद :
मिति :

प्रमाणित गर्नेको
दस्तखत :
नाम :
पद :
मिति :

## अनुसूची १२.७
## लगानीको लगत
**(हिसाब मिलान मिति : ... ... ... .../ .../ ...)**

| सि.नं. | सहकारी संस्था/निकाय/व्यक्तिको नाम | खाता पाना नं. | गत आवको मौज्दात रु. | चालु आवको रु. | जम्मा मौज्दात रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १००.१ | वित्तीय लगानी | | | | | |
| १००.१.१ | शेयरमा लगानी | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | शेयरमा लगानीको जम्मा | | | | | |
| १००.१.२ | बचतमा लगानी | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ... को जम्मा | | | | | |
| | बचतमा लगानीको जम्मा | | | | | |
| १००.१.३ | मुद्दती निक्षेप | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | मुद्दती निक्षेपको जम्मा | | | | | |
| १००.१.४ | सुरक्षणपत्रमा लगानी | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | सेक्युरिटिमा लगानीको जम्मा | | | | | |
| १००.१.५ | अन्य क्षेत्रमा लगानी | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | अन्य क्षेत्रमा लगानीको जम्मा | | | | | |
| १००.२ | गैरवित्तीय लगानी | | | | | |
| १००.२.१ | घर/जग्गामा ऋण लगानी | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | घर/जग्गामा ऋण लगानीको जम्मा | | | | | |
| १००.२.२ | हायरपर्चेज ऋण लगानी | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | हायरपर्चेज ऋण लगानीको जम्मा | | | | | |
| १००.२.३ | अन्य लगानी | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | अन्य लगानीको जम्मा | | | | | |
| | कुल जम्मा | | | | | |

तयार गर्नेको

दस्तखत :

नाम :

पद :

मिति :

प्रमाणित गर्नेको

दस्तखत :

नाम :

पद :

मिति :

## अनुसूची १२.८
## ऋण लगानी लगत
**(हिसाब मिलान मिति : ... ... ... .../ .../ ...)**

| सि.नं. | ऋणी सदस्यको नाम | ऋण खाता पाना नं. | उद्देश्य | स्रोत | गत आवको बाँकी ब्याज रु. | भाखा ननाघेको | | | १ वर्ष घटी भाखा नाघेको | | | १ वर्ष वा बढी भाखा नाघेको | | | जम्मा | | | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | साँवा रु. | ब्याज रु. | जम्मा रु. | साँवा रु. | ब्याज रु. | जम्मा रु. | साँवा रु. | ब्याज रु. | जम्मा रु. | साँवा रु. | ब्याज रु. | जम्मा रु. | |
| | संस्था १ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| संस्था १ को जम्मा | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| संस्था २ को जम्मा | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| संस्था ३ को जम्मा | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | कुल जम्मा | | | | | | | | | | | | | | | | | |

तयार गर्नेको

दस्तखत :
नाम :
पद :
मिति :

प्रमाणित गर्नेको

दस्तखत :
नाम :
पद :
मिति :

# अनुसूची १२.९

## अन्य चालु सम्पत्तिको लगत

**(हिसाब मिलान मिति : ... ... ... .../ .../ ...)**

| सि.नं. | विवरण | खाता पाना नं. | गत आवको मौज्दात रु. | चालु आवको रु. | जम्मा मौज्दात रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १२०.१ | भुक्तानी पाउनुपर्ने | | | | | |
| १२०.१.१ | प्राप्य खाता–व्यापारिक | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | प्राप्य खाता–व्यापारिकको जम्मा | | | | | |
| १२०.१.२ | प्राप्य खाता–गैरव्यापारिक | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | प्राप्य खाता–गैरव्यापारिकको जम्मा | | | | | |
| १२०.१.३ | पेश्की | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | पेश्कीको जम्मा | | | | | |
| १२०.१.४ | प्राप्य वित्तीय पट्टा | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | प्राप्य वित्तीय पट्टाको जम्मा | | | | | |
| १२०.१.५ | अन्य चालु प्राप्य | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | अन्य चालु प्राप्यको जम्मा | | | | | |
| | जम्मा | | | | | |
| १२०.२ | मालशेष | | | | | |
| १२०.२.१ | व्यापारिक मालशेष | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | व्यापारिक मालशेषको जम्मा | | | | | |
| १२०.२.२ | पाटपुर्जा/सामग्री तथा अन्य मालशेष | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | पाटपुर्जा/सामग्री तथा अन्य मालशेषको जम्मा | | | | | |
| १२०.२.३ | कच्चापदार्थ मालशेष | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ३ | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | कच्चापदार्थ मालशेषको जम्मा | | | | | |
| १२०.२.४ | प्रशोधनमा रहेको मालशेष | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | प्रशोधनमा रहेको मालशेषको जम्मा | | | | | |
| १२०.२.५ | अन्तिम वस्तु मालशेष | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | अन्तिम वस्तु मालशेषको जम्मा | | | | | |
| १२०.२.६ | मालशेष–कृषि उत्पादन | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | मालशेष–कृषि उत्पादनको जम्मा | | | | | |
| १२०.२.७ | मालशेष–पट्टाका लागि उपकरण | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | मालशेष–पट्टाका लागि उपकरणको जम्मा | | | | | |
| १२०.३ | जैविक सम्पत्ति | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | जैविक सम्पत्तिको जम्मा | | | | | |
| १२०.४ | अन्य चालु सम्पत्ति | | | | | |
| १२०.४.१ | वितरकलाई धरौटी | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | वितरकलाई धरौटीको जम्मा | | | | | |
| १२०.४.२ | अग्रिम भुक्तानी गरिएको खर्च | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | अग्रिम भुक्तानी गरिएको खर्चको जम्मा | | | | | |
| १२०.४.३ | अग्रिम कर भुक्तानी | | | | | |
| १२०.४.४ | पाउनुपर्ने ब्याज | | | | | |
| १२०.४.५ | अन्य चालू सम्पत्ति | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | अन्य चालू सम्पत्तिको जम्मा | | | | | |
| | कुल जम्मा | | | | | |

तयार गर्नेको

दस्तखत :

नाम :

पद :

मिति :

प्रमाणित गर्नेको

दस्तखत :

नाम :

पद :

मिति :

# अनुसूची १२.१०
## स्थिर सम्पत्तिको लगत
**(हिसाब मिलान मिति : ... ... ... .../ .../ ...)**

| हि.नं. | विवरण | गत आव (वार्षिक लेपअनुसार) को हासयोग्य आधार रकमको सुरु मौज्दात | चालु आव (वार्षिक लेप यता) को खरिद/निर्माण (+) | चालु आव (वार्षिक लेप यता) को खरिद/निर्माणमध्ये ह्रास आधार रकममा जोडिने मान | चालु आव (वार्षिक लेप यता) को खरिद/निर्माणमध्ये ह्रास आधारमा जोडिने रकम | चालु आव (वार्षिक लेपयता) को बिक्री (–) | एकीकरण/ विभाजनसम्म को जम्मा ह्रास आधार रकम | ह्रास कट्टी दर | एकीकरण/ विभाजनस म्मको ह्रास कट्टी रकम | एकीकरण/विभा जनको अन्त्यमा ह्रास कट्टी गरी बाँकी रकम | एकीकरण/विभाज नमा ह्रास योग्य नभएको रकम | एकीकरण/विभाज नपछि कायम हुने संस्थाको ह्रास योग्य रकम | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संस्था १ | | | | | | | | | | | | |
| १३० | स्थिर सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१ | भौतिक सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.१ | जमिन | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.२ | जमिन सुधार | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.३ | भवन र सुधार | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.४ | पट्टामा भवन | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.५ | वित्तीय पट्टामा स्थिर सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.६ | फर्निचर र फिक्चर्स | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.७ | मेसिनरी, औजार र उपकरण | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.९ | कार्यालय उपकरण | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.१० | अन्य स्थिर सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | |
| १३०.२ | अदृश्य सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | |
| १३०.२.१ | व्यापारिक चिह्न | | | | | | | | | | | | |
| १३०.२.२ | प्रतिलिपि अधिकार | | | | | | | | | | | | |
| १३०.२.३ | पेटेन्ट | | | | | | | | | | | | |
| १३०.२.४ | सफ्टवेयर | | | | | | | | | | | | |
| १३०.२.५ | अन्य अदृश्य सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | |
| १३०.३ | जैविक सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | |
| संस्था १ को जम्मा | | | | | | | | | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१ | भौतिक सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १३०.१.१ | जमिन | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.२ | जमिन सुधार | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.३ | भवन र सुधार | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.४ | पट्टामा भवन | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.५ | वित्तीय पट्टामा स्थिर सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.६ | फर्निचर र फिक्चर्स | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.७ | मेसिनरी, औजार र उपकरण | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.९ | कार्यालय उपकरण | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.१० | अन्य स्थिर सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | |
| १३०.२ | अदृश्य सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | |
| १३०.२.१ | व्यापारिक चिह्न | | | | | | | | | | | | |
| १३०.२.२ | प्रतिलिपि अधिकार | | | | | | | | | | | | |
| १३०.२.३ | पेटेन्ट | | | | | | | | | | | | |
| १३०.२.४ | सफ्टवेयर | | | | | | | | | | | | |
| १३०.२.५ | अन्य अदृश्य सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | |
| १३०.३ | जैविक सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | |
| संस्था २ को जम्मा | | | | | | | | | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | | | | | | | | |
| १३० | स्थिर सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१ | भौतिक सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.१ | जमिन | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.२ | जमिन सुधार | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.३ | भवन र सुधार | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.४ | पट्टामा भवन | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.५ | वित्तीय पट्टामा स्थिर सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.६ | फर्निचर र फिक्चर्स | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.७ | मेसिनरी, औजार र उपकरण | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.९ | कार्यालय | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | उपकरण | | | | | | | | | | | | |
| १३०.१.१० | अन्य स्थिर सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | |
| १३०.२ | अदृश्य सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | |
| १३०.२.१ | व्यापारिक चिह्न | | | | | | | | | | | | |
| १३०.२.२ | प्रतिलिपि अधिकार | | | | | | | | | | | | |
| १३०.२.३ | पेटेन्ट | | | | | | | | | | | | |
| १३०.२.४ | सफ्टवेयर | | | | | | | | | | | | |
| १३०.२.५ | अन्य अदृश्य सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | |
| १३०.३ | जैविक सम्पत्ति | | | | | | | | | | | | |
| संस्था ३ को जम्मा | | | | | | | | | | | | | |
| स्थिर सम्पत्तिको जम्मा | | | | | | | | | | | | | |

तयार गर्नेको

दस्तखत :

नाम :

पद :

मिति :

प्रमाणित गर्नेको

दस्तखत :

नाम :

पद :

मिति :

## अनुसूची १२.११
## अन्य दीर्घकालीन सम्पत्तिको विवरण
**(हिसाब मिलान मिति : ... ... ... .../ .../ ...)**

| सि.नं. | सहकारी संस्था/निकाय/व्यक्तिको नाम | खाता पाना नं. | गत आवको मौज्दात रु. | चालु आवको रु. | जम्मा मौज्दात रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १४०.१ | धरौटी | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | धरौटीको जम्मा | | | | | |
| १४०.२ | लिलाममा सकारेको सम्पत्ति | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | लिलाममा सकारेको सम्पत्तिको जम्मा | | | | | |
| १४०.३ | विविध सम्पत्ति | | | | | |
| | संस्था १ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था १ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था २ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था २ को जम्मा | | | | | |
| | संस्था ३ | | | | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | संस्था ३ को जम्मा | | | | | |
| | विविध सम्पत्तिको जम्मा | | | | | |
| | कुल जम्मा | | | | | |

तयार गर्नेको

दस्तखत :

नाम :

पद :

मिति :

प्रमाणित गर्नेको

दस्तखत :

नाम :

पद :

मिति :